

753-B वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 18 मई 2024

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाधात निर्धारण प्राधिकरण, भोपाल से पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु प्राप्त परियोजनाओं के तकनीकी परीक्षण हेतु राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) की 753-B वीं बैठक दिनांक 18/05/2024 को डॉ. पी.सी. दुबे की अध्यक्षता में आयोजित की गई, जिसमें समिति के निम्नलिखित सदस्य स्वयं/वीडियो कॉफ्रेसिंग के माध्यम से उपस्थित रहें :—

1. श्री राघवेन्द्र श्रीवास्तव, सदस्य ।
2. प्रो. (डॉ.) रुबीना चौधरी, सदस्य ।
3. डॉ. ए.के. शर्मा, सदस्य ।
4. डॉ. रवि बिहारी श्रीवास्तव, सदस्य
5. श्री ए.ए.मिश्रा, सदस्य सचिव

सभी सदस्यों द्वारा अक्षय महोदय के स्वागत के साथ बैठक प्रारंभ करते हुए बैठक के निर्धारित एजेण्डा अनुसार पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु प्राप्त प्रोजेक्ट्सों का तकनीकी परीक्षण निम्नानुसार किया गया :—

1. Case No. 6727/20 M/s Mahakaushal Sugar & Power Ind. Ltd, 149, 151, 165, 168, Village - Bahai, Tehsil - Narsinghpur, Dist. Narsinghpur, MP Prior Environment Clearance for Expansion of Sugar Industry at Village - Bachai, Tehsil - Narsinghpur, Dist. Narsinghpur (MP) [40660] [78697].

Earlier in this case, SEAC meeting no. 598th dated 07/10/22 following query was issued to the PP.

1. In form-II at Sl no. 14.6, See ground water table and justify the GW table is 2.26 mbgl.
2. In form-II at Sl no. 16.1, Waste water is 106 KLD while the capacity of proposed ETP is 1400 KLD, please justify.
3. In form-II at Sl no. 17.4 It is proposed that Boiler ash 4976.1 TPA will be mixed with press mud (86400 TPA) and used as manure. Please justify with proper scientific studies that there will be no adverse effect on soil quality and its fertility. Please refer CTO of the MP Pollution Control Board wherein it is stated that it shall be disposed off through sale to authorized party.
4. In form-II at Sl no. 18.1 why air quality impact prediction analysis not reported in form-II except Nox, please justify.
5. In form-II at Sl no. 18.2, Justify with supporting statistical data, why, the stack height for proposed 80 TPH boiler is 52 meters while the stack

753-B वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 18 मई 2024

height for existing 70 meters boiler is also 52 meters with their diameters respectively 02 & 03 meters.

6. In form-II at Sl no. 19, R & R is shown in one village. Please provide complete details of R&R activities undertaken for this project.
7. In form-II at Sl no. 22, Out of 14.60 ha land, 9.7936 ha land is shown as green belt. Please mark this land on layout map and submit the same so that in future, no other activity can be taken up on the land marked as green belt and similler details may be provided in form-II at Sl no. 32 wherein it is proposed as 3.2734 ha.
8. Form-II at Sl no. 31, Proposed labour is 180 and expected water requirement is 37 KLD. Please justify with backup calculations.
9. Form-II at Sl no. 31 e, Justify the 270 working days for seasonal sugar industry.
10. Form-II at Sl no. 38, Consultant accreditation is valid till 06/07/22, what is the current status of accreditation with evidence.
11. Refer EIA page 3.12 table 3.4 Why heavy metals are not reported in all soil samples as per the specific TOR point.
12. Refer EIA page 3.28 table 3.11 Why surface water sample for Ser river is not collected and reported.
13. As per attached consent of MP Pollution Control Board, two boilers are in operation 30 TPH (stack 52 meters with dust suppression and scrubber) & 80 TPH (stack 52 meters with ESP) and DG set of 750 KWh. However, as per the details provided in form-II, point no. 8.1 only one boiler of 70 TPH (8.1, 12) and DG set 1x400 KVA is shown in existence at sute. Why there is mismatch in the submitted information, needs clarification.
14. Please justify how Boiler blows down will be treated in ETP.
15. Justified plan for all the issues raised during public hearing with proper management plan.
16. Is the expansion is only for the product sugar without power plant. (If yes, how additional power requirement will be meet?
17. Details of existing plantation area with names of species and their numbers shall also be provided with proposed comprehensive plantation scheme as suggested during presentation.

753-B वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 18 मई 2024

18. As per the issues raised during public hearing, how far is the Agaria Talab from the project site and what precautionary measures proposed for this talab.
19. As submitted in the public hearing what is “परियोजना वृहद् ट्रेफिक मैनेजमेंट प्लान”, its complete details shall be submitted as there are several objections during public hearing for traffic jam during peak crushing time.

परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्त जानकारी परिवेश पोर्टल पर अपलोड कर दी गई है, जिसे समिति की आज बैठक दिनांक 18/05/24 को प्रस्तुतीकरण में रखा गया, जिसमें परियोजना प्रस्तावक कश्मी मोहम्मद रजा एवं उनके पर्यावरण सलाहकार श्री मुजम्बील खान their consultant M/s Team Labs & Consultant, Hyderabad उपस्थित हुए। PP submitted following details:

प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा निम्न जानकारी प्रस्तुत की गई :—

परियोजना प्रस्तावक से निम्नानुसार जानकारी मांगी गई थी (1.) प्लांटेशन रिवाईज प्लान (2) सी.ई.आर. रिवाईज प्लान (3) कार्बन फूट प्रिंट रिवाईज प्लान ।

Greenbelt Plan for Proposed Expansion

S. No.	Local Name	Botanical Name	Nos of Trees
1.	Neem	<i>Azadirachta indica</i>	900
2.	Arjuna	<i>Terminalia arjuna</i>	300
3.	Ain	<i>Terminalia elliptica</i>	200
4.	Chinch	<i>Tamarindus indica</i>	50
5.	Kanchan	<i>Bauhinia purpurea</i>	100
6.	Avala	<i>Emblica officinalis</i>	200
7.	Peeples	<i>Ficus religiosa</i>	200
8.	Ashoka	<i>Polyalthia longifolia</i>	250
9.	Champak	<i>Michelia champaca</i>	150
10.	Putranjeeva	<i>Butea monosperma</i>	200
11.	Travellers palm	<i>Ravenala madagascariensis</i>	100

753-B वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 18 मई 2024

12.	Sisoo	<i>Dalbergia sissoo</i>	300
13.	Shankasur	<i>Caesalpinia pulcherrima</i>	100
14.	Waval	<i>Holoptelea integrifolia</i>	100
15.	Saptparni	<i>Couroupita guianensis</i>	100
Total			3250
<i>About 3000 nos of shrubs is also proposing in landscaping, roads and others portion of the project site.</i>			

Proposed CER Activities

S. No.	Activity at nearby villages	Total budgetary provision for Project
Proposed CER Activities		
1	Construction of sanitation facilities (toilet) in schools and in villages namely Village- Babaria Primary School, Agariya Primary School, Karaiya- Middle School, & Bachai- High School and Primary School	₹ 6,00,000
2	Assistance in providing furnitures to schools	₹ 3,00,000
3	Infrastructure for Periodic medical check- up camp by appointing specialist doctor for eyes, skin, heart and dental in a year	₹ 10,00,000
5	Facilities for solid waste management	₹ 9,00,000
6	Training to the farmers related to healthcare and crop production i.e., Crop Name - Sugar Cane	₹ 5,00,000
7	Infrastructure for development of technical skills and training to the local persons through ITI	₹ 20,00,000
8	Assistance in providing study materials, uniform, books to the poor students located nearby area i.e., villages- Babaria Primary School, Agariya Primary School, Karaiya- Middle School, & Bachai- High	₹ 5,00,000

753-B वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 18 मई 2024

	School and Primary School	
9	Construction of roads and storm water drainage facility in nearby village	₹ 15,00,000
10	Facility for rainwater harvesting by desilting nearby ponds (nos)	₹ 5,00,000
Already achieved activities		
1	Support to Shree Shraddha Education and Charitable Trust, Gujarat	₹ 19,00,000
2	Support to Rahi Ahmad Kidwayi Memorial Trust, Barabanki, UP	₹ 3,00,000
3	Support to 3- Anvi Medical & Educational Foundation, Mumbai	₹ 21,00,000
Total		₹ 1,21,00,000
<i>Note - The total amount allocated to ESR is more than 2% of total project cost.</i>		

Carbon foot Print

Emission from Dumpers	Truck	Tractors
Dumpers	200	400
Trips	2	2
Kms/trip	10	10
Total Kms	4000	8000
Diesel / km	0.33	0.125
Total Diesel Consumption	1320	1000
Working Days	120	120
kg CO2 emission / liter	2.68	2.68

753-B वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 18 मई 2024

Per day CO2 Emission (kg)	3538	2680
Per year CO2 Emission (kg)	424512	321600
Per year CO2 Emission (tonne)	424.51	321.60

EMP

S. No.	Item Description	Capital Investment	Recurring Cost Per Year
1	Air Pollution Control Equipment (APC) in the form of proposed wet scrubber for the bagasse fired boilers	₹ 1,20,00,000	₹ 32,00,000
2	Water Pollution Control	₹ 1,00,00,000	₹ 20,00,000
3	Solid and Hazardous Waste Control	₹ 50,00,000	₹ 10,00,000
4	Noise and Vibration	₹ 30,00,000	₹ 6,00,000
5	Environmental Monitoring	₹ 3,00,000	₹ 6,00,000
6	Occupational Health & Safety	₹ 10,00,000	₹ 2,00,000
7	Distribution of saplings among villagers to be planted in the Open and degraded areas	₹ 6,50,000	₹ 65,000
8	Provision of LED Bulbs in surrounding villagers i.e.,	₹ 50,000	₹ 0
9	Adoption of full grown 750 Trees from nearby farmers for the carbon trading (10 years)	₹ 7,50,000	₹ 0
	Total	₹ 3,27,50,000	₹ 76,65,000

After deliberations, the submissions and presentation made by the PP were found to be satisfactory and acceptable hence the case was recommended for grant of **Prior Environment Clearance for Expansion of Sugar plant of M/s Mahakaushal Sugar & Power Industries Limited** from 4,500 to

753-B वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 18 मई 2024

8,000TCD, at Khasra no. 149, 151, 165, 168, at Village - Bachai, Tehsil - Narsinghpur, Dist. Narsinghpur (MP), subject to the special conditions:

(A) Statutory compliance:

1. The project proponent shall obtain Consent to Establish/Operate under the provisions of Air (Prevention & Control of Pollution) Act, 1981 and the Water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974 from the Madhya Pradesh Pollution Control Board (MPPCB).
2. The project proponent shall obtain authorization under the Hazardous and other Waste Management Rules, 2016 as amended from time to time & permission of competent authority if any tree falling is to be carried out.
3. The Company shall strictly comply with the rules and guidelines under Manufacture, Storage and Import of Hazardous Chemicals (MSIHC) Rules, 1989 as amended time to time. All transportation of Hazardous Chemicals shall be as per the Motor Vehicle Act (MVA), 1989.

(B) Air quality monitoring and preservation

1. The project proponent shall install 24x7 continuous emission monitoring system at process stacks to monitor stack emission with respect to standards prescribed in Environment (Protection) Rules 1986 and connected to MPPCB and CPCB online servers and calibrate this system from time to time according to equipment supplier specification through labs recognized under Environment (Protection) Act, 1986 or NABL accredited laboratories.
2. The project proponent shall monitor fugitive emissions in the plant premises at least once in every quarter through labs recognized under Environment (Protection) Act, 1986.
3. To control source and the fugitive emissions, suitable pollution control devices shall be installed to meet the prescribed norms and/or the NAAQS.
4. The DG sets shall be equipped with suitable pollution control devices and the adequate stack height so that the emissions are in conformity with the extant regulations and the guidelines in this regard.
5. DG exhaust will be discharged at height stipulated by CPCB.
6. CO₂ generated from the process shall be bottled/made solid ice and sold to authorized vendors.

753-B वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 18 मई 2024

7. National Emission Standards for Organic Chemicals Manufacturing Industry issued by the Ministry vide G.S.R. 608(E) dated 21stJuly 2010 and amended from time to time shall be followed.
8. The National Ambient Air Quality Emission Standards issued by the Ministry vide G.S.R. No. 826(E) dated 16thNovember 2009 shall be complied with.

(c) Water quality monitoring and preservation

1. For sugar plants, no fresh water is needed as cane contains 70%water and this will meet process needs and some excess wastewaterwill be available. This will meet the water requirement of Co-generation plant. For domestic use, ground water will be extracted.The treated wastewater will be fully recycled within the plant andno wastewater will be discharged to outside of the plant.If water required in future, Prior permission shall be obtained from the concerned regulatory authority/CGWA in this regard.
2. Process effluent will be treated in Existing and Proposed ETP ofcapacity 600 KLD and 800 KLD respectively. The sewage in theexisting plant goes to septic tanks. Effluent from the septic tank isdisposed in soil by providing disposing trenches. After expansion,the sewage from staff and visitors will be treated in a 45 KLD STP totreat 37 KLD of sewage and the treated sewage reused for toiletflushing and irrigation. There will be no ground pollution because ofleaching due to this.The plant shall ensure to follow a Zero Discharge System for wastewater.
3. The project proponent shall provide online continuous monitoring of effluent (if applicable), the unit shall install web camera with night vision capability and flow meters in the channel/drain carrying effluent within the premises.
4. As already committed by the project proponent Zero Liquid Discharge shall be ensured and no waste/treated water shall be discharged outside the premises, for which PP shall provide MEE, Bio Methanization unit followed by Spar dryer unit for making system zero discharge
5. Adhere to 'Zero Liquid Discharge and No industrial effluent from the unit shall be discharged outside the plant premises. PP should also install Internet Protocol PTZ camera with night vision facility along with

753-B वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 18 मई 2024

minimum 05X zoom and data connectivity must be provided to the MPPCB's server for remote operations.

6. The effluent discharge shall conform to the standards prescribed under the Environment (Protection) Rules, 1986, or as specified by the Madhya Pradesh Control Board while granting Consent under the Air/Water Act, whichever is more stringent.
7. Process effluent/any wastewater shall not be allowed to mix with storm water. The storm water from the premises shall be collected and discharged through a separate conveyance system.
8. The Company shall harvest rainwater from the roof tops of the buildings and storm water drains to recharge the ground water and utilize the same for different industrial operations within the plant.
9. Dedicated power supply shall be ensured for uninterrupted operations of treatment systems.

(D) Noise monitoring and prevention

1. Acoustic enclosure shall be provided to DG sets for controlling the noise pollution.
2. The overall noise levels in and around the plant area shall be kept well within the standards by providing noise control measures including acoustic hoods, silencers, enclosures etc. on all sources of noise generation.
3. The ambient noise levels should conform to the standards prescribed under E(P)A Rules, 1986 viz. 75 dB(A) during day time and 70 dB(A) during night time.

(E) Energy Conservation measures

1. The energy sources for lighting purposes shall preferably be LED based.
2. Possibility of installation of solar power system may be explored.

(F) Waste management

1. Hazardous chemicals shall be stored in tanks, tank farms, drums, carboys etc. Flame arresters shall be provided on tank farm and the solvent transfer through pumps.
2. Hazardous wastes such as used oil, discarded drums, used carbon etc. shall be directly sent to CTSDF, Dhar.

3. The Fly ash generated from boilers shall be stored in silos and disposed to farmers of the area. The ash may be mixed with available press mud
4. If any Flammable, ignitable, reactive and non-compatible wastes should be stored separately and never should be stored in the same storage shed.
5. Automatic smoke, heat detection system should be provided in the sheds. Adequate firefighting systems should be provided for the storage area.
6. To have appropriate measures to prevent percolation of spills, leaks etc. to the soil and ground water, the storage area should be provided with concrete floor of inert material or steel sheet depending on the characteristics of waste handled and the floor must be structurally sound and chemically compatible with wastes.
7. Measures should be taken to prevent entry of runoff into the storage area. The Storage area shall be designed in such a way that the floor level is at least 150 mm above the maximum flood level.
8. The storage area floor should be provided with secondary containment such as proper slopes as well as collection pit to collect wash water and the leakages/spills etc.
9. Recent MSDS of all the chemicals used in the plant be displayed at appropriate places.
10. Proper firefighting arrangements in consultation with the fire department should be provided against fire incident.
11. All the storage tanks of raw materials/products shall be fitted with appropriate controls to avoid any spillage / leakage. Bund/dyke walls of suitable height shall be provided to the storage tanks. Closed handling system of chemicals shall be provided.
12. Log-books shall be maintained for disposal of all types of hazardous wastes and shall be submitted with the compliance report.
13. The company shall undertake waste minimization measures as below:
 - a. Metering and control of quantities of active ingredients to minimize waste.
 - b. Reuse of by-products from the process as raw materials or as raw material substitutes in other processes.
 - c. Use of automated filling to minimize spillage.
 - d. Use of Close Feed system into batch reactors.

- e. Venting equipment through vapour recovery system.
- f. Use of high-pressure hoses for equipment clearing to reduce wastewater generation.

(G) Green Belt

1. Total project area is 14.1643 ha (35.0 acres) which is under possession of project proponent. In the existing plant, about 2.0234 ha (5.0 acres) of land has been kept for greenbelt, whereas 1.2465 ha (3.08 acres) of land is proposed greenbelt in expansion phase. Total 3.2734 ha (8.08 acres) of land will be used for greenbelt. Selection of plant species shall be as per the CPCB guidelines in consultation with the State Forest Department.

S. No.	Location	Type	Trees interspacing	Nos of Trees
1	Boundaries of small units, landscape area	medium Trees	3 x 3 m	900
2	Boundaries of units/internal roadsides	Medium to large size Trees	5 x 5 m	650
3	Around the industry	Large trees	1.5 m X 1.5 m or	800
		canopy trees	2.5 m X 2.5 m	500
4	Roadsides	Large size Trees	20-25 m	250
Total Trees				3100

2. Peripheral plantation all around the project boundary shall be carried out using tall saplings of minimum 2 meters height of species which are fast growing with thick canopy cover preferably of perennial green nature. PP will also make necessary arrangements for the causality replacement and maintenance of the plants.
3. PP shall also develop green belt over community places in consultation with gram panchayat.

(H) Safety, Public hearing and Human health issues

1. Emergency preparedness plan based on the Hazard identification and Risk Assessment (HIRA) and Disaster Management Plan shall be implemented.
2. The unit shall make the arrangement for protection of possible fire hazards during manufacturing process in material handling. Firefighting system shall be as per the norms.
3. The PP shall provide Personal Protection Equipment (PPE) as per the norms of Factory Act.
4. Training shall be imparted to all employees on safety and health aspects of chemicals handling. Pre-employment and routine periodical medical examinations for all employees shall be undertaken on regular basis. Training to all employees on handling of chemicals shall be imparted.
5. Provision shall be made for the housing of construction labour within the site with all necessary infrastructure and facilities such as fuel for cooking, mobile toilets, mobile STP, safe drinking water, medical health care, creche etc. The housing may be in the form of temporary structures to be removed after the completion of the project.
6. Occupational health surveillance of the workers shall be done on a regular basis and records maintained as per the Factories Act.
7. There shall be adequate space inside the plant premises earmarked for parking of vehicles for raw materials and finished products, and no parking to be allowed outside on public places.

(I) Corporate Environment Responsibility

1. The company shall have a well laid down environmental policy duly approve by the Board of Directors. The environmental policy should prescribe for standard operating procedures to have proper checks and balances and to bring into focus any infringements/deviation/violation of the environmental/ forest/ wildlife norms/ conditions. The company shall have defined system of reporting infringements / deviation / violation of the environmental / forest / wildlife norms / conditions and or shareholders /stake holders. The copy of the board resolution in this regard shall be submitted to the MoEF&CC as a part of six-monthly report.

753-B वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 18 मई 2024

2. A separate Environmental Cell both at the project and company head quarter level, with qualified personnel shall be set up under the control of senior Executive, who will directly to the head of the organization.
3. Fund should be exclusively earmarked for the implementation of EMP through a separate bank account.
4. The proposed EMP cost is Rs. ₹ 3,27,50,000 as capital and ₹ 76,65,000/year as recurring cost. PP shall comply with the commitment as follows:

S. No.	Item Description	Capital Investment	Recurring Cost Per Year
1	Air Pollution Control Equipment (APC) in the form of proposed wet scrubber for the bagasse fired boilers	₹1,20,00,000	₹32,00,000
2	Water Pollution Control	₹1,00,00,000	₹20,00,000
3	Solid and Hazardous Waste Control	₹50,00,000	₹10,00,000
4	Noise and Vibration	₹30,00,000	₹6,00,000
5	Environmental Monitoring	₹3,00,000	₹6,00,000
6	Occupational Health & Safety	₹10,00,000	₹2,00,000
7	Distribution of saplings among villagers to be planted in the Open and degraded areas	₹6,50,000	₹65,000
8	Provision of LED Bulbs in surrounding villages i.e.,	₹50,000	₹0
9	Adoption of full grown 750 Trees from nearby farmers for the carbon trading (10 years)	₹7,50,000	₹0
	Total	₹3,27,50,000	₹76,65,000

5. Under CER activity, Rs. ₹ 1,21,00,000 has proposed for different activities. PP shall comply with the commitment as follows:

S. No.	Activity at nearby villages	Total Budgetary
Proposed ESR Activities		

753-B वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 18 मई 2024

1	Construction of sanitation facilities (toilet) in schools and in villages namely Village- Babaria Primary School, Agariya Primary School, Karaiya- Middle School, &Bachai- High School and Primary School	₹6,00,000
2	Assistance in providing furnitures to schools	₹3,00,000
3	Infrastructure for Periodic medical check- up camp by appointing specialist doctor for eyes, skin, heart and dental in a year	₹10,00,000
5	Facilities for solid waste management	₹9,00,000
6	Training to the farmers related to healthcare and crop production i.e., Crop Name - Sugar Cane	₹5,00,000
7	Infrastructure for development of technical skills and training to the local persons through ITI	₹20,00,000
8	Assistance in providing study materials, uniform, books to the poor students located nearby area i.e., villages- Babaria Primary School, Agariya Primary School, Karaiya- Middle School, &Bachai- High School and Primary School	₹5,00,000
9	Construction of roads and storm water drainage facility in nearby village	₹15,00,000
10	Facility for rainwater harvesting by desilting nearby ponds (nos)	₹5,00,000
Already achieved activities		
1	Support to Shree Shraddha Education and Charitable Trust, Gujarat	₹19,00,000
2	Support to Rahi Ahmad Kidwayi Memorial Trust, Barabanki, UP	₹3,00,000
3	Support to 3- Anvi Medical & Educational Foundation, Mumbai	₹21,00,000
Total		₹1,21,00,000
Note - The total amount allocated to ESR is more than 2% of total project cost.		

6. Action plan for implementing EMP and environmental conditions along with responsibility matrix of the company shall be prepared and shall be duly approved by competent authority. The year wise funds earmarked for environmental protection measures shall be kept in separate account and not to be diverted for any other purpose. Year wise progress of implementation of action plan shall be reported to the Ministry/Regional Office along with the Six-Monthly Compliance Report.

7. Self-environmental audit shall be conducted annually. Every three years third party environmental audit shall be carried out.

J. Miscellaneous

1. PP shall be responsible for discrepancy (if any) in the submissions made by the PP to SEAC & SEIAA.
2. The project authorities must strictly adhere to the stipulations made by the MP Pollution Control Board and the State Government.
3. The project proponent shall abide by all the commitments and recommendations made in the EIA/EMP report, commitment made during Public Hearing and that during their presentation to the Expert Appraisal Committee.
4. No further expansion or modifications in the plant shall be carried out without prior approval of the Ministry of Environment, Forests and Climate Change (MoEF&CC).
5. No further expansion or modifications in the plant shall be carried out without prior approval of the Ministry of Environment, Forest and Climate Change. In case of deviations or alterations in the project proposal from those submitted to this Ministry for clearance, a fresh reference shall be made to the Ministry to assess the adequacy of conditions imposed and to add additional environmental protection measures required, if any
6. The above conditions shall be enforced, inter-alia under the provisions of the Water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974, the Air (Prevention & Control of Pollution) Act, 1981, the Environment (Protection) Act, 1986, Hazardous and Other Wastes (Management and Transboundary Movement) Rules, 2016 and the Public Liability Insurance Act, 1991 along with their amendments and Rules and any other orders passed by the Hon'ble Supreme Court of India/ High Courts and any other Court of Law relating to the subject matter.

अनुशंसा— प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्तों के साथ परियोजना को पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

2. Case No 9193/2022 Shri Jitendra Yadav, Owner, A-2, Mandakini Block, Kevihgar Line 1, Batalian, Dist. Indore, MP - 453111 Prior Environment Clearance for Murrum Quarry in an area of 1.20 ha. (10000 Cum per

753-B वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 18 मई 2024

annum) (Khasra No. 178/228/1), Village – Alwasa Tehsil Mhow, Dist. Indore (MP).

सेक की 575वीं बैठक दिनांक 30/05/22 को परियोजना प्रस्तावक और उनकी ओर पर्यावरण सलाहकार उपस्थित हुए। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रकरण से संबंधित दस्तावेज जैसे : लीज स्वीकृति पत्र, ग्राम सभा, वन मण्डलाधिकारी की एनओसी, तहसीलदार सर्टिफिकेट, खनिज अधिकारी की 500 मीटर में संचालित खदानों की जानकारी, अनुमोदित खनन् योजना, खसरा पंचाशाला, फार्म-2, जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट, पी. एफ.आर. एवं ई.एम.पी. प्रस्तुत की गई। प्रकरण में परीक्षण में पाया गया कि कार्यालय कलेक्टर, (खजिन शाखा) एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 122 दिनांक 10/01/22 अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में अन्य कोई (01 उत्खनन पट्टा स्वीकृत जो मा. न्यायालय के आदेश से शिथिल अवस्था में) खदान स्वीकृत/संचालित नहीं है, अतः प्रश्नाधीन प्रकरण बी-2 श्रेणी के अंतर्गत आता है।

प्रस्तुतीकरण के दौरान पाया गया कि एकल प्रमाण पत्र अनुसार 500 मीटर के अंदर एक उत्खनिपट्टा स्वीकृत था, जो कि वर्तमान में मा. उच्च न्यायालय के आदेश पालन में शिथिल अवस्था में है। समिति को उपरोक्त एकल प्रमाण पत्र से यह स्पष्ट नहीं हो रहा है कि माननीय उच्च न्यायालय के आदेश का प्रभाव इस खदान पर भी लागू है या नहीं। अतः इस संदर्भ में परियोजना प्रस्तावक से मा. उच्च न्यायालय में प्रचलित प्रकरण के बारे में जानकारी चाही गई तो उनके द्वारा अवगत कराया गया कि अभी उनके पास इस संदर्भ में अद्यतन जानकारी उपलब्ध नहीं है, अतः जानकारी प्रदाय करने हेतु 10 दिन का समय दिया जाये। अतः समिति की अनुशंसा है कि मा. उच्च न्यायालय में प्रचलित प्रकरण की अद्यतन वस्तुस्थिति से 10 दिनों में अगवत कराया जाये, तत्पश्चात् प्रकरण विचार किया जावेगा।

प्रियोजना प्रस्तावक ने ऑन लाईन जबाब 05/6/22 को प्रस्तुत किया, जिसे सेक की 578वीं बैठक दिनांक 16/06/22 को प्रस्तुतीकरण हेतु सूचीबद्ध था किंतु परियोजना प्रस्तावक एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार ऑन लाईन/ऑफ लाईन प्रस्तुतीकरण हेतु समिति के समक्ष उपस्थित नहीं हुए हैं। अतः समिति ने निर्णय लिया कि परियोजना प्रस्तावक को प्रस्तुतीकरण हेतु अंतिम अवसर देते हुए प्रकरण आगामी बैठक में रखा जाये तथा यदि फिर भी परियोजना प्रस्तावक अनुपस्थित रहते हैं तो इस प्रकरण निरस्त (डिलिस्ट) करते एसईआईएए को अग्रिम कार्यवाही हेतु भेजा जावें।

प्रकरण पुनः सेक की 586वीं बैठक दिनांक 29/06/22 को प्रस्तुतीकरण हुआ था जिसमें परियोजना प्रस्तावक और उनकी ओर पर्यावरण सलाहकार उपस्थित हुए। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुतीकरण के दौरान चाही गई जानकारी दिनांक 05/06/22 द्वारा दी गई, जिसे समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जिसमें पाया गया कि माननीय उच्च न्यायालय, इंदौर बैंच द्वारा प्रकरण क्रमांक डब्लू.पी. नं. 18163/2019 में आदेश दिनांक

753-B वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 18 मई 2024

17/01/2020 के द्वारा बी.एस.एफ. की रेवती रेंज के समीप स्थित खदानों में निम्नानुसार खनन् हेतु रोक लगाई गई :—

“The area which is subject matter of the present writ petition as well as the other areas which are under the Green Belt/hillocks no mining activity shall be carried out by any person including the State Government”.

परियोजना प्रस्तावक द्वारा उक्त आदेश के साथ उन 20 खदानों की सूची भी ऑन लाईन प्रस्तुत की है जो उपरोक्त आदेश के तहत बंद की गई है जिसमें से 04 खदाने उसी ग्राम अलवासा की है तथा जहां प्रश्नाधीन खदान भी है तथा कार्यालय कलेक्टर, (खजिन शाखा) द्वारा पत्र क्रमांक 122 दिनांक 10/01/22 के माध्यम से जारी एकल प्रमाण पत्र अनुसार 500 मीटर के अंदर एक उत्खनिपट्टा स्वीकृत था, जो कि वर्तमान में मा. उच्च न्यायालय के आदेश पालन में शिथिल अवस्था में है।

अतः उपरोक्त संदर्भ में समिति की अनुशंसा हेतु कि खनिज अधिकारी से 15 दिवस में यह जानकारी प्राप्त की जाये कि माननीय उच्च न्यायालय, इंदौर बैंच द्वारा प्रकरण क्रमांक डब्लू.पी. नं. 18163/2019 में आदेश दिनांक 17/01/2020 जारी दिशा निर्देशों के बावजूद भी प्रश्नाधीन खदान को क्यों स्वीकृती प्रदान की गई तथा क्या माननीय उच्च न्यायालय, इंदौर बैंच द्वारा जारी आदेश दिनांक 17/01/2020 इस खदान पर लागू नहीं होता। इस संदर्भ में खनिज अधिकारी का प्रतिवेदन 15 दिवस में प्रस्तुत करें, तत्पश्चात् इस प्रकरण पर निर्णय लिया जावे।

परियोजना प्रस्तावक ने उपरोक्त जानकारी 30 दिवस में अपलोड नहीं करने के कारण प्रकरण को सेकी 587वीं बैठक दिनांक 02/08/22 को डिलिस्ट करने की अनुशंसा सिया को प्रेषित किया गया था। सिया के पत्र क्रमांक 1422 दिनांक 24/08/22 के द्वारा प्रकरण को डिलिस्ट किया गया था।

परियोजना प्रस्तावक के पत्र दिनांक 09/11/22 के द्वारा प्रकरण को रिलिस्ट करने के अनुरोध को स्वीकार कर प्रकरण सिया द्वारा सेक को परीक्षण हेतु भेजा गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रकरण रि-लिस्ट करने का ऑन लाईन अनुरोध दिनांक 24/12/22 को किया गया जिसे समिति के समक्ष आज दिनांक 11/01/2023 को रखा गया, जिससे परियोजना प्रस्तावक श्री जितेन्द्र यादव और उनकी ओर पर्यावरण सलाहकार श्री अंकुर शर्मा, मेसर्स कागनीजेंस रिसर्च इंडिया प्रा.लि. गाजियाबाद, उ.प्र. उपस्थित हुए।

प्रकरण के परीक्षण में समिति ने पाया कि पूर्व में यह प्रकरण सेक की 586वीं बैठक दिनांक 29/06/22 में प्रस्तुत हुआ था जिसमें पाया गया कि माननीय उच्च न्यायालय, इंदौर बैंच द्वारा प्रकरण क्रमांक डब्लू.पी. नं. 18163/2019 में आदेश दिनांक 17/01/2020 के द्वारा बी.एस.एफ. की रेवती रेंज के समीप स्थित खदानों में निम्नानुसार खनन् हेतु रोक लगाई गई :—

“The area which is subject matter of the present writ petition as well as the other areas which are under the Green Belt/hillocks no mining activity shall be carried out by any person including the State Government”.

प्रस्तुतीकरण के पश्चात् समिति ने निर्णय लिया था कि खनिज अधिकारी से 15 दिवस में यह जानकारी प्राप्त की जाये कि माननीय उच्च न्यायालय, इंदौर बैंच द्वारा प्रकरण क्रमांक डब्लू.पी. नं. 18163 / 2019 में आदेश दिनांक 17 / 01 / 2020 जारी दिशा निर्देशों के बावजूद भी प्रश्नाधीन खदान को क्यों स्वीकृती प्रदान की गई तथा क्या माननीय उच्च न्यायालय, इंदौर बैंच द्वारा जारी आदेश दिनांक 17 / 01 / 2020 इस खदान पर लागू नहीं होता। परियोजना प्रस्ताक ने पत्र दिनांक 09 / 11 / 22 (ऑन लाईन प्राप्ति दिनांक 24 / 12 / 22) के द्वारा खनिज अधिकारी जिला इंदौर का पत्र क्रमांक 1402 दिनांक 19 / 07 / 22 की फोटो प्रति संलग्न की है जिसमें खनिज अधिकारी ने सूचित किया है कि माननीय उच्च न्यायालय, इंदौर के प्रकरण क्रमांक 18163 / 2019 के आदेश की प्रति संलग्न है जिसके अनुसार ग्राम रेवती की भूमि, ग्रीनबेल्ट एवं पहाड़ी पर उत्खनन कार्य मान्य नहीं किया गया है। समिति ने प्रस्तुतीकरण के दौरान कार्यालय कलेक्टर, (खजिन शाखा) द्वारा पत्र क्रमांक 122 दिनांक 10 / 01 / 22 के माध्यम से जारी एकल प्रमाण पत्र का भी अवलोकन किया जिसमें उल्लेखित है कि इस खदान के 500 मीटर के अंदर एक अन्य उत्खनिपट्टा स्वीकृत था, जो कि वर्तमान में मा. उच्च न्यायालय के आदेश पालन में शिथिल अवस्था में है।

समिति ने चर्चा उपरांत पाया कि सेक की 586वीं बैठक दिनांक 29 / 06 / 22 में की गई अनुशंसा अनुसार माननीय उच्च न्यायालय, इंदौर बैंच द्वारा प्रकरण क्रमांक डब्लू.पी. नं. 18163 / 2019 में आदेश दिनांक 17 / 01 / 2020 जारी दिशा निर्देशों के बावजूद भी प्रश्नाधीन खदान को क्यों स्वीकृती प्रदान की गई तथा क्या माननीय उच्च न्यायालय, इंदौर बैंच द्वारा जारी आदेश दिनांक 17 / 01 / 2020 इस खदान पर लागू नहीं होता, पर खनिज अधिकारी का प्रतिवेदन 15 दिवस मागा जाये के संदर्भ में संबंधित खनिअधिकारी जिला इंदौर (पत्र क्रमांक 1402 दिनांक 10 / 07 / 22 के माध्यम से) द्वारा जो जानकारी दी गई थी वह सुस्पष्ट व समाधानकारक नहीं है तथा दिया गया उत्तर दिग्भ्रमित करने वाला है। अतः समिति की अनुशंसा है कि इस प्रकरण में उपरोक्तानुसार निर्मित स्थिति से कार्यालय कलेक्टर, इंदौर को सिया के माध्यम से अवगत कराया जाये ताकि संबंधित प्राधिकारियों द्वारा सुस्पष्ट जानकारी प्रकरण के अविलंब निराकरण हेतु प्राप्त हो सके।

प्रकरण समिति आज दिनांक 18 / 05 / 24 को समिति के समक्ष रखा गया, जिसमें जिमसें परियोजना प्रस्तावक श्री जितेन्द्र यादव और उनकी ओर पर्यावरण सलाहकार श्री अंकुर शर्मा, online मेसर्स कान्नीजेंस रिसर्च इंडिया प्रा.लि. गाजियाबाद, उ.प्र. उपस्थित हुए।

समिति ने परिक्षण उपरान्त उपरोक्त परिपेक्ष्य में निर्णय लिया कि माननीय उच्च न्यायालय इंदौर के निर्णय दिनांक 17 / 01 / 2020 के परिपेक्ष्य में स्वीकृत खनन क्षेत्र रेवती डेम, हॉलेज रोड एवं अन्य ग्रीनबेल्ट ऐरिया से संबंधित है या नहीं है। इस आशय का पत्र खनिज अधिकारी को सेक समिति द्वारा लिखा जाना प्रस्तावित है।

753-B वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 18 मई 2024

- 3. Case No. 8464/21 M/s Mahalaxmi Mines & Minerals, Ward No. 4, Kamour, Tehsil - Vijayraghavgarh, Dist. Katni, MP Prior Environment Clearance for Stone Quarry in an area of 1.468 ha. (7353 cum per annum) (Khasra No. 1179/2), Village - Mudgudi, Tehsil - Maanpur, Dist. Umariya (MP) [60991] (EIA). Referred back by SEIAA .**

प्रकरण के प्रस्तुतीकरण के दौरान समिति ने पाया कि (गूगल एमेज अनुसार) इस क्षेत्र से लगे हुये माइनिंग क्षेत्र में पर्यावरणीय अभिस्वीकृति प्राप्त खदानों द्वारा ई.सी. की शर्तों का पालन होना परिलक्षित नहीं हो रहा है। अतः पर्यावरण स्वीकृति में शर्तों के पालन के विषय पर जिला खनन् कार्यालय के माध्यम से इनकी शर्तों के सत्यापन की आवश्यकता प्रतीत होती है।

प्रस्तुतीकरण के दौरान समिति ने पाया कि यह खदान क्षेत्र पूर्व में श्री बद्रीप्रसाद को आवंटित थी जो 10 वर्षों तक संचालित की गई। गूगल इमेज के अवलोकन करने पर पर्यावरण संरक्षण संबंधी कोई भी कार्य परिलक्षित नहीं हो रहा है। अतः संबंधित पूर्व परियोजना प्रस्तावक के विरुद्ध सिया स्तर से नियमानुसार कार्यवाही की जाना प्रस्तावित है।

प्रस्तुतीकरण के पश्चात् परियोजना प्रस्तावक से निम्न बिन्दुओं पर स्पष्टीकरण/जानकारी प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए :-

- ब्लास्टिंग के संदर्भ में प्रति होल विस्फोटक की संभावित मात्रा एवं किस अंतराल पर ब्लास्टिंग की जाना है की जानकारी के साथ विस्तृत ब्लास्टिंग प्लान प्रस्तुत करें।
- लीज क्षेत्र में प्रस्तावित गतिविधियों को ले-आउट मे दर्शाते हुये पुर्णरीक्षित सरफेस प्लान।
- ब्लास्टिंग एवं अन्य गतिविधियों के कारण पी.एम. 2.5 की इंक्रीमेंट वैल्यू क्या होगी स्पष्ट करें।
- ओवरर्वर्डन एवं स्वार्डल का प्रबंधन हेतु व्यय को ई.एम.पी. बजट मे सम्मिलित करते हुये प्रस्तुत करें।
- पुर्णरीक्षित वृक्षारोपण योजना।

प्रकरण समिति आज दिनांक 18/05/24 को समिति के समक्ष रखा गया, जिसमें प्रस्तावक श्री केशव प्रसाद अवस्थी ऑनलाईन एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री वरुण भरद्वाज, मे0. जेनिथ इंवारोमेंटल कंसलटेंसी, नोएडा, उ.प्र.उपस्थित थे।

समिति के समक्ष जानकारी प्रस्तुत की गई गूगल मेप का परीक्षण किया गया, उत्तर दिशा की ओर जो रास्ता गया है वह बस्ती-बसाहट की ओर जाना परिलक्षित नहीं हो रहा है। इसी प्रकार जो रास्ता दक्षिण-पूर्व की ओर जा रहा है वह आसपास की खदानों से गुजरता हुआ परिलक्षित हो रहा है। लीज एरिया के आसपास अधिक खदानें संचालित हैं एवं साथ ही ग्राम पंचायत मुड़गुड़ी, मानपुर जिला उमरिया के पत्र 03/24 दिनांक 06/04/2024

से स्पष्ट है, कि यह हॉलेज रोड है इसका आम—नागरिकों द्वारा उपयोग नहीं किया जा रहा है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशेष शर्तों एवं स्टेप्डर्ड शर्तों संलग्नक—ए अनुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है।

समिति ने परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिये गये प्रस्ताव को मान्य करते हुये पत्थर की उत्पादन क्षमता 7353 घन मी. / वर्ष की गई है।

4. Case No. 9791/2023 Smt. Sadhna Sharma W/o Shri Sanjay Sharma, Owner, M/s Om Shri Stone Crusher, R/o Hall-117, Garden Home Face-3, Alkapuri, District- Gwalior (MP)-474011, Prior Environment Clearance for Gangapur Stone Quarry in an area of 1.220 ha. (90000 Cum per annum) (Khasra No. 11/1/1 & 11/2/1) Village-Gangapur, Tehsil-Dabra, District-Gwalior (MP) [417867] (EIA)

पूर्व मे प्रकरण सेक की 651वीं बैठक दिनांक 09/06/2023 के माध्यम से पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु अनुशंसित किया जा चुका है। प्रकरण को समिति के समक्ष आज दिनांक 18/05/24 को रखा गया, जिसमें जिसमें पर्यावरणीय सलाहकार श्री संचित कुमार, मेसर्स कॉर्नीजेंस रिसर्च इंडिया (प्रा. लि.) नोयडा उपस्थित हुए एवं निम्न जानकारी प्रस्तुत की गई :—

- हमारे द्वारा प्रथन वर्ष मे 90,000 धन मीटर उत्पादन किया जाएगा जो कि रॉक ब्रेकर से संभव हो जाएगा, चूंकि प्रथम वर्ष के बाद से लीज खत्म होने तक उत्पादन कि मात्रा 5,000 धन मीटर / वर्ष जोकि रॉक ब्रेकर से पूर्णतः संभव है, इसलिए हमें ब्लास्टिंग कि आवश्यकता नहीं है।
- 500 मीटर कि परिधी मे जो 2 खदाने दि गई है उनमे से एक बंद है और एक शिथिल अवस्था में है, इसकी जानकारी मार्झिनिंग अधिकारी के द्वारा दी गई है। जिस कारण बन्द हुई खदान कि कॅम्पलाईन्स का विवरण नहीं मिल सकता है एवं शिथिल अवस्था के खदान कि जानकारी अपूर्ण है।
- गूगल ईमेज के अनुसार प्रस्तावित खदान के उपर सुमीत बजाज के नाम से खदान ओवरलेप हो रही है जिसका विवरण मार्झिनिंग अधिकारी के द्वारा पत्र क्रमांक क्यू/3/क्यू.एलआई.डी—29673/2022/324 ग्वालियर दिनांक 28/2/2024 मे दिया गया

समिति ने पाया कि सुमित बजाज के नाम से कोई भी खदान स्वीकृत नहीं है एवं मार्झिनिंग प्लान का परीक्षण करने पर समिति ने पाया कि पृष्ठ क्रमांक 15 पर सरल क. 6.1 पर ब्लास्टिंग का उल्लेख किया गया है। ऐसी स्थिति में संशोधित मार्झिनिंग प्लान प्रस्तुत किया जाना होगा। समिति ने चर्चा उपरांत परियोजना प्रस्तावक के प्रस्ताव को मान्य

753-B वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 18 मई 2024

करते हुये सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदित रॉक ब्रेकर का संशोधित माइनिंग प्लान कार्यवाही विवरण जारी होने की दिनांक से 01 माह के अन्दर परिवेश पोर्टल अपलोड करने हेतु एडीएस जारी करें।

4. **Case No. 10752/2023 Shri Sandeep Rai, Owner, Niwasi-Bichiya, Tehsil-Shahpura, District-Dindori (MP)-481885, Prior Environment Clearance for Bhardwara Stone Quarry in an area of 2.00 ha. (3001 cum per year) (Khasra No. 62/5, 62/6, 65), Village-Bhardwara, Tehsil-Shahpura, District-Dindori (MP) [419957] [DEIAA] (B2).**

सेक की 738वीं बैठक दिनांक 22/04/24 में समिति ने निर्देश दिये थे कि खदान क्षेत्र का एवं आस-पास के क्षेत्र का स्थल निरीक्षण कर जियोटेग फोटोग्राफ के साथ प्रस्तुत करें। तदुपरान्त प्रकरण पर विचार किया जावेगा।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा संबंधित जानकारी पोर्टल पर अपलोड कर दी गई है प्रकरण को आज सेक की 753वीं वीं बैठक दिनांक 18/05/2024 में रखा गया। जिसमें पर्यावरणीय सलाहकार श्री मयंक जादौन FAE ऑनलाईन मेसर्स जेनिथ इंवायरमेंट कंसलटेंसी नोयडा (उ.प्र.) उपस्थित हुए। प्रस्तुतीकरण में खदान क्षेत्र का एवं आस-पास के क्षेत्र का स्थल निरीक्षण कर जियोटेग फोटोग्राफ के साथ प्रस्तुत किये जिसे समिति ने मान्य किया एवं प्रकरण को अनुशंसित किया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तों एवं स्टेप्डर्ड शर्तों संलग्नक-ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है।

- अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता 3,000 घनमीटर/वर्ष।

6. **Case No 10166/2023 Ms Rajni Tripathi, Lessee, R/o Hardua Colony, Gaytri Nagar, Ward No. 02, Post-Nagod, Tehsil-Nagod, District-Satna (MP)-485446, Prior Environment Clearance for Pipara Flagstone Quarry in an area of 3.38 ha. (5000 cum per year) (Khasra No. 30, 31, 32), Village-Pipra, Tehsil-Unchahara, District-Satna (MP)**

प्रस्तावित खदान बी-2 डिया श्रेणी के अंतर्गत नवीन पर्यावरणीय स्वीकृति के पुनर्मूल्यांकन का है, जिसमें बैठक क्रमांक 670 दिनांक 23 अगस्त 2023 को परियोजना प्रस्तावक श्रीमती रजनी त्रिपाठी, पति श्री सुशील कुमार त्रिपाठी ऑनलाईन जुड़े, एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्रीराम राघव, मेसर्स ग्रीन सर्कल आईएनसी, बडौदा, गुजरात उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

753-B वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 18 मई 2024

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	श्रीमती रजनी त्रिपाठी, पति श्री सुशील कुमार त्रिपाठी,	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी / निजी)	खसरा नं. 30, 31, 32, (निजी –नॉन फॉरेस्ट लैंड)	3.380 Hectare.
स्थल	Village- Pipara Tehsil - Unchehara, District- Satna (M.P.).	
लीज स्वीकृति	कार्यालय संचालक भौमिकी तथा खनिकर्म भोपाल मध्यप्रदेश के पत्र क्रमांक 23181–82 खनिज/उ.प./न.क्र.01/2023 दिनांक 12/12/2014 के द्वारा स्वीकृत ।	
ब्लास्टिंग / रॉक ब्रेकर	अनुमोदित खनन् योजना अनुसार ब्लास्टिंग. प्रस्तावित नहीं है ।	
प्रकरण की स्थिति	डिया प्रकरण। B2	
डिया ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	डिया जिला सतना के पत्र क्रमांक 1132/DEIAA/2016 दिनांक 24/05/2016 के द्वारा फर्शी पत्थर—5000 घनमीटर /वर्ष हेतु पर्यावरणीय अनापत्ति प्राप्त है।	
टॉर	लागू नहीं	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा फर्शी पत्थर— 5000 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार फर्शी पत्थर 5000 घनमीटर/वर्ष है।	
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सतना के एकल प्रमाण—पत्र क्रमांक 89 दिनांक 18.01.2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में कोई अन्य खदानें संचालित/स्वीकृत नहीं हैं है, इस प्रकार कुल रकबा 3.380 है. होता है, अतः प्रकरण बी—2 श्रेणी का है।	
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सतना के एकल प्रमाण—पत्र क्रमांक 89 दिनांक 18.01.2023 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जौन जैव विविधता क्षेत्र स्थित नहीं है एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित है जिसके सम्बन्ध में कार्यालय कमिशनर रीवा संभाग मध्य प्रदेश की रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी ।	
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सतना के एकल प्रमाण—पत्र क्रमांक 89 दिनांक 18.01.2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन/सार्वजनिक भवन/शशमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/ संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/ तालाब/ बांध/स्टॉप डैम/नहर/ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता/नाला नहीं हैं ।	

753-B वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 18 मई 2024

ग्राम सभा / ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत महाराजपुर जिला सतना के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक Q 01 दिनांक 16.08.2013 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है।
केशर की स्थिति	यह फर्शी पत्थर की खदान है।
प्रस्तावि स्थल पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	<ul style="list-style-type: none"> सभी वृक्षों के संरक्षण हेतु पश्चिम, पूर्व एवं दक्षिण दिशा में 3 हिस्सों में गैर खनन क्षेत्र छोड़ा गया काटे जाने वाले पेड़ों की संख्या—0 इसके अतिरिक्त झाड़ियाँ हैं।
प्रस्तावित स्थल की गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति ; खदान के 500 मी. की परिधि में स्थित संवेदनशील घटकों	<p>पूर्व दिशा—उत्थनिपट्टे के पूर्व दिशा में 55 मीटर पर कुछ घर परिलक्षित हो रहे जिसके सम्बन्ध में प्रस्तावक द्वारा बताया गया की उन्होंने 45 मीटर का सेटबैक प्रस्तुत किया है एवं घरों से 100 मीटर तक कोई भी खनन कार्य नहीं किया जावेगा।</p> <p>दक्षिण दिशा में 35 मीटर पर नल्ला गुजर रहा है जिसके सम्बन्ध में परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया की नाले से 50 मीटर तक कोई खनन कार्य नहीं किया जावेगा।</p> <p>उत्तर दिशा— उत्थनिपट्टे के उत्तर दिशा में गूगल सैटेलाइट इमेज में शासकीय प्राथमिक विद्यालय का गूगल का टैग दिखाई दे रहा है जिसके सम्बन्ध में परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि गूगल सैटेलाइट इमेज पर शासकीय शाला का टैग त्रुटिवश आरहा है जबकि वास्तविकता में वह कोई शासकीय विद्यालय अथवा शासकीय भवन नहीं है जिसके सम्बन्ध में परियोजना प्रस्तावक द्वारा छायाचित्र एवं कार्यालय ग्राम पंचायत के पत्र दिनांक 19.06.2023 एवं कार्यालय शासकीय प्राथमिक शाला पिपरा के पत्र क्रमांक Q2023 दिनांक 08.07.2023 के माध्यम यह प्रमाणित किया गया की उत्थनिपट्टे के 500 मीटर में कोई विद्यालय नहीं है एवं शासकीय प्राथमिक विद्यालय पिपरा उत्थनिपट्टे से 500 मीटर से अधिक दूरी पर है।</p>
प्रस्तावि खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	<p>परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.-163 के सरल क्रमांक-83 पर दर्ज है।</p> <p>समिति ने चर्चा उपरांत निर्णय लिया कि राज्य स्तरीय स्तरीय पर्यावरण समाधौत निर्धारण प्राधिकारण मध्यप्रदेश की 739वीं बैठक दिनांक 29/07/22 (प्रकरण में 9261/2022 – जारी पत्र क्रमांक 1306 दिनांक 04/08/22) में लिए गए निर्णय के परिप्रेक्ष्य में इस प्रकरण को भी पर्यावरणीय संवेदनशीलता के दृष्टिगत परीक्षण कर पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु सिया को अनुशंसित किया जाये।</p>
जन सुनवाई	लागू नहीं

753-B वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 18 मई 2024

पूर्व में इस प्रस्तावित खदान का समिति की बैठक क्रमांक 670 दिनांक 23 अगस्त 2023 को प्रस्तुतीकरण हुआ था।

उक्त बैठक में समिति ने निर्णय लिया की प्रकरण हेतु परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति के अनुसार फेंसिंग वृक्षारोपण एवं सी.ई.आर सम्बन्धी शर्तों का पालन कर प्रामाणिक जानकारी प्रस्तुत करने को कहा गया था।

उपरोक्त जानकारी परियोजना प्रस्तावक ने परिवेश पोर्टल पर प्रस्तुत कर दी गयी है जिसमें समिति के समक्ष आज दिनांक 18.05.2024 को प्रस्तुतीकरण हेतु रखा गया था, जिसमें परियोजना प्रस्तावक श्रीमती रजनी त्रिपाठी ऑनलाईन जुड़े एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री राम राघव, मेसर्स ग्रीन सर्कल आयी.एन.सी, बड़ोदा, गुजरात उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया।

समिति द्वारा ई.सी. में अधिरोपित शर्तों की समीक्षा की गई।

डिया की ई.सी. में अधिरोपित शर्तों की समीक्षा	पालन प्रतिवेदन की वर्तमान स्थिति
लीज के चारों ओर फेन्सिंग की वर्तमान स्थिति	लगभग 70 प्रतिशत पायी गई।
ई.सी. में अधिरोपित शर्तों के अनुसार वृक्षारोपण की वर्तमान स्थिति एवं बेरियर जोन में 7.50 मीटर पर वृक्षारोपण	अपूर्ण पायी गई। बेरियर जोन खुदा हुआ है।
गारलेण्ड ड्रेन एवं सेटलिंग टेक की वर्तमान स्थिति	गारलेण्ड ड्रेन 5 प्रतिशत है
अनुमोदित मार्फिनिंग प्लान के अनुसार खनन किये गये पिट्स में बैंचेस की स्थिति।	खनन की गहराई अभी बैंच निर्मित करने की स्थिति तक नहीं पहुंची है।
पौधारोपण की स्थिति	परियोजना प्रस्तावक द्वारा अवगत कराया गया कि खदान क्षेत्र में लगभग 150 पेड़ लगाये गये एवं 100 पौधे ग्रामवासियों को बांटे गए।
ई.सी. में अधिरोपित शर्तों के अनुसार सामाजिक कार्य का विवरण भौतिक लक्ष्य, बजट	सामाजिक कार्य के अन्तर्गत प्रमाणिक साक्ष्य प्रस्तुत किये।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति विशिष्ट शर्तों एवं स्टेप्डर्ड शर्तों संलग्नक—ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:—

1. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता – Flagstone – 5000 m^3 /Year.
2. पुरानी ई.सी. की शर्तों का अनुपालन परियोजना प्रस्तावक द्वारा कराया जाना सुनिश्चित करें।
3. क्षतिपूर्ति के संबंध में:-

753-B वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 18 मई 2024

- म.प्र. भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 247 (5) के तहत संबंधित जिला कलेक्टर द्वारा भूमि स्वामियों की क्षतिपूर्ति के निर्धारण हेतु किये गये प्रावधानों/उपबंधों का पालन भूमि स्वामियों को समक्ष में सुनकर भूमि के सतह अधिकार के संबंध में क्षतिपूर्ति का निर्धारण सुनिश्चित किया जाये।
 - म.प्र. गौण खनिज नियम, 1996 के नियम 9 (क) एवं नियम 06(क) के प्रावधान अंतर्गत कण्डिका 04 में किये गये प्रावधानों के अनुरूप सहमति धारक को उत्थनन पट्टा स्वीकृत होने पर, देय रॉयलटी के 15 प्रतिशत के समतुल्य रकम का सहमति धारक को भुगतान सुनिश्चित किया जाये। उपरोक्त शर्तों का पालन भू-प्रवेश अनुमति के पूर्व सुनिश्चित किया जावें।
4. उत्थनिपट्टे की गूगल सैटलाइट इमेज के अनुसार स्वीकृत क्षेत्र में बहुत पेड़ दिखायी दे रहे हैं जिसके सम्बन्ध में प्रस्तावक द्वारा बताया गया की उत्थनिपट्टे में पूर्व दिशा में मानव बसाहट से छोड़े गए सेटबैक में काफी पेड़ संरक्षित हो रहे हैं इसके अतिरिक्त शेष वृक्षों के संरक्षण हेतु पश्चिम एवं दक्षिण दिशा में 2 और हिस्सों में गैर खनन क्षेत्र छोड़ा गया है एवं इसी क्रम में गैर खनन क्षेत्र एवं बैरियर जोन को छोड़ते हुए खनन हेतु 1.0 हेक्टेयर का रकबा शेष बच रहा है एवं प्रस्तावित उत्पादन क्षमता कम होने के कारण उत्पादन क्षमता शेष क्षेत्र में से आसानी से उत्पादित की जा सकती एवं इसके अतिरिक्त शेष लेन्टाना एवं कटीली झाड़ियाँ हैं।
5. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रु. 10.35 लाख एवं रिकरिंग राशि रु. 1.74 लाख प्रति वर्ष।

SN O.	Particulars	Budget Provisions (Rs)	
	For Environment Protection	Capital	Recurring
1	Hiring of water tanker (3,500L) for sprinkling facility for outgoing & incoming vehicle with pipeline @Rs 70/day (PP owned tanker) for 300 days.	-	30,000
2	Garland Drain (1.5 m Wide & 1 m Deep & 750 m Long) 1. Settling Tank is of 4 m wide, 10 m long & 2.5 m deep. 2. Settling Tank is of 4 m wide, 05 m long & 2.5 m deep. 3. Settling Tank is of 4 m wide, 05 m long & 2.5 m deep. All settling tanks will be of double "S" pattern. (maintenance of existing)	1,00,000	10,000
3	Contribution in maintenance of existing Road (Road length approx. 110m, Width 5.5m. edge to edge excluding shoulder) (~@Rs 500/m) with the provision of rumble strips& T junction where the approach road meets the main road.	55,000	8,000

753-B वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 18 मई 2024

4	Monitoring twice a year AAQM @20000/yr, Water@10000/yr, Noise@10000/yr Soil@10000/yr	NIL	50,000
5.	Plantation (Total - 4056 trees will be planted.)		
	A. Within Lease Area (In Barrier Zone & non mining zone) @150rs./tree 1 st year – up to ~809m periphery of Mine lease boundary 1 st year at non mining area @150rs./tree	608400	10,000
	Sowing of the Local seeds species ,Dhatkumari slips, Prosopis seeds & Agew along the bund of excavated garland drain & Settling tank.	6000	1000
6.	Total wire fencing (~809m long)= 490m existing wire fencing + 319m new proposed @Rs500/meter	1,59,500	15,000
7.	PUC certification of vehicles (2 tractor @ Rs 500 per tractor trolley)	---	1,000
8.	Expenditure for the restoration activities at mine lease area	20,000	
Labor Welfare			
8.	Drinking Water Facility at rest shelter (15 x 15 ft.) with solar light (maintenance of existing)	20,000	8,000
9.	Toilets 2 nos (Male & Female) @ 12,500 x 2 (maintenance of existing)	10,000	5,000
10.	Occupational health checkup for 10 workers (@twice/year)@ 1000 x 2 x 10	-	20,000
11.	Provision of PPEs (helmets, safety shoes, safety glasses, gloves etc. 10 x 2000)	20,000	5,000
Emergency Rescue Plan			
12.	Fire Fighting Equipments (1Nos) @ 10,000 / fire fighting and first aid @ 2000 per kit	12,000	5,000
13.	Safety signage and warning boards like red flags, cones, reflectors etc.	5,000	2,000
Solid Waste Management			
14.	a) Bins 2 Nos @ Rs 1500 each	3000	4,000
	b) Pit and Composting	3000	
	c) Transport of Dry Waste	4000	
1	Distribution of the Led Bulb 100nos @Rs 100/bulb to the	10,000	

753-B वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 18 मई 2024

5	villagers for the carbon sequestration		
	Total	10,35,900	1,74,000

6. सी.ई.आर. मद में निम्नानुसार राशि रु. 0.40 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :—

सी.ई.आर. मद में प्रस्तावित गतिविधियाँ	राशि (रु.में)
ग्राम पिपरा के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में पदस्थ चिकित्सक के परामर्श से आवश्यक सामग्री प्रदान की जाएगी।	40,000/-
कुल	40,000/-

7. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 4056 वृक्षों का वृक्षारोपण :—

कं.	वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1.	बैरियर जोन के अंतर्गत एवं गैर खनन क्षेत्र में	स्थानीय पौधों की प्रजातियाँ जैसे:- कालासिरिस, सफेदसिरिस, आंवला, सीताफल, गुआवा, आम कटहल मुनगा हाइब्रिड महुआ अचार आदि	4056
उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में किया जायें एवं लीज अवधि तक उन पौधों का रख-रखाव / मृत पौधों का बदलाव खनन् अवधि तक किया जाये। गरलेण्ड इ़ेन तथा सेटलिंग टैंक के बंड पर स्थानीय बीज बोबाई कर उनका संरक्षण किया जाना। परियोजना प्रस्तावक ग्रामीणों में पौधों का वितरण के समय गॉव का नाम, लाभांवित व्यक्ति का नाम एवं प्रजाति का विवरण देते हुए पर्यावरणीय स्वीकृति के पालन प्रतिवेदन में शामिल करेंगे।			

अनुशंसा— प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्तों के साथ परियोजना को पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

7. **Case No. 10562/2023 Shri Pratav Singh Tomar, Owner, M/s Tomar Builders and Contractors Private Limited, R/o A-1/8, Vinay Nagar, Sector-4, District-Gwalior (MP)-474012, Prior Environment Clearance for Keruaa**

753-B वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 18 मई 2024

**Stone Quarry in an area of 3.90 ha. (150000 cum per year) (Khasra No. 290),
Village-Kairua, Tehsil-Bhitarwar, District-Gwalior (MP) [428362] (B2).**

प्रकरण आज सेक की 753वीं बैठक दिनांक 18/05/24 को प्रस्तुतीकरण हेतु सूचीबद्ध था, जिसमें परियोजना प्रस्तावक / उनके पर्यावरणीय सलाहकार समिति के समक्ष उपस्थित नहीं हुए। समिति ने चर्चा उपरांत निर्णय लिया कि परियोजना प्रस्तावक से प्रस्तुतीकरण हेतु अनुरोध प्राप्त होने के पश्चात प्रकरण की समीक्षा हेतु विचार किया जा सकेगा।

8. **Case No. 11035/2023 Shri Deepak Paliwal, Owner, Station Road, Ward No. - 05, Mungaoli, District-Ashoknagar (MP)-473443, Prior Environment Clearance for Mirkabad Crusher Stone Quarry in an area of 2.00 ha. (24795 cum per year) (Khasra No. 35/1/2), Village-Mirkabad, Tehsil-Mungaoli, District-Ashoknagar (MP) [430644] [DEIAA] (B2). Referred Back by SEIAA.**

प्रकरण समिति की पूर्व की 734 वीं बैठक दिनांक 01/04/24 को पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु प्रकरण सिया को प्रेषित किया गया था।

सिया की 847वीं बैठक दिनांक 01/05/2024 में उक्त प्रकरण को पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाधात निर्धारण प्राधिकरण प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निम्नानुसार निर्णय लिया गया :—

- कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला—अशोकनगर के एकल प्रमाण—पत्र कमांक 445 दिनांक 03/05/2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में 02 खदानें स्वीकृत हैं, जिनको मिलाकर कुल रकबा 4.00 है. होता है, जबकी परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत अनुमोदित खनन योजना के अक्षांश देशांश के आधार गूगल ईमेज के अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में कुल 03 खदाने परिलक्षित हो रही है, जिनका कुल रकबा 5.0 है. से अधिक होने के कारण क्लस्टर की स्थिती निर्मित हो रही है, जिससे प्रकरण संभवतः बी—1 श्रेणी का होना प्रतीत हो रहा है।
- SEAC की अनुसंशानुसार “इस क्षेत्र से लगे हुये साइनिंग क्षेत्र से पर्यावरणीय अभिस्वीकृति प्राप्त खदानों द्वारा ई.सी. की शर्तों का पालन होना परिलक्षित नहीं हो रहा है। अत पर्यवरण स्वीकृति में शर्तों के पालन के विकाय पर जिला खनन कार्यालय को माध्यम से इनकी शर्तों के सत्यापन की आवश्यकता प्रतीत होती है। “चूंकि अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट अनुसार प्रस्तावित खदान की 500 मीटर की परिधि में खसरा क. 35/1/2 मे श्री दीपक पालीवाल के नाम 01 अन्य खदान भी स्वीकृत संचालित होना दर्शित है।

753-B वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक

दिनांक 18 मई 2024

- कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला—अशोकनगर के एकल प्रमाण—पत्र कमांक 445 दिनांक 03/05/2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में 02 खदानें स्वीकृत हैं, जिनको मिलाकर कुल रकबा 4.00 है. होता है, जबकी परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत अनुमोदित खनन योजना के अक्षांश देशांश के आधार गूगल इमेज के अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में कुल 03 खदाने परिलक्षित हो रही है, जिनका कुल रकबा 5.0 है. से अधिक होने के कारण कलस्टर की स्थिती निर्मित हो रही है, जिससे प्रकरण संभवतः बी—1 श्रेणी का होना प्रतीत हो रहा है।
- SEAC की अनुसंशानुसार "इस क्षेत्र से लगे हुये साइनिंग क्षेत्र से पर्यावरणीय अभिस्वीकृति प्राप्त खदानों द्वारा ई.सी. की शर्तों का पालन होना परिलक्षित नहीं हो रहा है। अत पर्यावरण स्वीकृति में शर्तों के पालन के विकाय पर जिला खनन कार्यालय को माध्यम से इनकी शर्तों के सत्यापन की आवश्यकता प्रतीत होती है। "चूंकि अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट अनुसार प्रस्तावित खदान की 500 मीटर की परिधि में खसरा क्र. 35/1/2 में श्री दीपक पालीवाल के नाम 01 अन्य खदान भी स्वीकृत संचालित होना दर्शित है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाधात निर्धारण प्राधिकरण द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निर्णय लिया गया की उपरोक्त संवेदनशीलता के दृष्टिगत SEAC द्वारा कलेक्टर जिला अशोकनगर से प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में स्वीकुतिध संचालित खदानों की स्पष्ट जानकारी एवं परियोजना प्रस्तावक को डिया द्वारा जारी पर्यावरणीय स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों के अनुपालन प्रतिवेदन की सत्यापित प्रति प्राप्त कि जाये। अतः प्रकरण पुनः परीक्षण हेतु SEAC को प्रेषित किया जाये। तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जाये।

प्रकरण समिति आज दिनांक 18/05/24 को समिति के समक्ष रखा गया, जिसमें परियोजना प्रस्तावक के पर्यावरणीय सलाहकार पर्यावरणीय सलाहकार श्री आशीष त्रिपाठी मेसर्स ए.जी.एस इंवायरमेंटल सर्विसेस प्रा. लि. दिल्ली. उपस्थित हुए।

इस संबंध में पर्यावरणीय सलाहकार द्वारा बताया गया कि गूगल इमेज के अनुसार 3 खदाने परिलक्षित हैं जिसमें दीपक पालीवाल कि स्वयं कि 2 खदाने हैं जिसमें से खसरा क्र 35/1/2 में श्री दीपक पालीवाल के नाम 1 अन्य खदान 2.000 है कि निरस्ती का आवेदन आवेदक द्वारा खनिज कार्यालय में जमा है जिसकी अवधी 09/06/2023 को समाप्त हो चुकी है। जिसका निरस्तीकरण के लिए आवेदक द्वारा खनिज शाखा में दिया जा चूका है। जिसका विवरण प्रस्तुत किया गया। दीपक पालीवाल की दूसरी खदान समाप्त होने के कारण इसका विवरण एकल प्रमाण पत्र में नहीं दिया गया है। समिति ने परीक्षण उपरान्त पाया कि जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट अनुसार माइनिंग प्लान में अन्य खदान परिलक्षित हो रही है। परियोजना प्रस्तावक की एक खदान जिसकी लीज 2023 में समाप्त हो गई है उसके निरस्तीकरण हेतु दिनांक 17/05/2023 को माईनिंग अधिकारी को आवेदन दिया गया है।

753-B वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 18 मई 2024

अतः समिति ने चर्चा उपरांत अपनी पूर्व सेक की 734 वीं बैठक दिनांक 01/04/24 मेर्यावरण स्वीकृति की अनुशंसा को यथावत रखने का निर्णय लिया है।

- 9. Case No 9997/2023 Shri DHARMENDRA PATIDAR, Proprietor, Devari Khawasa Stone (Gitti) Quarry Project Gram-Devri khawasa Tehsil-Manasa Dist-Neemuch (M.P.) Prior Environment Clearance for Stone Quarry in an area of 4.0 ha. (Stone – 24,538 cum per annum, Waste - 2000 cum per annum) (Khasra No. 1839/2 (Govt.), Village DEWRI KHAWSA Tehsil Manasa District Neemuch (M.P.)**

प्रकरण समिति की पूर्व की 723वीं बैठक दिनांक 16/02/24 को पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु प्रकरण सिया को प्रेषित किया गया था।

सिया ने पत्र क्रमांक 75 दिनांक 12/04/24 के द्वारा परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत अनुमोदित खनन् योजना के अक्षांश-देशांश के आधार पर गूगल इमेज के अनुसार खदान क्षेत्र के अंदर केशर परिलक्षित है, जिसके संबंध में सेक द्वारा अपने कार्यवाही विवरण में कोई उल्लेख नहीं किया गया है कि क्या लीज क्षेत्र के अंदर केशर स्थापित रहेगा या नहीं, के दृष्टिगत प्रकरण समिति को पुनः परीक्षण हेतु भेजा गया है।

प्रकरण को समिति के समक्ष आज दिनांक 18/05/24 को रखा गया, जिसमें जिसमें परियोजना प्रस्तावक के पर्यावरणीय सलाहकार श्री वरूण भारद्वाज, मेसर्स Zenith Environment Consultancy, Noida, Uttar Pradesh उपस्थित हुए।

समिति द्वारा प्रकरण का परीक्षण करने पर पाया कि खनन क्षेत्र के अन्दर कशर होना पाया गया, इस संबंध में समिति द्वारा कशर के कारण होने वाले पर्यावरणीय प्रभाव की रोकथाम हेतु ईएमपी कॉस्ट में 1.5 लाख तथा 15 हजार रिकरिंग कॉस्ट का प्रावधान करने की शर्त के साथ अनुशंसा करती है।

अतः समिति ने चर्चा उपरांत अपनी पूर्व सेक की 723वीं बैठक दिनांक 16/02/24 मेर्यावरण स्वीकृति की अनुशंसा को यथावत रखने का निर्णय लिया है।

- 10. Case No 10455/2023 Shri Nitin Chouhan, Owner, R/o 27, Sukhniwas, District-Indore (MP)-453331, Prior Environment Clearance for Sitapat Crusher Stone Quarry in an area of 1.55 ha. (12500 cum per year) (Khasra No. 209/1/1), Village-Sitapat, Tehsil-Mhow, District-Indore (MP)**

753-B वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक

दिनांक 18 मई 2024

प्रस्तावित खदान का समिति की 696वीं बैठक दिनांक 22/11/23 को प्रस्तुतीकरण हुआ था। यह प्रकरण डिया द्वारा जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के री-एपराईजल हेतु प्राप्त हुआ है। प्रस्तुत प्रकरण को डिया से इसी प्राप्त हुई है। परियोजना प्रस्तावक एवं उनके सलाहकार द्वारा दिया गया प्रस्तुतीकरण पूर्ण नहीं पाया गया। अतः समिति द्वारा पुनः निम्न बिन्दुओं पर जानकारी एवं आवश्यक दस्तावेजों के साथ प्रस्तुत करने हेतु निर्देश दिये गये:

1. Copy of Form-I
2. Land status/P2:
3. Area & Location with Khasra no:
4. Current Ekal Praman Patra
5. Status of Eco-Sensitive Zone (mentioned in Old & new Ekal Praman Patr/SEIAA Proposal/DEIAA EC)
6. Production capacity and year wise production details, in tabular form till today:
7. OB Dump and waste management with facts and figures:
8. Top soil management with soil profile:
9. Detail of old Environment Clearance with validity period:
10. EC transfer details (if any), old EC no.....date.....
11. Lease agreement details with compliance of LRC provisions
12. Water requirement (KLD):
13. Green Area: in hac. & Number of plants to be planted (Proposed)
14. No of trees & tree felling total tree inventory with photos:
15. Work Done under CER with coordinates, photos & verifiable proof:
16. Compliance of EC conditions (EC granted by DEIAA):
 - Tree plantation (Target/compliance/ Photographs)
 - GPS Photo graphs of at least 25% plantation for the proposed plantation.
 - Fencing work (Polygon with GPS photos showing complete fencing in total periphery)
 - GPS Photo graphs of Garland drains length & number & size of settling tanks
 - Detail of plants distribution with list : name of villager's, mobile number, number of plants name of village.
 - Verifiable proof of CER
17. Drone photograph of 500 m radius of proposed area.
18. Carbon footprint.
19. Compliance of water/ air consents issued by MPPCB.

Note: 1. Form-I should tally with presentation (PPT) figures
2. Furnished data should be supported with Geo-tagged photographs.
3. Surface plan should include over burden storage and details of crusher location (established/to be established) with all norms.

उपरोक्त जानकारी प्राप्त हो गई है, जिसे आज दिनांक 18/05/24 को समिति के समक्ष रखा गया, जिसमें परियोजना प्रस्तावक नितिन चौहान एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री अंकुर शर्मा ऑनलाईन, मेसर्स कांगनीजेंस रिसर्च इंडिया प्रा.लि., नोएडा, उ.प्र. उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

753-B वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक

दिनांक 18 मई 2024

उपरोक्त खदान को पूर्व में डिया जिला स्तरीय समिति द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान की गई थी, जिसकी शर्तों के पालन प्रतिवेदन एवं अन्य बिन्दुओं के दृष्टिगत पुर्ण मूल्यांकन हेतु समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया है। समिति द्वारा ई.सी. में अधिरोपित शर्तों की समीक्षा की गई।

डिया की ई.सी. में अधिरोपित शर्तों की समीक्षा	पालन प्रतिवेदन की वर्तमान स्थिति
लीज के चारों ओर फेन्सिंग की वर्तमान स्थिति	लगभग 40 प्रतिशत पायी गई।
ई.सी. में अधिरोपित शर्तों के अनुसार वृक्षारोपण की वर्तमान स्थिति एवं बेरियर जोन में 7.50 मीटर पर वृक्षारोपण	अपूर्ण पायी गई। बेरियर जोन खुदा हुआ है।
गारलेण्ड ड्रेन एवं सेटलिंग टैंक की वर्तमान स्थिति	लगभग 10 प्रतिशत पायी गई।
अनुमोदित मार्झिनिंग प्लान के अनुसार खनन किये गये पिट्स में बैंचेस की स्थिति।	अवलोकित नहीं हुई।
पौधारोपण की स्थिति	परियोजना प्रस्तावक द्वारा अवगत कराया गया कि खदान क्षेत्र में लगभग .150 पेड़ लगाये गये एवं 50 पेड़ बांटे गये।
ई.सी. में अधिरोपित शर्तों के अनुसार सामाजिक कार्य का विवरण भौतिक लक्ष्य, बजट	सामाजिक कार्य के अन्तर्गत स्कूल रोड आदि के प्रमाणिक साक्ष्य प्रस्तुत किये।

लीज एरिया के अंदर उत्तर दिशा में कशर है, बेरियर जोन खुदा हुआ है। 300 पौधों का वितरण किया गया। ई. सी. की शर्तों का कम्पलाइंस कब तक पूर्ण कर लिया जायेगा। कशर के कारण होने वाले पर्यावरणीय प्रभाव के लिये ईएमपी कॉस्ट में 1.5 लाख तथा 15 हजार रिकरिंग कॉस्ट का प्रावधान करने की निम्न शर्त के साथ अनुशंसित किया जाता है।

In case of change in ultimate pit block (Surface plan) due to setback imposed in accordance with order of NGT/CPC/M.P. MMR 1996 or any environmental sensitivity.

"The PP should obtain Modified Mining Plan / Scheme of mining before opening of the mine of capacity approved in EC. The Environment Management Plan Geological Plan & Section, Development plan, Conceptual Plan should be accordingly revised in

753-B वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 18 मई 2024

the approved Mining Plan /SOM by the competent authority with respect to year-wise production."

11. Case No 10302/2023 Shri Chandrabhan Yadav, Partner, M/s Sadguru Sai Granite, R/o Satyadev Nagar, Gandhi Road, 301, Satyam Residency Apartment, Gird, R K Puri, District-Gwalior (MP)-474011, Prior Environment Clearance for Thanra Crusher Stone Quarry in an area of 2.53 ha. (30000 cum per year) (Khasra No. 2846), Village-Thanera, Tehsil-Karera, District-Shivpuri (MP)

प्रकरण समिति की पूर्व की 729 वीं बैठक दिनांक 05/01/24 को पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु प्रकरण सिया को प्रेषित किया गया था।

सिया द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निम्नानुसार निर्णय लिया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत अनुमोदित खनन योजना के अक्षांश देशांस के आधार गूगल ईमेज के अनुसार खदान क्षेत्र में क्षेत्र स्थापित है तथा प्रकरण में ब्लास्टिंग प्रस्तावित है के दृष्टिगत प्रकरण पुनः परीक्षण हेतु सेक को प्रेषित किया गया है।

प्रकरण को समिति के समक्ष आज दिनांक 18/05/24 को रखा गया, जिसमें जिसमें परियोजना प्रस्तावक ऑनलाईन एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री अमर सिंह यादव, ऑनलाईन, मेसर्स एसीरिज इंवायरोटेक इंडिया प्रा.लि., नोयडा, (उ.प्र.) उपस्थित हुए।

QUERY RAISED BY SEIAA

20. प्रकरण क्र. 10302/2023 परियोजना प्रस्तावक श्री चन्द्रभान यादव, पार्टनर, मेसर्स सदगुरु साई ग्रेनाइट, निवासी सत्यदेव नगर, गांधी रोड, 301, सत्यम रेसीडेन्सी अपार्टमेन्ट, ग्रिड, आर.के.पुरी, जिला ग्वालियर (म.प्र.) द्वारा पत्थर खदान (ओपनकास्ट सेमी मेकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 30000 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 2.53 हेक्टेयर, खसरा 2846, ग्राम थानेरा, तहसील करेरा, जिला शिवपुरी (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 729वीं बैठक दिनांक 05.01.2024 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तों (परिशिष्ट-ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाधात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निम्नानुसार निर्णय लिया गया :—

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत अनुमोदित खनन योजना के अक्षांश देशांश के आधार गूगल ईमेज के अनुसार खदान क्षेत्र में क्षेत्र स्थापित है, तथा प्रकरण में ब्लास्टिंग प्रस्तावित है के दृष्टिगत प्रकरण पुनः परीक्षण हेतु SEAC को प्रेषित किया जाये। तदानुसार परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

753-B वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 18 मई 2024

PP submitted following query reply :

- सिया द्वारा प्रश्न किया है अनुमोदित खनन योजना के अक्षांश-देशांश के आधार पर गुगल ईमेज के अनुसार खदान क्षेत्र में क्रेशर स्थापित है, किन्तु खदान क्षेत्र में क्रेशर का कन्वेयर है एवं क्रेशर खदान क्षेत्र के बाहर स्थापित है। अनुमोदित खनन योजना अनुसार लीज धारक वर्ष 2024-25, 2025-26 एवं 2026-27, में खनन के दौरान कन्वेयर बेल्ट उस क्षेत्र से हटा ली जायेगी
- अनुमोदित खनन योजना अनुसार खनन के दौरान ब्लास्टिंग प्रस्तावित है एवं खदान क्षेत्र के आस-पास कोई भी मानव बसाहट जलीय निकाय नहीं है, 400 मीटर पर स्टेट हाईवे है अतः ब्लास्टिंग हेतु 200 मीटर का मापदण्ड पूर्ण होता है

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति विशिष्ट शर्तों एवं स्टेपडर्ड शर्तों संलग्नक-ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:-

1. अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता – 30,000 मी.³
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रु. 15,82,000/- एवं रिकरिंग राशि रु. 3,17,000/- प्रति वर्ष ।

SL.N	Particulars	Capital (inRs.)	Cost	Recurring Cost (in Rs.)
A. FOR ENVIRONMENTAL PROTECTION				
1(a)	Water sprinkling through tanker sprinkling system both on haul road and transportation road.	Nil	20,000	
1 (b)	Cost of water of 2000ltr.@0.15 rupees/liter for 300 days), Regular Uses	Nil	90,000	
	Cost of water of Plantation 5000ltr.@0.15 rupees/liter * 2 for 43 weeks, (twice in a week).	Nil	64,500	
2	Garland Drain is proposed(559m x 2m x 1.5m) And two Settling tank in SS pattern (10m x 02m x 02)	80,000	10,000	
3	Barbed wire fencing (along the lease boundary) with cemented boundary pillars @500 x 559	2,79,500	5,000	
4	Plantation @ Rs. 200/plant, Barrier zone & village Total plantation in Barrier zone area is 1900 x Rs.200	4,80,000	20,000	
	Plantation @ Rs. 500/plant with tree guards Total plantation in approach road is 100 x Rs.500			
	Plants distribution @ Rs. 50/plant. Total plant distribution (1000 X Rs. 50)			
5	Pucca Approach Road maintenance with Speed breakers, Sign Boards, Reflectors, Development of T-Point etc. 500m x 5m) @500/sqm	2,50,000	10,000	

753-B वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 18 मई 2024

6	Monitoring (AAQM, Noise & Water twice in a year) @ Rs. 40,000 for two locations/year	Nil	40,000
7	Drinking Water Facility for labour and staff (one water cooler/20 labour @ Rs. 10,000/cooler) & Rs. 2000/year for maintenance	10,000	2000
8	Separate Toilets for Male and Female @15000X2 and Rs. 3000/year for maintainenecce.	30,000	3000
9	Occupational Medical Check-up for 15 workers @500/worker (twice in a year)	Nil	15,000
10	First Aid Box & Fire fighting equipments @25000X2 & Rs. 2000/year for maintainenecce.	50,000	2000
11	PPEs for other mining operations for 15 worker@ Rs. 1500/worker	22,500	5,000
12	Shelter rooms for labors (20*20)=400 Square feet @Rs.800/square ft.	3,20,000	10,000
13	Two dustbins & development of solid waste management system @ Rs. 5000/system and Rs. 2000/year maintainenecce.	10,000	2000
14	Half yearly PUC certification for 6 trucks @1000/truck	1	6000
15	Grazing Land development Rs. @ 5000 for mines up to 5.00 ha and Rs. 10,000 for mines>5.00 ha. (Grass- Dicanthium, Punia, Siran, Themada)	Nil	Nil
16	Miscellaneous Expenses such as for 02 solar lights, (@ Rs. 8000/light) Web site development & maintainenecce (@ Rs. 5,000/mine) Web Camera (04), (per camera @ 3500) Display Board at mine entrance (@ 2000/board) etc. (Website will be updated every three months)	50,000	5000
17	VT Trainings for 15 workers (minimum@ Rs. 500/Labour)	Nil	7500
Total		15,82,000	3,17,000

3. सी.ई.आर. मद में निम्नानुसार राशि रु. 0.60 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :—

सी.ई.आर. मद में प्रस्तावित गतिविधियाँ	राशि (रु.में)
शासकीय उप— स्वास्थ्य केन्द्र थनरा में दो व्हील चेयर एवं चार बेड (गददे, तकिया एवं चादर सहित) उपरोक्त राशि रु. 0.60 लाख शिक्षक पालक संघ मे भू प्रवेश से तीन माह के भीतर जमा करेंगे	60,000/-

4. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख—रखाव के साथ) कम से कम 3000 वृक्षों का वृक्षारोपण :—

कंप	वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	बैरियर जोन में	जामुन, कटहल, मुनगा,	1500

753-B वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 18 मई 2024

		आम, सीताफल, इमली, आवंला, एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ	
2	परिवहन मार्ग में (न्यूनतम ऊँचाई 1.5 मीटर ट्री-गार्ड के साथ)	कदम्ब, कचनार, चिरोल, नीम, पीपल, आम एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ ट्री गार्ड के साथ	100
3	शास. अंकुर योजना के तहत पिपरिया घनश्याम ग्रामवासियों में वितरण हेतु	इमली, आवंला, नीबू बेल, आम, जामुन, कटहल, मुनगा, एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ।	1000
उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में किया जायें एवं 03 वर्ष तक उन पौधों का रख—रखाव / मृत पौधों का बदलाव खनन् अवधि तक किया जाये। गारलेण्ड ड्रेन तथा सेटलिंग टैंक के बंड पर स्थानीय बीज बोबाई कर उनका सरक्षण किया जाना परियोजना प्रस्तावक ग्रामीणों में पौधों का वितरण के समय गाँव का नाम, लाभावित व्यक्ति का नाम एवं प्रजाति का विवरण देते हुए पर्यावरणीय स्वीकृति के पालन प्रतिवेदन में शामिल करेंगे।			

अतः समिति ने चर्चा उपरांत अपनी पूर्व सेक की 729 वीं बैठक दिनांक 05/01/24 मे
र्पर्यावरण स्वीकृति की अनुशंसा को यथावत रखने का निर्णय लिया है।

12. Case No 10306/2023 Shri Varun Tiwari, Lessee, R/o Singrauli, Tehsil & District-Singrauli (MP)-486889 Prior Environment Clearance for Chatri Soil Quarry in an area of 1.76 ha. (3292 cum per year) (Khasra No. 1711, 1712, 1718), Village-Chatari, Tehsil-Chitrangi, District-Singrauli (MP)

प्रकरण आज सेक की 753वीं बैठक दिनांक 18/05/24 को प्रस्तुतीकरण हेतु सूचीबद्ध था, जिसमें परियोजना प्रस्तावक / उनके पर्यावरणीय सलाहकार समिति के समक्ष उपस्थित नहीं हुए। समिति ने चर्चा उपरांत निर्णय लिया कि परियोजना प्रस्तावक से प्रस्तुतीकरण हेतु अनुरोध प्राप्त होने के पश्चात प्रकरण की समीक्षा हेतु विचार किया जा सकेंगा।

13. Case No 10183/2023 Shri Amit Bhawsar, Proprietor, M/s Sundaram Suppliers, R/o Khargone District-Khargone (MP)-451001, Prior Environment Clearance for Mominpura Crusher Stone and M-Sand Quarry in an area of 2.853 ha. (Stone-Gitti-10080, M-Sand-7020 cum per year) (Khasra No. 05), Village- Mominpura, Tehsil- Khargone, District-Khargone (MP).B-2

753-B वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 18 मई 2024

प्रकरण समिति की पूर्व की 679वीं बैठक दिनांक 01/09/23 को प्रस्तुतीकरण हुआ था। प्रस्तुतीकरण के पश्चात् समिति ने परियोजना प्रस्तावक निम्न जानकारी प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गय थे:—

परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस प्रकरण पर्यावरणीय स्वीकृति डिया से 18/10/17 को जारी हुई है एवं खनन् का कार्य पूर्व में हुआ है डिया द्वारा अधिरोपित ई.सी. में अधिरोपित शर्तों के अनुसार फेंसिंग, वृक्षारोपण एवं सी.ई.आर. संबंधी शर्तों का पालन होना चाहिए था। अतएव समिति ने परियोजना प्रस्तावक को निर्देशित किया कि ई.सी. शर्तों के अनुसार फेंसिंग, वृक्षारोपण एवं स्थायी प्रकृति का समाजिक कार्य की प्रमाणिक प्रति एवं अन्य शर्तों का शत् प्रतिशत पालन प्रतिवेदन एवं दस्तावेज, व्यय, फोटोग्राफ सहित प्रस्तुत करें तब उनके प्रकरण पर विचार किया जायेगा।

प्रकरण का समिति की 700वीं बैठक दिनांक 14/12/2023 को प्रस्तुतीकरण हुआ था। प्रकरण डिया से सिया को री-एपराईजल हेतु प्राप्त है अतः डिया द्वारा ई.सी. में अधिरोपित शर्तों के पालन प्रतिवेदन के साथ परियोजना प्रस्तावक जानकारी प्रस्तुत करें।

प्रकरण पुनः समिति की 717वीं बैठक दिनांक 24/01/24 को पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु अनुशंसा सिया को प्रेषित की गई थी।

सिया ने प्रकरण को समिति को पुनः परीक्षण हेतु वापिस भेजा है, जिसे समिति के समक्ष आज दिनांक 18/05/24 को रखा गया, जिसमें परियोजना प्रस्तावक श्री अमित भावसार एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री अमर सिंह यादव, ऑनलाईन मेसर्स एसीरीज इंनवायरोटेक इंडिया प्रा. लि. लखनऊ उपस्थित हुए।

753-B वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 18 मई 2024

QUERY RAISED BY
SEIAA

14. प्रकरण क्र. 10183 / 2023 परियोजना प्रस्तावक मेरसर्स सुन्दरम् सप्लायर्स प्रो. श्री अमित भावसार, निवासी खरगोन जिला खरगोन (म.प्र.) द्वारा पत्थर खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता पत्थर 10,080 घनमीटर प्रतिवर्ष एवं एम-सैण्ड, 7,020 घनमीटर प्रतिवर्ष रकबा 2,853 हेक्टेयर, खसरा 05, ग्राम मोमीनपुरा, तहसील खरगोन, जिला खरगोन (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 717वीं बैठक दिनांक 24.01.2024 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टेप्डर्ड शर्तों (परिशिष्ट-ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाधात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि चूंकि एम.सैण्ड निर्माण हेतु पूर्व पर्यावरण स्वीकृति आवश्यक नहीं है, इस हेतु म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से केवल सी.टी.ई./सी.टी.ओ प्राप्त करना उचित होगा। अतः प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु निर्णय प्राधिकरण की आगामी बैठक में लिया जायेगा। परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाधात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निर्णय लिया गया :-

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत अनुमोदित खनन योजना के अक्षांश देशांश अनुसार गूगल इमेज के आधार पर प्रस्तावित खदान के समीप केशर प्लान्ट स्थापित है एवं 70 मी. पर आबादी है अतः उपरोक्त पर्यावरण संवेदनशीलता के दृष्टिगत प्रकरण पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित किया जाये। तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जाये।

QUERY REPLY submitted by the Env C onsultant which are as follows:-

- गूगल इमेज अनुसार खदान के पूर्व दिशा में क्रेशर स्थापित है जो कि खदान क्षेत्र के बहार है एवं आबादी 70 मीटर पर है जिस कारण 30 मीटर का गैर खनन क्षेत्र दर्शाते हुए संशोधित सरफेस मैप प्रस्तुतीकरण में प्रस्तुत किया जा चूका है चूंकि अनुमोदित खनन योजना अनुसार ब्लास्टिंग प्रस्तावित नहीं है अतः इस प्रकार 100 मीटर का मापदंड पूर्ण होता है

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति विशिष्ट शर्तों एवं स्टेप्डर्ड शर्तों संलग्नक-ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:-

- अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता - 17,100 मी.³
- पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रु. 18,22,000/- एवं रिकरिंग राशि रु. 3,34,500/- प्रति वर्ष।

SL.N	Particulars	Capital (inRs.)	Cost	Recurring Cost (in
------	-------------	--------------------	------	--------------------------

753-B वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 18 मई 2024

			Rs.)
B. FOR ENVIRONMENTAL PROTECTION			
1(a)	Water sprinkling through tanker sprinkling system both on haul road and transportation road.	Nil	20,000
1 (b)	Cost of water of 2000ltr.@0.15 rupees/liter for 300 days), Regular Uses	Nil	90,000
	Cost of water of Plantation 5000ltr.@0.15 rupees/liter * 2 for 43 weeks, (twice in a week).	Nil	64500
2	Garland Drain is proposed(734m x 2m x 1.5m) And two Settling tank in SS pattern (10m x 02m x 02)	1,00,000	10,000
3	Barbed wire fencing (along the lease boundary) with cemented boundary pillars @500 x 734	3,67,000	20,000
4	Plantation @ Rs. 200/plant, Barrier zone & village Total plantation in Barrier zone area is 1900 x Rs.200	5,55,000	20,000
	Plantation @ Rs. 500/plant with tree guards Total plantation in approach road is 200 x Rs.500		
	Plants distribution @ Rs. 50/plant. Total plant distribution (1500 X Rs. 50)		
5	Pucca Approach Road maintenance with Speed breakers, Sign Boards, Reflectors, Development of T-Point etc. 300m x 5m) @500/sqm	1,50,000	20,000
6	Monitoring (AAQM, Noise & Water twice in a year) @ Rs. 40,000 for two locations/year	Nil	40,000
7	Drinking Water Facility for labour and staff (one water cooler/30-50 labour @ Rs. 10,000/cooler) & Rs. 2000/year for maintenance	10,000	2000
8	Separate Toilets for Male and Female @15000X2 and Rs. 3000/year for maintainenecce.	30,000	3000
9	Occupational Medical Check-up for workers 16 @500/worker (twice in a year)	Nil	16,000
10	First Aid Box & Fire fighting equipments @25000X2 & Rs. 2000/year for maintainenecce.	50,000	2000
11	PPEs for other mining operations for 16 worker@ Rs. 1500/worker	30,000	5,000
12	Shelter rooms for labors (20*20)=400 Square feet @Rs.800/square ft	3,20,000	10,000
13	Two dustbins & development of solid waste management system @ Rs. 5000/system and Rs. 2000/year maintainenece.	10,000	2000
14	Half yearly PUC certification for 5 trucks @1000/truck		5000
15	Grazing Land development Rs. @ 5000 for mines up to 5.00 ha and Rs. 10,000 for mines>5.00 ha. (Grass- Dicanthium, Punia, Siran, Themada)	50,000	Nil
16	Miscellaneous Expenses such as for 02 solar lights, (@ Rs. 8000/light) Web site development & maintainenece (@ Rs. 5,000/mine) Web Camera (04), (per camera @ 3500) Display Board at mine entrance (@ 2000/board) etc. (Website will be updated every three months)	50,000	5000
	Total	18,22,000	3,34,500

753-B वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 18 मई 2024

3. सी.ई.आर. मद में निम्नानुसार राशि रु. 1.00 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :—

सी.ई.आर. मद में प्रस्तावित गतिविधियाँ	राशि (रु.में)
शासकीय उप— स्वास्थ्य केन्द्र मोमिनपुरा में दो व्हील चेयर एवं चार बेड (गददे, तकिया एवं चादर सहित) उपरोक्त राशि रु. 0.60 लाख शिक्षक पालक संघ मे भू प्रवेश से तीन माह के भीतर जमा करेंगे	1,00,000/-

4. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख—रखाव के साथ) कम से कम 3600 वृक्षों का वृक्षारोपण :—

क्रं	वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	बैरियर जोन में	नीम, बॉस, करंज, आम, सीताफल, खमेर, एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ	1500
2	परिवहन मार्ग में (न्यूनतम ऊँचाई 1.5 मीटर ट्री—गार्ड के साथ)	कदम्ब, कचनार, चिरोल, नीम, पीपल, आम एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ ट्री गार्ड के साथ	200
3	शास. अंकुर योजना के तहत पिपरिया घनश्याम ग्रामवासियों मे वितरण हेतु	इमली, आवंला, नीबू बेल, आम, जामुन, कटहल, मुनगा, एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ।	1500
4	ग्राम पंचायत भवन, शासकीय प्राथमिक शाला एवं शासकीय उप— स्वास्थ्य केन्द्र मे बाउण्डी वॉल की तरफ	कदम्ब, कचनार, चिरोल, नीम, पीपल, आम एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ ट्री गार्ड के साथ	400

उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में किया जायें एवं 03 वर्ष तक उन पौधों का रख—रखाव / मृत पौधों का बदलाव खनन् अवधि तक किया जाये । गारलेण्ड ड्रेन तथा सेटलिंग टैंक के बंड पर स्थानीय बीज बोबाई कर उनका संरक्षण किया जाना । परियोजना प्रस्तावक ग्रामीणों में पौधों का वितरण के समय गाँव का नाम, लाभांवित व्यक्ति का नाम एवं प्रजाति का विवरण देते हुए पर्यावरणीय स्वीकृति के पालन प्रतिवेदन में शामिल करेंगे ।

753-B वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 18 मई 2024

In case of change in ultimate pit block (Surface plan) due to setback imposed in accordance with order of NGT/CPC/M.P. MMR 1996 or any environmental sensitivity.

"The PP should obtain Modified Mining Plan / Scheme of mining before opening of the mine of capacity approved in EC. The Environment Management Plan Geological Plan & Section, Development plan, Conceptual Plan should be accordingly revised in the approved Mining Plan /SOM by the competent authority with respect to year-wise production."

14. Case No. 11111 /2023 Shri BALRAM BANJARA, Lessee, Village - Kundkheda,Tehsil-Manasa,District-Neemuch (M.P), Prior Environment Clearance for Stone Quarry in an area 1.00 ha. (Stone-10,000 cum per year) (Khasra No. 433), Village KHETPALIYA Tehsil Manasa District Neemuch (M.P.).

प्रस्तावित खदान B2 श्रेणी के अंतर्गत डिया द्वारा जारी पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के पुनर्मूल्यांकन का है, जिसमें आज दिनांक 18.05.2024 को परियोजना प्रस्तावक बलराम बजांरा एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार एपेक्स मिनटेक कन्सलटेंट उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	बलराम बजांरा पिता श्री गैरीलाल बजांरा, निवासी –ग्राम कुण्डलखेड़ा, तहसील–मनासा, जिला नीमच म.प्र.
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी / निजी)	433 (नॉन फॉरेस्ट लैंड) 1.00 हेक्टरयेर निजी भूमि
स्थल	ग्राम खेतपालिया, तहसील मनासा, जिला नीमच
लीज स्वीकृति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला नीमच के पत्र क्रमांक - 1878 / खनिज / 2016, दिनांक 22.12.2016 के द्वारा स्वीकृत ।
ब्लास्टिंग / रॉक ब्रेकर	अनुमोदित खनन् योजना अनुसार ब्लास्टिंग है।
प्रकरण की स्थिति	नया प्रोजेक्ट ।
डिया ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	डिया नीमच के पत्र क्रमांक 1866/DEIAA/खनि. / 2016 दिनांक 22.12.2016 के द्वारा पत्थर-10,000 घनमीटर / वर्ष हेतु पर्यावरणीय अनापत्ति प्राप्त है।
टॉर	लागू नहीं है।

753-B वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 18 मई 2024

उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा पत्थर— 10,000 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार पत्थर — 10,000 घनमीटर/वर्ष है।
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला नीमच के एकल प्रमाण—पत्र क्रमांक 1483/खनिज/2023–24 दिनांक 24.11.2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में 1 खदान संचालित/स्वीकृत है, इस प्रकार कुल रकबा 4.00 है. होता है, अतः प्रकरण B2 श्रेणी का है।
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला नीमच के एकल प्रमाण—पत्र क्रमांक 1483/खनिज/2023–24 दिनांक 24.11.2023 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में ने नल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जौन जैव विविधता क्षेत्र स्थित नहीं है एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला नीमच के एकल प्रमाण—पत्र क्रमांक 1483/खनिज/2023–24 दिनांक 24.11.2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, भौक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन/सार्वजनिक भवन/ अमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/ संवेदन फील क्षेत्रों जैसे: रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/तालाब/बांध/स्टॉप डैम/नहर/ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता/नाला नहीं है।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत जालीनेर, जिला नीमच के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक क. /54, दिनांक 30.04.2016 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन् कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है।
केशर की स्थिति	केशर लीज क्षेत्र में प्रस्तावित नहीं है
प्रस्तावि स्थल पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	<ul style="list-style-type: none"> लीज में 1 पेड़ है जो नहीं काटा जाएगा।
प्रस्तावित स्थल की गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति (खदान के 500 मी. की परिधि में स्थित संवेदनशील घटकों	पूर्व चमड़ी 60 मीटर पर पक्की रोड़ है। उत्तर दिशा में 10 मीटर पर कच्ची रोड़ है
प्रस्तावित खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.— 27 के

753—B वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 18 मई 2024

में स्थिति	सरल क्रमांक— 5 पर दर्ज है ।
जन सुनवाई	लागू नहीं है।

प्रकरण को आज दिनांक 18/05/24 को प्रस्तुतीकरण हेतु सूचीबद्ध है, जिसमें परियोजना प्रस्तावक श्री बलराम बजांरा, ऑनलाईन एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री अमित सक्सेना, एपेक्स मिनटेक कन्सलटेंट उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया । जिसमें पश्चिम दिशा में 60 मीटर पर पक्की रोड स्थित है जिसके कारण ब्लास्टिंग संभव नहीं है

SEAC की 753 वीं बैठक दिनांक 18/05/2024 के द्वारा प्रकरण को समिति ने समिति ने चर्चा के उपरांत परियोजना प्रस्तावक के प्रस्ताव को मान्य करते हुए सक्षम प्राधिकारीसे अनुमोदित रूप ब्रेकर का संशोधित माइनिंग प्लान कार्यवाही विवरण जारी होने की दिनांक से एक माह के अंदर परिवेश पोर्टल पर अपलोड करने हेतु ए डी एस जारी करें

- अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता 10,000 घनमीटर/वर्ष पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रु. 9.41 लाख एवं रिकरिंग राशि रु. 2.58 लाख प्रति वर्ष ।

क्रमांक	विवरण	पूँजी लागत (रुपये में)	आवर्ती लागत (रुपये में)
1.अ	हॉल रोड और ट्रांसपोर्ट रोड दोनों पर टैंकर स्प्रिंकलिंग सिस्टम से पानी का छिकाव।	50,000	30,000
1.ब	पानी की कीमत 2.00 KLD	50,000	15,000
2.	स्पीड ब्रेकर, साइन बोर्ड, रिफ्लेक्टर, टी-प्वाइंट आदि का विकास (लंबाई x चौड़ाई) Rs. 900 / मी के साथ 110 मी पक्का एप्रोच रोड निर्माण	99,000	10,000
3.	वृक्षारोपण	1,69,500	50,000

753-B वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 18 मई 2024

4.	निगरानी (एएक्यूएम, शोर और पानी साल में दो बार) @ रु। दो स्थानों/वर्ष के लिए 60,000	-	60,000
5.	श्रमिकों और कर्मचारियों के लिए पेयजल सुविधा (एक वाटर कूलर/30-50 श्रमिक @ रु. 10,000/कूलर) और रु. 2000/वर्ष रखरखाव के लिए।	10,000	2,000
6.	पुरुष और महिला के लिए अलग शौचालय @15000X2 और रु। रखरखाव के लिए 3000 / वर्ष।	30,000	3,000
7.	श्रमिकों और कर्मचारी की नियमित चिकित्सा जांच (वर्ष में दो बार प्रति श्रमिक 500 रु)	-	10,000
8.	प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स और अग्निशमन उपकरण @25000X2 और रु। 2000/वर्ष रखरखाव के लिए।	50,000	4,000
9.	खनन कार्यों के लिए पीपीई @ रु 1500 / कार्यकर्ता	-	15,000
10.	मजदूरों के लिए आश्रय कक्ष (20*20)=400वर्ग फुट	50,000	5,000
11.	दो कूड़ेदान और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली का विकास @ रु. 5000 / प्रणाली और रु 2000/वर्ष रखरखाव।	10,000	4,000
12.	ट्रकों के लिए अर्धवार्षिक पीयूसी प्रमाणीकरण @1000/ट्रक	-	4,000
13.	विविध व्यय जैसे सोलर लाइट, (@ 8000 X 4 सोलर लाइट) वेब साइट विकास एवं रखरखाव (@ रु. 5,000/खनन) वेब कैमरा, (प्रति कैमरा @ 3500 X 4) खदान के प्रवेश द्वार पर डिस्प्ले बोर्ड (@ 2000/) आदि	50,000	4,000

753-B वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 18 मई 2024

14.	मजदूरों के लिए वीटी प्रशिक्षण (न्यूनतम @ 500 रुपये /श्रम)	-	17,000
15	खदान के परिधि में 420 की लम्बाई में फेन्सिंग की जाएगी (@ रु.500/मीटर)की जाएगी	2,10,000	15,000
16	खदान के भीतर Catch drain and garland drains (dimensions 1.5 m X 1m) (लगभग 380 मीटर X Rs. 50/-) एवं siltation ponds (Nos. 6) (3.0 m X 1.5 m X 1.5 m) (Rs. 2,000 X Nos. 6) एवं मजदूरी	31,000	10,000
17	पट्टा क्षेत्र में 7.50 मीटर के प्रतिबंधित क्षेत्र के खुदे हुआ भाग का पुनःभरण किया जायेगा(लंबाई x चौड़ाई) Rs. 600/ मी के साथ 200 मीटर	1,20,000	-
18	निकट ग्राम खेतपलिया LED डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी @500/LED X 25	12,500	-
	कुल योग	9,41,800	2,58,000

6. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रु. 1.00 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :—

सी.ई.आर. मद में प्रस्तावित गतिविधियाँ	राशि (रु.में)
ग्राम खेतपलिया के विद्यालय में अधोसंरचना विकास वित्तीय सहायता उपलब्ध की जाएगी।	1,00,000

7. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 10 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख—रखाव के साथ) कम से कम 1200 वृक्षों का वृक्षारोपण :—

क्रमांक	पौधों का प्रस्तावित स्थान	पौधों के नाम	मात्रा
1	हरित पट्टी (7.50 मीटर बेरियर जॉन 420 मीटर में तीन लाइनों में किया जायेगा)	आम, जामुन, अमरुद, आंवला, अनार, निम्बू, इमली, कटहल, आदि	400
2	पट्टा क्षेत्र के बाहर अप्रोच रोड 110	नीम, पीपल, कचनार, करंज,	110

753-B वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक

दिनांक 18 मई 2024

	मीटर के दोनों ओर 4 फ़ीट की उचाई वाले पौधे लगाए जायेंगे ट्री गार्ड के साथ में	कदम, चिरोल, आदि	
3	ग्रामीणों में पौधों का वितरण	आम, जामुन, अमरुद, आंवला, अनार, निम्बू, इमली, कटहल, आदि	690

उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में किया जायें एवं लीज अवधि तक उन पौधों का रख-रखाव / मृत पौधों का बदलाव खनन् अवधि तक किया जाये। गारलेण्ड ड्रेन तथा सेटलिंग टैंक के बंड एवं अन्य उपलब्ध बीज रोपण हेतु उपर्युक्त स्थल जैसे झाड़ियों के बीच-बीच में आदि पर स्थानीय बीज बोबाई सीधे या सीड़बाल बनाकर किया जावे तथा उनका सरक्षण किया जाना। परियोजना प्रस्तावक ग्रामीणों में पौधों का वितरण के समय गाँव का नाम, लाभांवित व्यक्ति का नाम एवं प्रजाति का विवरण देते हुए पर्यावरणीय स्वीकृति के पालन प्रतिवेदन में शामिल करेंगे।

In case of change in ultimate pit block (Surface plan) due to setback imposed in accordance with order of NGT/CPC/M.P. MMR 1996 or any environmental sensitivity.

"The PP should obtain Modified Mining Plan / Scheme of mining before opening of the mine of capacity approved in EC. The Environment Management Plan Geological Plan & Section, Development plan, Conceptual Plan should be accordingly revised in the approved Mining Plan /SOM by the competent authority with respect to year-wise production."

15. Case No 10463/2023 Smt. Sanjulata Jain, Lessee, R/o 574, Dhekaha Ward No. 3, Panjhreh Bazar , District-Singrauli (MP)-486001, Prior Environment Clearance for Jhingurda Stone Quarry in an area of 2.00 ha. (18169 cum per year) (Khasra No. 33/1, 34/1), Village-Waidhan, Tehsil-Singrauli, District-Singrauli (MP)

प्रस्तावित खदान को जिला स्तरीय समिति द्वारा (डिया) पूर्व पर्यावरण स्वीकृति प्रदान की गई थी, जिसके री-एप्राइजल हेतु प्रकरण आज दिनांक 11/10/2023 को रखा गया था। परियोजना प्रस्तावक श्रीमति संजुलता जैन बैठक में उपस्थित नहीं रही। एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार Mr. Syed Iqtadar Tanweer Ultra Tech Environmental Consultancy, Laboratory, Thane (Maharastra) उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

753-B वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक

दिनांक 18 मई 2024

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना / कम्पनी / संस्थान का नाम व पता	Smt. Sanjulata Jain, Lessee, R/o 574, Dhekaha Ward No. - 3, Panjhreh Bazar, District - Singrauli (MP) - 486001, Prior Environment Clearance for Jhingurda Stone Quarry in an area of 2.00 ha. (18,169 cum per year) (Khasra No. 33/1, 34/1), Village-Waidhan, Tehsil - Singrauli, District - Singrauli (MP) [438360].	
परियोजना का खसरा	खसरा नं.-33 / 1, 34 / 1,	एरिया— 2.00 ha., Govt. Land
परियोजना स्थल	ग्राम— बैठन, तहसील – सिंगरौली, जिला— सिंगरौली (म.प्र.)	
सैंधातिक सहमति	पत्र क्र. दिनांक 15 / 09 / 2017.	
परियोजना की श्रेणी	बी—2.	
खनन् कार्य ब्लास्टिंग / रॉक ब्रेकर	ब्लास्टिंग प्रस्तावित है।	
डिया द्वारा जारी ई. सी. का विवरण (यदि लागू हो)	पत्र क्र. 225 दिनांक 03 / 02 / 2018 द्वारा स्टोन कशिंग क्षमता – 18060 घनमीटर/ वर्ष हेतु जारी की गई थी। परियोजना प्रस्तावक से पूर्व मे प्रदत्त ई.सी. के परिपेक्ष्य में बिन्दु क्र. 13 एवं 15 के परिपेक्ष्य मे पालन प्रतिवेदन लिया जाना प्रस्तावित है।	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा पत्थर – 18,169 घन मी/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार पत्थर—18,169 घन मी./वर्ष हेतु स्वीकृत है।	
परियोजना के 500 मीटर की परिधि में संचालित /स्वीकृत अन्य खदानों का विवरण।	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सिंगरौली के एकल प्रमाण—पत्र क्रमांक 2384 दिनांक 30 / 06 / 2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में 01 अन्य खदानें संचालित/स्वीकृत है, जिनको मिलाकर कुल रकबा 4.00 हे. होता है, अतः प्रकरण बी—2 श्रेणी के अंतर्गत आता है।	
परियोजना के संबंध में डीएफओ की एनओसी	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सिंगरौली के एकल प्रमाण—पत्र क्रमांक 2384 दिनांक 30 / 06 / 2023 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है।	
परियोजना के संबंध राजस्व जानकारी	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सिंगरौली के एकल प्रमाण—पत्र क्रमांक 2384 दिनांक 30 / 06 / 2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, नाला इत्यादि स्थित नहीं है।	
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत/नगर निगम की अनुमति	कार्यालय, नगर पालिक निगम जिला – सिंगरौली का पत्र क्र. 5376 दिनांक 24 / 06 / 2017 द्वारा अनापत्ति पत्र जारी किया गया है।	
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.-41 के सरल क्रमांक – 80 पर दर्ज है।	

यह प्रकरण समिति के समक्ष री-एपराईजल हेतु सिया के माध्यम से ऑनलाईन प्राप्त हुआ है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा समिति को अवगत कराया गया कि प्रस्तावित प्रकरण में

753-B वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 18 मई 2024

उल्लेखित खदान को जिला स्तरीय समिति द्वारा पत्र क्र. 225 दिनांक 03/02/2018, स्टोन कशिंग क्षमता – 18060 घनमीटर / वर्ष के माध्यम से पर्यावरणीय स्वीकृति जारी की गई थी। समिति ने निर्णय लिया कि प्रकरण के री-एपराइजल हेतु परियोजना प्रस्तावक निम्न जानकारी प्रस्तुत करें।

20. Land status/form- PII
21. Area & Location with Khasra no.
22. Current Ekal Praman Patra
23. Status of Eco-Sensitive Zone (mentioned in Old & new Ekal Praman Patr/SEIAA Proposal/DEIAA EC)
24. Production capacity and year wise production details, in tabular form till today:
25. OB Dump and waste management with facts and figures:
26. Top soil management with soil profile:
27. Detail of old Environment Clearance with validity period:
28. EC transfer details (if any), old EC no.....date.....
29. Lease agreement details with compliance of LRC provisions
30. Water requirement (KLD):
31. Green Area: in hac. & Number of plants to be planted (Proposed)
32. No of trees & tree felling total tree inventory with photos:
33. Work Done under CER with coordinates, photos & verifiable proof:
34. Compliance of EC conditions (EC granted by DEIAA):
 - Tree plantation (Target/compliance/ Photographs)
 - GPS Photo graphs of at least 25% plantation for the proposed plantation.
 - Fencing work (Polygon with GPS photos showing complete fencing in total periphery)
 - GPS Photo graphs of Garland drains length & number & size of settling tanks
 - Detail of plants distribution with list : name of villager's, mobile number, number of plants name of village.
 - Verifiable proof of CER
35. Drone photograph of 500 m radius of proposed area.
36. Carbon footprint.
37. Compliance of water/ air consents issued by MPPCB.

Note: 1. Form-I should tally with presentation (PPT) figures

2. Furnished data should be supported with Geo-tagged photographs.

753-B वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 18 मई 2024

3. Surface plan should include over burden storage and details of crusher location (established/to be established) with all norms.

तदानुसार ADS जारी किया जावे।

प्रकरण पुनः समिति की 739 वीं बैठक दिनांक 23/04/23 को पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु नियत था किन्तु परियोजना प्रस्तावक उक्त बैठक में अनुपस्थित रहा।

प्रकरण आज सेक की 753-बी वीं बैठक दिनांक 18/05/24 को प्रस्तुतीकरण हेतु सूचीबद्ध था, जिसमें परियोजना प्रस्तावक / उनके पर्यावरणीय सलाहकार समिति के समक्ष उपस्थित नहीं हुए। समिति ने चर्चा उपरांत निर्णय लिया कि परियोजना प्रस्तावक से प्रस्तुतीकरण हेतु अनुरोध प्राप्त होने के पश्चात प्रकरण की समीक्षा हेतु विचार किया जा सकेगा।

16. Case No 7417/2020 M/s Deep Industries, Shri Amit Mishra, 402, Badagaon Gate, Bahar, Dist. Jhansi, UP, Prior Environment Clearance for Stone Quarry in an area of 4.0 ha. (8,820 to 1,00,000 cum per annum) (Khasra No. 306), Village - Babai, Tehsil - Niwari, Dist. Niwari (MP) (EIA Presentation)

प्रकरण समिति की पूर्व की 684वीं बैठक दिनांक 30/09/23 को प्रस्तुतीकरण हुआ था। प्रस्तुतीकरण के पश्चात समिति ने परियोजना प्रस्तावक निम्न जानकारी प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गय थे:-

समिति ने प्रकरण के परीक्षण के दौरान पाया कि :-

- सिया के पत्र क्रमांक 1596 दिनांक 05/08/21 के द्वारा मा. एनजीटी के ओए नं. 44/21 में पारित आदेश दिनांक 29/11/21 की प्रति प्रेषित कर प्रकरण का परीक्षण करने का उल्लेख है।
- परियोजना प्रस्तावक द्वारा क्षमता विस्तार पत्थर—8,820 to 1,00,000 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है।
- पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति श्री कैलाश गुप्ता के नाम पर जारी हुई थी, जो तत्पश्चात वर्ष 2019 में पर्यावरणीय स्वीकृति श्री अमित मिश्रा के नाम से हस्तांतरित हुई।
- सिया के पत्र क्र. 2782 दिनांक 12.01.2022 में परियोजना प्रस्तावक को निर्देश दिये कि फेस केस के रूप में आवेदन करें।
- परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया।

753-B वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक

दिनांक 18 मई 2024

- परियोजना प्रस्तावक द्वारा 8820 प्रविष्ट की दर से 05 साल में 44100 घन मी निकालना था जिस के विरुद्ध पी.पी ने 19597 घन मी. स्टोन 2019 तक निकाला है।
- सी.टी.ओ 25/05/2019 का अवलोकन किया गया। पुरानी सी.टी.ओ का कोई कंपलाईन्स जमा नहीं किया गया अतः पुराने पी.पी पर कार्यवाही प्रस्तावित है। पूर्व में कैलाश गुप्ता को सीटीओ को वर्ष 2019 को जारी हुआ था जिस का कम्पलाईन्स नहीं हुआ है। और न उस का पालन प्रस्तुत हुआ 2019 का सीटीओ जारी किया गया था उस का भी पालन प्रतिवेदन पूर्व पीपी द्वारा जमा नहीं किया गया अतः समिति को चिंता है की सीटीओ का पालन हों रहा है या नहीं उस का विचार किया जाना होगा।
- विड ब्रेकिंग वाल का अपूर्ण निर्माण होना पाया गया।
- पूर्व शर्तों के अनुसार 45 पौधं प्रति हे. लगाने थे परन्तु 80 से 90 पौधों का रोपण किया गया है अतः शर्त अनुसार पौधे लगाकर पुनः प्रस्तुत करें।
- परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि खदान के 52 मी. एवं 176 मी. पर जो शेड दिखाई दे रहे हैं वे मुर्गीपालन केन्द्र हैं एवं इनको गैर खनन क्षेत्र के रूप में सुरक्षित रखा गया है।
- जो सामाजिक कार्य किये जाने थे नहीं किये गये। चुकी पूर्व की सामाजिक जिम्मेदारी नहीं उठाई गई तथा एक्सपेशन में जनसुनवाई अनुसार 01 लाख रूपये के कार्यों पर सहमति दी गई है परन्तु पुरानी जिम्मेदारी को भी पी.पी को निभाये जाना है अतः 01 लाख रूपये पुरानी तथा नई सामाजिक जिम्मेदारी 03 लाख रूपये का प्रस्ताव दे इस प्रकार 04 लाख की सामाजिक जिम्मेदारी नये पीपी द्वारा स्वीकार की जाती है।
- एम. ओ. ई. एफ. का पालन प्रतिवेदन में की रिपोर्ट में बिन्दु क्रमांक 10 पर मानक शर्तों में दर्शाया गया है जिसमें ट्रेंच व गारलैण्ड ड्रेन बनाने की शर्त पूर्व ई.सी में दी गई थी कंपलाईन्स रिपोर्ट में पूर्ण बताई गई थी परन्तु पीपी ने बताया उक्त कार्य को नहीं किया गया है जिसे वह पूर्ण करेंगे इस आशय का पत्र भी प्रस्तुतीकरण में प्रस्तुत किया है।

प्रस्तुतीकरण उपरांत समिति ने परियोजना प्रस्तावक को निम्नानुसार जानकारी प्रस्तुत करने के निर्देश दिये :

- परियोजना प्रस्तावक का वचन पत्र की एम ओ ई एफ का पालन प्रतिवेदन में जो कंपलाईन्स कार्य अपूर्ण है वे कार्य 01 वर्ष में पूर्ण कर लिये जावेंगे।
- जियो-हाईड्रोलॉजिकल स्टडी प्रस्तुत की जाए।
- पूर्व शर्तों के अनुसार 45 पौधे प्रति हे. लगाने थे परन्तु अभी तक मात्र 80 से 90 पौधों का रोपण किया गया है अतः शर्त अनुसार पौधे लगाकर जियोटेग फोटो के साथ प्रस्तुत करें।
- ट्रेंच व गारलैण्ड ड्रेन बनाने की शर्त का पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत करें।

753-B वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक

दिनांक 18 मई 2024

- समाजिक, आर्थिक जिम्मेदारी के अंतर्गत समिति द्वारा सुझाई गई गतिविधियों का प्रस्ताव मय बजट के प्रस्तुत करें।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्त जानकारी परिवेश पोर्टल पर अपलोड कर दी गई है, जिसे समिति की दिनांक 14/12/2023 को सम्पन्न बैठक में रखा गया, जिसमें परियोजना प्रस्तावक श्री अमित मिश्रा, ऑनलाईन एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री अमर सिंह यादव, मेसर्स एसीरीज इंनवायरोटेक इंडिया प्रा. लि. लखनऊ उपस्थित हुए। समिति ने परीक्षण उपरांत पाया कि उक्त प्रकरण में सिया से पूर्व में ई.सी, प्रकरण क्रमांक 1943 (सिया की इसी पत्र क्रमांक 2838 दिनांक 03/03/2015) को द्वारा जारी की गई थी। सिया द्वारा जारी से पूर्व ई. सी का परीक्षण किया गया।

- पूर्व ई.सी के बिन्दु क्रमांक में 6 मीटर तक गहराई का प्रस्ताव है।
- पूर्व ई. सी में प्रस्तावित वृक्षा रोपण व समाजिक कार्य का लेखन किया गया था, परन्तु यह स्पष्ट नहीं है क्या सामाजिक कार्य किया जायेंगा व कितनी धनराशि व्यय होगी इस विषय में कोई अभिलेख वर्तमान पीपी प्रस्तुत कर सके न रिकार्ड में है। अतः इन बिन्दुओं पर कोई परीक्षण नहीं किया जा सका।

प्रस्तुतीकरण उपरांत समिति ने परियोजना प्रस्तावक को निम्नानुसार जानकारी प्रस्तुत करने के निर्देश दिये :

- रिवाईस्ड सरफेस एवं प्रोडक्शन प्लान प्रस्तुत करें।
- खदान एरिया की फेन्सिंग की कुल लंबाई कितनी है और अभी तक कितनी फेन्सिंग कर ली गई है एवं फेन्सिंग कार्य कब तक पूर्ण करगें पूर्ण जानकारी के साथ प्रस्तुत करें।
- पूर्व ई.सी शर्तों का पालन प्रतिवेदन सूची बनाकर प्रस्तुत करें।
- पुर्नरक्षित वृक्षारोपण स्कीम
- समिति द्वारा सुझायें गयें प्रस्तावित सामाजिक कार्य का विवरण भौतिक लक्ष्य, बजट एवं समय सीमा के साथ प्रस्तुत करें।

उपरोक्त जानकारी प्राप्त होने पर प्रकरण समिति की पूर्व की 723वीं बैठक 16/02/24 को पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति अनुशंसा सिया को भेजी गई थी।

सिया ने पत्र क्रमांक 112 दिनांक 12/04/24 के द्वारा परियोजना प्रस्तावक प्रस्तुत अनुमोदित खनन् योजना के अक्षांश-देशांश के आधार पर गूगल इमेज के अनुसार खदान क्षेत्र के अंदर केशर होना परिलक्षित है, जिसके संबंध में सेक द्वारा अपने कार्यवाही विवरण में कोई उल्लेख नहीं किया गया है एवं भारत सरकार के क्षेत्रीय कार्यालय से सत्यापित अनुपालन प्रतिवेदन में जिन शर्तों का अनुपालन नहीं किया गया हैं, उसके संबंध में 30 दिवस में रिपोर्ट प्रस्तुत करना उल्लेखित है, जिसे परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है, उक्त के दृष्टिगत प्रकरण पुनः परीक्षण हेतु समिति को भेजा गया है।

753-B वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 18 मई 2024

प्रकरण को समिति के समक्ष आज दिनांक 18/5/24 को रखा गया, जिसमें परियोजना प्रस्तावक श्री अमित मिश्रा, ऑनलाईन एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री अमर सिंह यादव, मेसर्स एसीरीज इंजिनियरोंटेक इंडिया प्रा. लि. लखनऊ उपस्थित हुए।

समिति ने सिया की पृच्छा का अवलोकन किया गया और इस संबंध में परियोजना प्रस्ताव द्वारा प्रस्तुतीकरण के दौरान उपरोक्त तथ्यों को समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

गूगल इमेज के अनुसार खदान क्षेत्र के अंदर क्रेशर होना परिलक्षित है जिसको परियोजना प्रस्तावक द्वारा पुनर्रक्षित सरफेस प्लान में प्रस्तुत किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा भारत सरकार के क्षेत्रीय कार्यालय, MoEF & cc से सत्यापित अनुपालन प्रतिवेदन में जिन शर्तों का अनुपालन नहीं किया गया है उन शर्तों का एक्शन प्लान दिनांक 28 सितम्बर 2023 को क्षेत्रीय कार्यालय को ईमेल के माध्यम से प्रेषित किया गया है।

अतः समिति ने चर्चा उपरांत अपनी पूर्व सेक की 723वीं बैठक 16/02/24 में पर्यावरण स्वीकृति की अनुशंसा को यथावत रखने का निर्णय लिया है।

17. Case No 10577/2023 Shri Surendra Jain, Lessee, Panjreh Bazar, District-Singrauli (MP)-486001, Prior Environment Clearance for Misiragawan Stone Quarry in an area of 2.00 ha. (18628 cum per year) (Khasra No. 1128), Village-Misigawan, Tehsil-Chitrangi, District-Singrauli (MP).

Absent

प्रकरण सेक की 691वीं बैठक दिनांक 18/10/23 को प्रस्तुतीकरण हेतु सूचीबद्ध था, जिसमें परियोजना प्रस्तावक / उनके पर्यावरणीय सलाहकार समिति के समक्ष उपस्थित नहीं हुए। समिति ने चर्चा उपरांत निर्णय लिया कि परियोजना प्रस्तावक को प्रस्तुतीकरण हेतु अंतिम अवसर देते हुए प्रकरण आगामी बैठक में रखा जाये।

प्रस्तावित खदान का सेक की 704वीं बैठक दिनांक 19/12/23 को परियोजना प्रस्तावक **Shri Surendra Jain, Lessee** एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री एस.आई. तनवीर मे.0. अल्ट्रा टेक, थाणे (महाराष्ट्र) उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना / कम्पनी / संस्थान का नाम	Shri Surendra Jain, Lessee, Panjreh Bazar, District-Singrauli (MP)-486001, Prior Environment Clearance for Misiragawan Stone Quarry in an area of 2.00 ha. (18,628 cum per year) (Khasra No. 1128), Village-

753-B वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 18 मई 2024

व पता	<i>Misigawan, Tehsil-Chitrangi, District-Singrauli (MP) [438856] [DEIAA].</i>	
परियोजना का खसरा नं./लीज क्षेत्रफल	खसरा नं.-1128,	एरिया- 2.00 ha., निजि भूमि,
परियोजना स्थल	ग्राम— मिसीगांव, तहसील – चितरंगी, जिला— सिंगरौली, (म.प्र.).	
संधातिक सहमति	पत्र क्र. दिनांक 25 / 09 / 2015.	
परियोजना की श्रेणी	बी-2.	
खनन् कार्य ब्लास्टिंग / रॉक ब्रेकर	Short Hole Blasting (As per Parivesh Portal).	
डिया द्वारा जारी ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	DEIAA Singrauli EC issued vide letter No. 105 dated 24/05/2016.	
उत्पादन क्षमता	स्टोन – 18,628 घन मी/वर्ष।	
परियोजना के 500 मीटर की परिधि में संचालित / स्वीकृत अन्य खदानों का विवरण।	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सिंगरौली के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 2385 दिनांक 30 / 06 / 2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में 01 अन्य खदानें स्वीकृत हैं, जिनको मिलाकर कुल रकबा 02.00 हे. होता है, अतः प्रकरण बी-2 श्रेणी के अंतर्गत आता है।	
परियोजना के संबंध में डीएफओ की एनओसी	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सिंगरौली के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 2385 दिनांक 30 / 06 / 2023 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है।	
परियोजना के संबंध राजस्व जानकारी	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सिंगरौली के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 2385 दिनांक 30 / 06 / 2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, नाला इत्यादि स्थित नहीं है।	
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत/ नगर निगम की अनुमति	ग्राम पंचायत— मिसीगांव, जिला — सिंगरौली का ठहराव प्रस्ताव क्र. 16 दिनांक 16 / 08 / 2023 द्वारा अनापत्ति पत्र जारी किया गया है।	
प्रस्तावित स्थल पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	खदान के दक्षिण पश्चिम की ओर वृक्ष आच्छादित हैं।	
प्रस्तावित खदान की गूगल इमेज अनुसार स्थिति (यदि सेटबैक आवश्यक हो)	लीज क्षेत्र के पश्चिम सीमा से हालेज रोड निकल रही है।	
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.-32 के सरल क्रमांक – 43 पर दर्ज है।	

753-B वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 18 मई 2024

उपरोक्त खदान को पूर्व में डिया जिला स्तरीय समिति द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति शर्तों के कम्प्लाइन्स एवं अन्य बिन्दुओं के दृष्टिगत पुर्ण मूल्यांकन हेतु समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया है। समिति ने प्रकरण के परीक्षण उपरांत पाया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र में कार्य करते हुए डिया ई.सी. में जारी शर्तों का पूर्ण रूप से सम्पादन नहीं किया है। अतः परियोजना प्रस्तावक को निम्न बिन्दुओं पर विस्तृत जानकारी मय फोटोग्राफ एवं अन्य आवश्यक दस्तावेजों के प्रस्तुत करने के निर्देश दिये।

उपरोक्त जानकारी परियोजना प्रस्ताव परिवेश पोर्टल पर प्रस्तुत कर दी गई है, जिसमें समिति समक्ष आज दिनांक 22/04/2024 को प्रस्तुतीकरण हेतु रखा गया, जिसमें परियोजना प्रस्तावक के पर्यावरणीय सलाहकार श्री एस.आई तनवीर, मे.0. अल्ट्रा टेक, थाणे (महाराष्ट्र) उपस्थित हुए।

समिति द्वारा प्रकरण के प्रस्तुतीकरण के प्रारम्भ में पर्यावरणीय सलाहकार से पूछने पर ज्ञात हुआ कि उनके यहाँ से स्थल निरीक्षण नहीं किया गया है। अतः समिति ने निर्देश दिये कि खदान क्षेत्र का एवं आस-पास के क्षेत्र का स्थल निरीक्षण कर जियोटेग फोटोग्राफ के साथ प्रस्तुत करें। तदुपरान्त प्रकरण पर विचार किया जावेगा।

18. Case No 10979/2023 Shri PRAKASH TARODIYA, Lessee, R/o Village Bidwal, Tehsil Badnawar, District -Dhar (M.P), DHAR,, District-DHAR, 454665, Prior Environment Clearance for Khuntpala Stone Deposit in an area of 2.00 ha. (14250 cum per year) (Khasra No. 90, 92), Village-Khuntpala, Tehsil-Sardarpur, District-Dhar (MP) [DEIAA]

प्रस्तावित Stone खदान समिति की 717वीं बैठक दिनांक 24/01/2024 प्रस्तुतीकरण हुआ था।

समिति ने परीक्षण के उपरांत पाया कि माईनिंग प्लान के सरफेस मेप में एक पिट दर्शाया गया है जब कि गुगल ईमेज के अनुसार खनन क्षेत्र में 02 गढ़े दिख रहे हैं। अतः सरफेस मेप, के.एम.एल ईमेज से मैच नहीं करता है, अतः पुर्णरक्षीत सरफेस मेप खनिज अधिकारी से प्रमाणित कराकर एवं पुर्णरक्षीत पौधा रोपण स्कीम प्रस्तुत करें।

उपरोक्त जानकारी प्राप्त हो गई है, जिसे आज दिनांक 18/05/24 को समिति के समक्ष रखा गया, जिसमें परियोजना प्रस्तावक श्री प्रकाश, ऑनलाईन एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री अमित सक्सेना, मेसर्स एपेक्स मिनटेक कांसल्टेंट, उदयपुर, उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

उपरोक्त खदान को पूर्व में डिया जिला स्तरीय समिति द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान की गई थी, जिसकी शर्तों के पालन प्रतिवेदन एवं अन्य बिन्दुओं के दृष्टिगत पुर्ण मूल्यांकन हेतु समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया है। समिति द्वारा ई.सी. में अधिरोपित शर्तों की समीक्षा की गई।

753-B वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 18 मई 2024

डिया की ई.सी. में अधिरोपित शर्तों की समीक्षा	पालन प्रतिवेदन की वर्तमान स्थिति
लीज के चारों ओर फेन्सिंग की वर्तमान स्थिति	लगभग 40 प्रतिशत पायी गई।
ई.सी. में अधिरोपित शर्तों के अनुसार वृक्षारोपण की वर्तमान स्थिति एवं बेरियर जोन में 7.50 मीटर पर वृक्षारोपण	अपूर्ण पायी गई। बेरियर जोन खुदा हुआ है।
गारलेण्ड ड्रेन एवं सेटलिंग टैंक की वर्तमान स्थिति	लगभग 10 प्रतिशत पायी गई।
अनुमोदित माईनिंग प्लान के अनुसार खनन किये गये पिट्स में बैंचेस की स्थिति।	अवलोकित नहीं हुई।
पौधारोपण की स्थिति	परियोजना प्रस्तावक द्वारा अवगत कराया गया कि खदान क्षेत्र में लगभग .150 पेड़ लगाये गये एवं 50 पेड़ बांटे गये।
ई.सी. में अधिरोपित शर्तों के अनुसार सामाजिक कार्य का विवरण भौतिक लक्ष्य, बजट	सामाजिक कार्य के अन्तर्गत स्कूल रोड आदि के प्रमाणिक साक्ष्य प्रस्तुत किये।

पर्यावरणीय सलाहकार ने बताया कि उनके द्वारा सरफेस मैप खनिज अधिकारी से प्रमाणित कराकर एवं पुनरक्षित पौधारोपण स्कीम प्रस्तुत कर दी गई है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति विषेष शर्तों एवं स्टेप्डर्ड शर्तों संलग्नक—ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुमति सा करती है:—

1. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता 14250 घनमीटर/वर्ष
2. पिट्स में बैंचेस/बेरियर जोन की स्थिति को रि-स्टोर किया जावें।
3. माईन रिस्टोरेशन कार्य माईन प्लान के अनुसार 01 वर्ष में पूर्ण किया जावें तथा खनिज अधिकारी द्वारा इसकी पूर्णता की पुष्टि की जावें तथा सभी शर्तों का पालन न होने की स्थिति में सिक्योरिटी राशि से उक्त कार्य विभागीय स्तर से किया जावें।
4. डिया द्वारा जारी ई.सी की समस्त शर्तों का एवं उपरोक्तानुसार दर्शायें गये कार्यों को पूर्ण कर विस्तृत पालन प्रतिवेदन खनिज अधिकारी से प्रमाणिकृत करवाकर 03 माह के अंदर सिया के समक्ष प्रस्तुत करेंगे।
5. अन्य शर्तों का पालन प्रतिवेदन नियमानुसार प्रत्येक 06 माह में खनिज अधिकारी से प्रमाणिकृत करवाकर सिया के समक्ष प्रस्तुत करेंगे।
- 6- In view of change in ultimate pit block (Surface plan) due to setback imposed in accordance with order of NGT/CPC/M.P. MMR 1996 or any environmental sensitivity. "The PP should obtain Modified Mining Plan / Scheme of mining before opening of the mine of capacity approved in EC. The Environment Management Plan Geological Plan & Section, Development plan, Conceptual Plan should be accordingly revised in the approved Mining Plan /SOM by the competent authority with respect to year-wise production."

753-B वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 18 मई 2024

7. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रु.21.45 लाख एवं रिकरिंग राशि रु. 3.16 लाख प्रति वर्ष।

क्रमांक	विवरण	पूँजी लागत (रुपये में)	आवर्ती लागत (रुपये में)
1.अ	हॉल रोड और ट्रांसपोर्ट रोड दोनों पर टैंकर स्प्रिंकलिंग सिस्टम से पानी का छिड़काव।	50,000	20,000
1.ब	पानी की कीमत 2.50 KLD	62,500	30,000
2.	स्पीड ब्रेकर, साइन बोर्ड, रिफ्लेक्टर, टी-प्वाइंट आदि का विकास (लंबाई x चौड़ाई) Rs. 900/ मी के साथ 400 मी. की WBM एप्रोच रोड निर्माण	9,00,000	20,000
3.	वृक्षारोपण	4,20,000	20,000
4.	निगरानी (एएक्यूएम, शोर और पानी साल में दो बार) @ रु। दो स्थानों/वर्ष के लिए 40,000	-	1,20,000
5.	श्रमिकों और कर्मचारियों के लिए पेयजल सुविधा (एक वाटर कूलर/30-50 श्रमिक @ रु. 10,000/कूलर) और रु. 2000/वर्ष रखरखाव के लिए।	10,000	2,000
6.	पुरुष और महिला के लिए अलग शौचालय @25000X2 और रु। रखरखाव के लिए 3000 / वर्ष।	50,000	3,000
7.	श्रमिकों और कर्मचारी की नियमित चिकित्सा जांच (वर्ष में दो बार प्रति श्रमिक 500 रु)	-	8,000
8.	प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स और अग्निशमन उपकरण @10000X2 और रु। 10000/वर्ष रखरखाव के लिए।	20,000	10,000
9.	खनन कार्यों के लिए पीपीई @ रु 1500 / कार्यकर्ता	-	12,000

753-B वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 18 मई 2024

10.	मजदूरों के लिए आश्रय कक्ष (20*20)=400वर्ग फुट	40,000	4,000
11.	दो कूड़ेदान और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली का विकास @ रु. 5000 / प्रणाली और रु 2000/वर्ष रखरखाव।	10,000	4000
12.	ट्रकों के लिए अर्धवार्षिक पीयूसी प्रमाणीकरण @1000/ट्रक	-	4,000
13.	चराई भूमि विकास रु. @ 5000 खानों के लिए 5.00 हेक्टेयर तक और रु. खानों के लिए 10,000 > 5.00 हेक्टेयर।	5,000	5,000
14.	विविध व्यय जैसे सोलर लाइट, (@ 8000 X 4 सोलर लाइट) वेब साइट विकास एवं रखरखाव (@ रु. 5,000/खनन) वेब कैमरा, (प्रति कैमरा @ 3500 X 4) खदान के प्रवेश द्वार पर डिस्प्ले बोर्ड (@ 2000/) आदि	50,000	4,000
15.	मजदूरों के लिए वीटी प्रशिक्षण (न्यूनतम @ 500 रुपये /श्रम)	-	5,500
16.	[knku ds Hkhrj Catch drain and garland drains (dimensions 1.5 m X 1m) ¼yxHkx 640 EkhVj X Rs. 50/- ½ ,oa siltation ponds (Nos. 5) (3.0 m X 1.5 m X 1.5 m) (Rs. 5,000 X Nos. 5) ,oa etnwjh	62,500	20,000
17.	खदान के परिधि में 640 की लम्बाई में फेन्सिंग की जाएगी (@ रु.500/मीटर)की जाएगी	3,25,000	25,000
18	पट्टा क्षेत्र में 7.50 मीटर के प्रतिबंधित क्षेत्र के खुदे हुआ भाग का पुनःभरण किया	1,20,000	

753-B वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 18 मई 2024

	जायेगा(लंबाई x चौड़ाई) Rs. 600/ मी के साथ 200 मीटर		
19	निकट ग्राम LED डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी @500/LED X 40	20,000	
	कुल योग	21,45,000	3,16,500

8. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रु. 0.80 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :—

सी.ई.आर. मद में प्रस्तावित गतिविधियाँ	राशि (रु.में)
ग्राम के शासकीय प्राथमिक विद्यालय के अधोसंरचना विकास हेतु वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाएगी	80,000

9. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत सिंचाई, 10 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 2400 वृक्षों का वृक्षारोपण :—

क्रमांक	पौधों का प्रस्तावित स्थान	पौधों के नाम	मात्रा
1	हरित पट्टी (7.50 मीटर बेरियर ज़ोन में 650 मीटर की लम्बाई पर तीन लाइनों में वृक्षारोपण किया जायेगा)	नीम, सीताफल, पीपल, करंज, चिरोल, जंगल जलेबी, सिस्सु आदि।	500
2	पट्टा क्षेत्र के बाहर अप्रोच रोड(1000 मीटर) के दोनों ओर 4 फीट की उचाई वाले पौधे लगाए जायेंगे ट्री गार्ड के साथ में	नीम, पीपल, करंज, कदम, चिरोल, आदि	500
.3	ग्रामीणों में पौधों का वितरण	आम, जामुन, अमरुद, आंवला, अनार, निम्बू, कटहल, आदि	1400

उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में किया जायें एवं लीज अवधि तक उन पौधों का रख-रखाव / मृत पौधों का बदलाव खनन अवधि तक किया जाये । गारलेण्ड ड्रेन तथा सेटलिंग टैंक के बंड एवं अन्य उपलब्ध बीज रोपण हेतु उपर्युक्त स्थल जैसे झाड़ियों के बीच-बीच में आदि पर स्थानीय बीज बोबाई सीधे या सीडबाल बनाकर किया जावे तथा उनका संरक्षण किया जाना । परियोजना प्रस्तावक ग्रामीणों में पौधों का वितरण के समय गॉव का नाम, लाभांवित व्यक्ति का नाम एवं प्रजाति का विवरण देते हुए पर्यावरणीय स्वीकृति के पालन प्रतिवेदन में शामिल करेंगे ।

753-B वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 18 मई 2024

In case of change in ultimate pit block (Surface plan) due to setback imposed in accordance with order of NGT/CPC/M.P. MMR 1996 or any environmental sensitivity.

"The PP should obtain Modified Mining Plan / Scheme of mining before opening of the mine of capacity approved in EC. The Environment Management Plan Geological Plan & Section, Development plan, Conceptual Plan should be accordingly revised in the approved Mining Plan /SOM by the competent authority with respect to year-wise production."

19. Case No 10978/2023 Smt. MEENA MALVIYA, Lessee, R/o Village Sadalpur, Present residence -Mohanpura, Tehsil & District Dhar (M.P), DHAR., District-DHAR, 454001, Prior Environment Clearance for Mohanpara Stone (Gitti) Quarry in an area of 2.00 ha. (20580 cum per year) (Khasra No. 383), Village-Mohanpur, Tehsil-Dhar, District-Dhar (MP) [DEIAA]

प्रस्तावित Stone खदान समिति की 717वीं बैठक दिनांक 24 / 01 / 2024 को प्रस्तुतीकरण हुआ था ।

समिति ने परीक्षण के दौरान पाया कि गुगल ईमेज के अनुसार खनन क्षेत्र में गढ़े दिख रहे हैं परन्तु सरफेस मेप, के.एम.एल ईमेज से मैच नहीं करता है एवं ऐसा प्रतीत होता है कि बिना पर्यावरणीय संरक्षण के खनन कार्य किया गया है, अतः पुर्नरक्षीत सरफेस मेप खनिज अधिकारी से प्रमाणित कराकर एवं पुर्नरक्षीत पौधा रोपण स्कीम प्रस्तुत करें।

उपरोक्त जानकारी प्राप्त हो गई है, जिसे आज दिनांक 18 / 05 / 24 को समिति के समक्ष रखा गया, जिससे परियोजना प्रस्तावक परियोजना प्रस्तावक सुश्री मीना मालवीय एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री अमित सक्सेना, मेसर्स एपेक्स मिनटेक कांसल्टेंट, उदयपुर, उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

उपरोक्त खदान को पूर्व में डिया जिला स्तरीय समिति द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान की गई थी, जिसकी शर्तों के पालन प्रतिवेदन एवं अन्य बिन्दुओं के दृष्टिगत पुर्न मूल्यांकन हेतु समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया है। समिति द्वारा ई.सी. में अधिरोपित शर्तों की समीक्षा की गई ।

डिया की ई.सी. में अधिरोपित शर्तों की समीक्षा

पालन प्रतिवेदन की वर्तमान स्थिति

753-B वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 18 मई 2024

लीज के चारों ओर फेन्सिंग की वर्तमान स्थिति	लगभग 40 प्रतिशत पायी गई।
ई.सी. में अधिरोपित शर्तों के अनुसार वृक्षारोपण की वर्तमान स्थिति एवं बेरियर जोन में 7.50 मीटर पर वृक्षारोपण	अपूर्ण पायी गई। बेरियर जोन खुदा हुआ है।
गारलेण्ड ड्रेन एवं सेटलिंग टेंक की वर्तमान स्थिति	लगभग 10 प्रतिशत पायी गई।
अनुमोदित माईनिंग प्लान के अनुसार खनन किये गये पिट्स में बैंचेस की स्थिति।	अवलोकित नहीं हुई।
पौधारोपण की स्थिति	परियोजना प्रस्तावक द्वारा अवगत कराया गया कि खदान क्षेत्र में लगभग .150 पेड़ लगाये गये एवं 50 पेड़ बांटे गये।
ई.सी. में अधिरोपित शर्तों के अनुसार सामाजिक कार्य का विवरण भौतिक लक्ष्य, बजट	सामाजिक कार्य के अन्तर्गत स्कूल रोड आदि के प्रमाणिक साक्ष्य प्रस्तुत किये।

प्रकरण को आज दिनांक 18/05/24 को प्रस्तुतीकरण हेतु सूचीबद्ध है, जिसमें परियोजना प्रस्तावक मीना डामोर, ऑनलाईन एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री **अमित सक्सेना**, एपेक्स मिनटेक कन्सलटेंट उपस्थित हुए और परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि सरफेस मैप खनिज अधिकारी से प्रमाणित कराकर एवं पुनरक्षित पौधारोपण स्कीम प्रस्तुत किए परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति विरोध शर्तों एवं स्टेपडब्ल्यू शर्तों संलग्नक-ए अनुसार नियमानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुमति सा करती है:-

1. अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता 20580 घनमीटर/वर्ष
2. पिट्स में बैंचेस/बेरियर जोन की स्थिति को रि-स्टोर किया जावें।
3. माईन रिस्टोरेशन कार्य माईन प्लान के अनुसार 01 वर्ष में पूर्ण किया जावें तथा खनिज अधिकारी द्वारा इसकी पूर्णता की पुष्टि की जावें तथा सभी शर्तों का पालन न होने की स्थिति में सिक्योरिटी राशि से उक्त कार्य विभागीय स्तर से किया जावें।
4. डिया द्वारा जारी ई.सी. की समस्त शर्तों का एवं उपरोक्तानुसार दर्शायें गये कार्यों को पूर्ण कर विस्तृत पालन प्रतिवेदन खनिज अधिकारी से प्रमाणिकृत करवाकर 03 माह के अंदर सिया के समक्ष प्रस्तुत करेंगे।
5. अन्य शर्तों का पालन प्रतिवेदन नियमानुसार प्रत्येक 06 माह में खनिज अधिकारी से प्रमाणिकृत करवाकर सिया के समक्ष प्रस्तुत करेंगे।
- 6- In case of change in ultimate pit block (Surface plan) due to setback imposed in accordance with order of NGT/CPC/M.P. MMR 1996 or any environmental sensitivity. "The PP should obtain Modified Mining Plan / Scheme of mining before opening of the mine of capacity approved in EC. The Environment

753-B वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 18 मई 2024

Management Plan Geological Plan & Section, Development plan, Conceptual Plan should be accordingly revised in the approved Mining Plan /SOM by the competent authority with respect to year-wise production."

7. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रु. 15.79 लाख एवं रिकरिंग राशि रु. 3.13 लाख प्रति वर्ष।

क्रमांक	विवरण	पूँजी लागत (रुपये में)	आवर्ती लागत (रुपये में)
1.अ	हॉल रोड और ट्रांसपोर्ट रोड दोनों पर टैंकर स्प्रिंकलिंग सिस्टम से पानी का छिड़काव।	50,000	20,000
1.ब	पानी की कीमत 2.50 KLD	62,500	30,000
2.	स्पीड ब्रेकर, साइन बोर्ड, रिफ्लेक्टर, टी-प्वाइंट आदि का विकास (लंबाई x चौड़ाई) Rs. 900/ मी के साथ 400 मी. की WBM एप्रोच रोड निर्माण	4,05,000	20,000
3.	वृक्षारोपण	3,60,000	10,000
4.	निगरानी (एएक्यूएम, शोर और पानी साल में दो बार) @ रु. दो स्थानों/वर्ष के लिए 40,000	-	1,20,000
5.	श्रमिकों और कर्मचारियों के लिए पेयजल सुविधा (एक वाटर कूलर/30-50 श्रमिक @ रु. 10,000/कूलर) और रु. 2000/वर्ष रखरखाव के लिए।	10,000	2,000
6.	पुरुष और महिला के लिए अलग शौचालय @25000X2 और रु। रखरखाव के लिए 3000 / वर्ष।	50,000	3,000
7.	श्रमिकों और कर्मचारी की नियमित चिकित्सा जांच (वर्ष में दो बार प्रति श्रमिक 500 रु)	-	10,000
8.	प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स और अग्निशमन उपकरण @10000X2 और रु। 10000/वर्ष रखरखाव के लिए।	20,000	10,000
9.	खनन कार्यों के लिए पीपीई @ रु 1500 / कार्यकर्ता	-	15,000
10.	मजदूरों के लिए आश्रय कक्ष	40,000	4,000

753-B वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 18 मई 2024

	(20*20)=400वर्ग फुट		
11.	दो कूड़ेदान और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली का विकास @ रु. 5000 / प्रणाली और रु 2000/वर्ष रखरखाव।	10,000	4000
12.	ट्रकों के लिए अर्धवार्षिक पीयूसी प्रमाणीकरण @1000/ट्रक	-	6,000
13.	चराई भूमि विकास रु. @ 5000 खानों के लिए 5.00 हेक्टेयर तक और रु. खानों के लिए 10,000 > 5.00 हेक्टेयर।	5,000	5,000
14.	विविध व्यय जैसे सोलर लाइट, (@ 8000 X 4 सोलर लाइट) वेब साइट विकास एवं रखरखाव (@ रु. 5,000/खनन) वेब कैमरा, (प्रति कैमरा @ 3500 X 4) खदान के प्रवेश द्वार पर डिस्प्ले बोर्ड (@ 2000/) आदि	50,000	4,000
15.	मजदूरों के लिए वीटी प्रशिक्षण (न्यूनतम @ 500 रुपये /श्रम)	-	5,500
16.	[knku ds Hkhrj Catch drain and garland drains (dimensions 1.5 m X 1m) 1/4yxHkx 640 EkhVj X Rs. 50/- 1/2 ,oa siltation ponds (Nos. 5) (3.0 m X 1.5 m X 1.5 m) (Rs. 5,000 X Nos. 5) ,oa etnwjh	57,000	20,000
17.	खदान के परिधि में 640 की लम्बाई में फेन्सिंग की जाएगी (@ रु.500/मीटर)की जाएगी	3,20,000	25,000
18	पट्टा क्षेत्र में 7.50 मीटर के प्रतिबंधित क्षेत्र के खुदे हुआ भाग का पुनःभरण किया जायेगा(लंबाई x चौड़ाई) Rs. 600/ मी के साथ 200 मीटर	1,20,000	

753-B वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 18 मई 2024

19	निकट ग्राम LED डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी @500/LED X 40	20,000	
	कुल योग	15,79,500	3,13,500

8. सी.ई.आर. मद में निम्नानुसार राशि रु. 0.80 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :—

सी.ई.आर. मद में प्रस्तावित गतिविधियाँ	राशि (रु.में)
ग्राम के शासकीय प्राथमिक विद्यालय के अधोसंरचना विकास हेतु वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाएगी	80,000

9. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत सिंचाई, 10 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख—रखाव के साथ) कम से कम 2400 वृक्षों का वृक्षारोपण :—

क्रमांक	पौधों का प्रस्तावित स्थान	पौधों के नाम	मात्रा
1	हरित पट्टी (7.50 मीटर बेरियर ज़ोन में 550 मीटर की लम्बाई पर तीन लाइनों में वृक्षारोपण किया जायेगा)	नीम, सीताफल, पीपल, करंज, चिरोल, जंगल जलेबी, सिस्सु आदि।	420
2	पट्टा क्षेत्र के बाहर अप्रोच रोड(400 मीटर) के दोनों ओर 4 फीट की उचाई वाले पौधे लगाए जायेंगे ट्री गार्ड के साथ में	नीम, पीपल, करंज, कदम, चिरोल, आदि	200
.3	ग्रामीणों में पौधों का वितरण	आम, जामुन, अमरुद, आंवला, अनार, निम्बू, कटहल, आदि	1780

उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में किया जायें एवं लीज अवधि तक उन पौधों का रख—रखाव / मृत पौधों का बदलाव खनन अवधि तक किया जाये । गारलेण्ड ड्रेन तथा सेटलिंग टैंक के बंड एवं अन्य उपलब्ध बीज रोपण हेतु उपर्युक्त स्थल जैसे झाड़ियों के बीच—बीच में आदि पर स्थानीय बीज बोबाई सीधे या सीडबाल बनाकर किया जावे तथा उनका सरक्षण किया जाना । परियोजना प्रस्तावक ग्रामीणों में पौधों का वितरण के समय गॉव का नाम, लाभांवित व्यक्ति का नाम एवं प्रजाति का विवरण देते हुए पर्यावरणीय स्वीकृति के पालन प्रतिवेदन में शामिल करेंगे ।

753-B वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 18 मई 2024

In case of change in ultimate pit block (Surface plan) due to setback imposed in accordance with order of NGT/CPC/M.P. MMR 1996 or any environmental sensitivity.

"The PP should obtain Modified Mining Plan / Scheme of mining before opening of the mine of capacity approved in EC. The Environment Management Plan Geological Plan & Section, Development plan, Conceptual Plan should be accordingly revised in the approved Mining Plan /SOM by the competent authority with respect to year-wise production."

**20. Case No. 11103/2023 Shri BALRAM PATIDAR, Lessee, Village-
Pipalkhund, Tehsil- Mhow, District- Indore, (M.P.) Prior Environment
Clearance for Stone Quarry in an area of 1.00 ha. (5,000 cum per year)
(Khasra No. 13/7/2), Village- Pipalkhund, Tehsil- Mhow, District- Indore
(M.P.). [DEIAA]**

प्रस्तावित खदान B2 श्रेणी के अंतर्गत डिया द्वारा जारी पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के पुनर्मूल्यांकन का है, जिसमें आज दिनांक 18.05.2024 को परियोजना प्रस्तावक बलराम पाटीदार एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार एपेक्स मिनटेक कन्सलटेंट उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

प्रस्तुतीकरण के दौरान समिति ने पाया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत खदान क्षेत्र की के.एम.एल. ईमेज / कोर्डीनेट्स, माइनिंग प्लान मे दिये गये कोर्डीनेट्स से भिन्न है, अतः समिति की अनुशंसा है कि परियोजना प्रस्तावक इस खदान के को-आर्डिनेट संबंधित खनिज अधिकारी से प्रमाणीकृत कराकर समिति के समक्ष पुनः ऑन-लाईन (ए.डी.एस. के पश्चात) प्रस्तुत करें ताकि प्रकरण में आगामी कार्यवाही सुनिश्चित की जा सके।

**21. Case No 10802/2023 Shri Siddharth Malviya, Owner, Ward No. 2, Railway
Gate ke Pass, Banapura, Tehsil-Seoni-Malwa, District- NARMDAPURAM
(M.P.) 461223, Prior Environment Clearance for Gondi Kharar Murrum
Quarry in an area of 1.00 ha. (13300 cum per year) (Khasra No. 93),
Village - Gondi Kharar, Tehsil - Dolariya, District Narmadapuram (M.P.)**

प्रकरण आज सेक की 709वीं बैठक दिनांक 04/01/24 को प्रस्तुतीकरण हेतु सूचीबद्ध था, जिसमें परियोजना प्रस्तावक / उनके पर्यावरणीय सलाहकार समिति के समक्ष उपस्थित नहीं

753-B वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 18 मई 2024

हुए। समिति ने चर्चा उपरांत निर्णय लिया कि परियोजना प्रस्तावक से प्रस्तुतीकरण हेतु अनुरोध प्राप्त होने के पश्चात प्रकरण की समीक्षा हेतु विचार किया जा सकेगा।

प्रस्तावित मुरम खदान बी-2 श्रेणी के अंतर्गत पर्यावरणीय स्वीकृति का है, जिसमें आज दिनांक 18/05/2024 को परियोजना प्रस्तावक श्री सिद्धार्थ मालवीय एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री आशीष त्रिपाठी मेसर्स ए.जी.एस इंवायरमेंटल सर्विसेस प्रा. लि. दिल्ली. उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज		
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	Shri Siddharth Malviya S/o Shri Om Prakash Malviya R/o-Neecha Bazaar, Kasera Mohalla, Banapura Tehsil-Seoni Malwa, District- Narmadapuram (M.P.)		
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	93- (शासकीय— भूमि)		1.00 hectare.
स्थल	Village- Gondi Kharar, Tehsil- Dolariya, District- Narmadapuram (M.P.).		
लीज स्वीकृति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला नर्मदापुरम के पत्र क्रमांक 15046 दिनांक 03/11/2022 के द्वारा स्वीकृत।		
पूर्व स्वीकृत माईनिंग प्लान का वर्ष एवं तत्समय में उत्पादित स्वीकृत क्षमता एवं मात्रा।	वर्ष- 07/06/2023, क्षमता— मुरम 13,300 घनमीटर/वर्ष,		
स्वीकृत माईनिंग प्लान/डीएसआर अनुसार कोर्डिनेट्स मिलान की स्थिति	माईनिंग प्लान हॉ/ना	डीएसआर हॉ/ना	पुनरीक्षित अक्षांश/देशान्तर
ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर	अनुमोदित खनन् योजना अनुसार ब्लास्टिंग प्रस्तावित नहीं है।		
प्रकरण की स्थिति	नया प्रोजेक्ट, बी- 2।		
पर्यावरण सलाहकार या उनके अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा स्थल निरीक्षण	पर्यावरण सलाहकार – नीरज प्रजापती, स्थल का नाम— गोंडीखरार, दिनांक— 20/12/2023		
उत्पादन क्षमता	मुरम 13,300 घनमीटर/वर्ष है।		

753-B वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 18 मई 2024

500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला नर्मदापुरम के एकल प्रमाण—पत्र क्रमांक 1166 दिनांक 14/09/2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में 02 अन्य खदानें संचालित/स्वीकृत हैं, इस प्रकार कुल रकबा 3.95 है. होता है, अतः प्रकरण बी— 2 श्रेणी का है।
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला नर्मदापुरम के एकल प्रमाण—पत्र क्रमांक 1166 दिनांक 14/09/2023 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थित नहीं है एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है। वन क्षेत्र खदान से लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर हैं।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला नर्मदापुरम के एकल प्रमाण—पत्र क्रमांक 1166 दिनांक 14/09/2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/ संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/तालाब/बांध/स्टॉपडैम/नहर/पक्का रास्ता/नाला नहीं है। एवं ग्रामीण कच्चा रास्ता 140 मी. की दूरी पर है
ग्राम सभा / ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत गोंडीखरार जिला नर्मदापुरम के ठहराव प्रस्ताव क्र. 06 दिनांक 02/10/2020 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन् कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है।
ग्राम PESA के अन्तर्गत है या नहीं	नहीं।
प्रस्तावि स्थल पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	लीज क्षेत्र में कोई पेड़ स्थित नहीं हैं
प्रस्तावित स्थल की गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति	उत्तर दिशा— कच्चा रोड लगभग 180 मीटर की दूरी पर स्थित है।
	दक्षिण दिशा— रहवासी क्षेत्र लगभग 430 मीटर की दूरी पर स्थित है।
	पश्चिम दिशा— रहवासी क्षेत्र लगभग 425 मीटर की दूरी पर स्थित है, एवं तलाव लगभग 400 मीटर की दूरी पर स्थित है।
सिया में इसी हेतु प्रकरण प्रस्तुत करने का दिनांक	31/10/23

753-B वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 18 मई 2024

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशेष शर्तों एवं स्टेप्डर्ड शर्तों संलग्नक—ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:—

1. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता पथर स्टोन खदान 13,300 घनमीटर/वर्ष
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रु. 6.44 लाख एवं रिकरिंग राशि रु. 1.85 लाख प्रति वर्ष

1. EMP Table (Capital & Recurring Cost)

S.No.	Particulars	Capital Cost (in Rs)	Recurring Cost (in Rs)
A. FOR ENVIRONMENTAL PROTECTION			
1(a)	Water sprinkling through tanker sprinkling system both on haul road and transportation road.	40,500	-
1(b)	Water requirement- 0.7995 KLD, Cost of water (@ 0.15 paisa/liter) Assuming 300 working days.		
2.	Approach Road Maintenance, Speed breakers, Sign Boards, Reflectors, Development of T-Point etc (400m in length × 6m in width)	1,00,000	20,000
3.	PLANTATION SCHEME		
	a) Plantation within lease @ Rs. 200/plant.	300 plants × 200 Rs= 60,000/-	
	b) Plants to be distributed in nearby villagers: @ Rs. 50/plant.	800 plants × 50 Rs=40,000/-	15,000
4	c) Plantation Along the Approach Road @ Rs.300/plant	100 plants × 300 Rs=30,000/-	
	• Garland Drain (1.5 m Wide & 2 m Deep & 4085m Long)		
	• Prosopis seeds will be sown along the excavated garland drain in the mine lease area.	60,000	5,000
5	Settling Tank is of (4 m wide, 15m long & 2.5 m deep).	77,600	5,000
6	Wire fence (388 m) @200 rupees/meter.	-	40,000
7	Monitoring (AAQM, Noise & Water twice in a year) @ Rs. 40,000 for two locations/year.	10,000	2,000
8	Drinking Water Facility for labor and staff (one water cooler/30-30-50 labour @ Rs. 10,000/cooler).	30,000	3,000
	Separate Toilets for Males and Females @15000× 2 and Rs. 3000/year for Maintenance.		

753-B वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 18 मई 2024

9	Grazing Land development (Native palatable grass species Such as Dichanthium, Puniya (Sehima nervosum), Themeda etc. will be planted for grassland/fodder development on Charnoi Land.	5,000	10,000
10	Regular Medical Check-up of workers @500/worker (twice in a year) (For 15 Labors -15 × 500 × 2)	-	15,000
11	First Aid Box & Firefighting equipments @20000 × 1 & Rs. 2000/year for Maintenance.	20,000	2,000
12	PPEs for other mining operations @ Rs. 1500/worker. (For 15 workers - 15 × 1500)	15,000	2,000
13	Shelter rooms for labors (10*20 ft)=300 Square feet	60,000	5,000
14	Two dustbins & development of solid waste management system	5,000	2,000
15	Half yearly PUC certification for trucks @1000/truck (1 Trucks × 1000 × 2 times in a year)	-	2,000
16	Miscellaneous Expenses such as follows : 1. One solar light, (@ Rs. 8000/light) 2 Web Camera, (per camera.@3500 rupees) 3. Display Board at mine entrance.	22,000	-
17	For Carbon containment adaptation of full-grown trees for 10 Years(708 Plants × 100 Rs / Plant)	70,800	70,800
	TOTAL	6,44,150/-	1,85,800/-

2. CER Table

8. सी.ई.आर. मद में निम्नानुसार राशि रु. 0.50 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :—

सी.ई.आर. मद में प्रस्तावित गतिविधियाँ	राशि (रु.में)
सी.ई.आर. मद से 50,000 की राशी शासकीय मध्यमिक शाला ग्राम गोंडीखरार के पालक शिक्षक संघ समिति के खाते में शाला विकास कार्य हेतु जमा की जावेगी।	50,000/-

3. Plantation in other area.

निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत सिंचाई, 10 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 1200 वृक्षों का वृक्षारोपण :—

कं.	वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	बैरियर जोन में	चिरोल, नीम, जंगल जलेबी, करंज, अमलताश, एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ	300

753-B वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 18 मई 2024

2	परिवहन मार्ग में (न्यूनतम ऊँचाई 1.5 मीटर ट्री-गार्ड के साथ)	करंज, कदम, चिरोल, जंगल जलेबी एवं अन्य स्थानीय प्रजातियां	100
3	ग्रामवासियों में वितरण हेतु	सीताफल, औंवला, अमरुद, मुनगा, पपीता, निंबू आम, एवं अन्य स्थानीय प्रजातियां	800
योग			1200

उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में किया जायें एवं लीज अवधि तक उन पौधों का रख-रखाव / मृत पौधों का बदलाव खनन अवधि तक किया जाये। गारलेण्ड ड्रेन तथा सेटलिंग टैंक के बंड एवं अन्य उपलब्ध बीज रोपण हेतु उपर्युक्त स्थल जैसे झाड़ियों के बीच-बीच में आदि पर स्थानीय बीज बोबाई सीधे या सीडबाल बनाकर किया जावे तथा उनका संरक्षण किया जाना। परियोजना प्रस्तावक ग्रामीणों में पौधों का वितरण के समय गाँव का नाम, लाभांवित व्यक्ति का नाम एवं प्रजाति का विवरण देते हुए पर्यावरणीय स्वीकृति के पालन प्रतिवेदन में शामिल करेंगे।

In case of change in ultimate pit block (Surface plan) due to setback imposed in accordance with order of NGT/CPC/M.P. MMR 1996 or any environmental sensitivity.

"The PP should obtain Modified Mining Plan / Scheme of mining before opening of the mine of capacity approved in EC. The Environment Management Plan Geological Plan & Section, Development plan, Conceptual Plan should be accordingly revised in the approved Mining Plan /SOM by the competent authority with respect to year-wise production."

22. **Case No 10901/2023 Shri Bhakt Singh, Project Proponent, Village & Post-Madhepur, Tehsil-Huzur, District-Rewa (MP)-486001, Prior Environment Clearance for Madhyepur Stone Crusher (Gitti) Quarry in an area of 1.107 ha. (10003 cum per year) (Khasra No. 51/1/1, 51/1/2, 51/2/1, 51/2/2), Village-Maddhepur, Tehsil-Huzur, District-Rewa (MP)**

प्रस्तावित खदान बी-2 श्रेणी के अंतर्गत डिया द्वारा जारी पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के पुनर्मूल्यांकन का है, जिसमें आज दिनांक 18/05/2024 को परियोजना प्रस्तावक श्री

753-B वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 18 मई 2024

भक्तराज सिंह एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार **FECCM Consultancy Pvt Ltd. (Raheesh Prasad Patel)** उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

परियोजना विवरण		परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज			
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	श्री भक्तराज सिंह, पुत्र लेखन सिंह पता—ग्राम मध्येपुर, तहसील—हूजूर, जिला—रीवा, म.प्र.				
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी / निजी)	खसरा न0 51/1/1, 51/1/2, 51/2/1 & 51/2/2) (निजी भूमि)			hectare. 01.107 ha	
स्थल	Village MADHYEPUR	Tehsil HUZUR	District REWA	State MP	
लीज स्वीकृति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला रीवा के पत्र क्रमांक 2841 / खनिज / 2023, रीवा, दिनांक 11 / 08 / 2023 के द्वारा स्वीकृत ।				
ब्लास्टिंग / रॉक ब्रेकर	अनुमोदित खनन् योजना अनुसार ब्लास्टिंग है ।				
प्रकरण की स्थिति	नया प्रोजेक्ट ।				
डिया ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	डिया NA के पत्र क्रमांक NA दिनांक NA के द्वारा पत्थर—गिट्टी पत्थर (यांत्रिक क्रिया के द्वारा गिट्टी निर्माण) हेतु उत्पादन क्षमता NA घनमीटर / वर्ष हेतु पर्यावरणीय अनापत्ति प्राप्त है।				
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा पत्थर— 10003 घनमीटर / वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार 10003 घनमीटर / वर्ष है ।				
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	सहा. मानचित्रकार खनिज कार्यालय जिला रीवा के प्रतिवेदन के अनुसार उक्त स्वीकृत क्षेत्र से 500 मी. के अंदर ग्राम मध्येपुर, तहसीलदार हूजूर, जिला रीवा में 01 उत्खनिपट्टा जिसका कुल रकबा 1.778 हेक्टर पर खनिज पत्थर / गिट्टी हेतु स्वीकृत है । कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला रीवा के एकल पत्र क्रमांक 3212 / खनिज / 2023, रीवा, दिनांक 03 / 10 / 2023 के अनुसार ।				
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कोई आपत्ति नहीं । वनमण्डलाधिकारी वनमण्डल रीवा के पत्र क्रमांक 3957 रीवा दिनांक 09.05.2023 द्वारा				
तहसीलदार की अनापत्ति	कोई आपत्ति नहीं । कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला रीवा के एकल पत्र क्रमांक 3212 / खनिज / 2023, रीवा, दिनांक 03 / 10 / 2023 के अनुसार एवं नायब तहसीलदार, तहसील हूजूर ग्रामीण जिला के प्रतिवेदन क्र. 194 दिनांक 29.09.2023 के अनुसार ।				

753-B वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 18 मई 2024

ग्राम सभा / ग्राम पंचायत की अनापत्ति	कोई आपत्ति नहीं । ग्राम पंचायत मध्येपुर, जनपद पंचायत रीवा, जिला रीवा के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक 13 दिनांक 28/01/2023 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन् कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है ।
केशर की स्थिति	केशर लीज क्षेत्र में प्रस्तावित है ।
प्रस्तावि स्थल पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	<ul style="list-style-type: none"> लीज में स्थित पेड़ों का विवरण 06 यदि पेड़ काटे जाने हैं तो उनका विवरण : नीम,बबूल,आम काटे गये पेड़ों के एवज में लगाये जाने वाले पेड़ों की संख्या 60 यदि पेड़ों का गैर खनन् क्षेत्र के रूप में छोड़ा जाना है तो उसका विवरण 0.30 है. में
प्रस्तावित स्थल की गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति	<p>उत्तर दिशा— रेलवे लाईन मौजूद है, जिससे 200 मी. का सेडबैक छोड़ा गया है । 01 उत्खनिपट्टा जिसका कुल रकबा 1.778 हेक्टर पर खनिज पथर / गिट्टी हेतु स्वीकृत है स्थित है सरफेस मेप संलग्न है ।</p> <p>दक्षिण दिशा— 304 मीटर पर ग्राम की सड़क है । दक्षिण पश्चिम दिशा— 212 मीटर पर 4-6 कच्चे मकान है । सरफेस मेप संलग्न है ।</p>
	<p>पूर्व दिशा— कुछ नहीं है सरफेस मेप संलग्न है ।</p> <p>दक्षिण पश्चिम दिशा— 25 मी. सेटबैक खदान से लगी अन्य कृषक की कृषि भूमि से छोड़ा जावेगा एवं जिससे खनन योग्य क्षेत्र लगभग 0.720 हेक्टर बचती है, जिसमें 10003 घन मी./वर्ष उत्पादन किया जा सकता है । सीमेंट एवं फ्लाई ऐश का स्टोरेज 193 मी. पर मौजूद है, सरफेस मेप संलग्न है ।</p>
प्रस्तावि खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में दर्ज करने हेतु कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला—रीवा ने पत्र क्रं. 3211/खनिज/2023 दिनांक 03/10/2023 को पत्र जारी किया गया है ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति विशिष्ट शर्तों एवं स्टेप्डर्ड शर्तों संलग्नक—ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:—

753-B वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 18 मई 2024

- 1.अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता **10003** धन मीटर है
2.पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रु. **9,12,000** लाख एवं रिकरिंग
राशि रु. **1,45,000** लाख प्रति वर्ष ।

S NO.	Particulars	Budget provisions (Rs)	
		Capital	Recurring
1	Water tanker (4000 ltr) @Rs 200/day (PP owned tanker) for 300 days – Rs 60,000 + Diesel	60,000	20,000
2	Garland Drain (2.0 m Wide & 1.5 m Deep & 400m Long) and 2- Settling Tank is of 4 m wide, 10 m long & 2.5 m deep. All settling tanks will be of double "S" pattern.	80,000	8,000
3	Approach Road Maintenance, Sign Boards, Development of T-Point etc (300m. in length x 6m in width)	60,000	20,000
4	Monitoring twice a year . (AAQM @20000/yr, Water@10000/yr, Noise@10000/yr)	NIL	40,000
5	Plantation (1300 plants/year will be planted)		
	A. Within Lease Area (In Barrier Zone) @ 100 Rs./tree 500 no's)	50,000	5000
	B. Plant distribute to Villagers. (No.600 X40)	24,000	Nil
	C. Outside the Lease Area (along approach road and village area) @200 Rs./tree (300 no's) with tree guard	60,000	8000
6	Wire fence 440m. (Rs500/m.), About 140m. Already completed.	150000	5000
7	PUC certification of vehicles (01 dumpers @ Rs 500 per dumper)	-	1000
8	Induction motor (5 HP) with accessories for dewatering the pit	40,000	5,000
9	Drinking Water Facility and rest shelter (25x 15 ft.) with solar light	8,00,000	5,000
10	Toilets 2 nos. 12500 x 2	40,000	5,000
11	Occupational health checkup for 12 workers (@twice/year)@ 1000 x 2 x 12	24000	2,000
12	Provision of PPEs (helmets, safety shoes, safety glasses, gloves etc 14x 2000)	28,000	5,000
Emergency Rescue Plan			
12	Wind breaking wall and Other equipment's for Dust control including safety arrangement.	150000	5000
13	Fire Fighting Equipments (2 Nos.) @ 10000 / fire fighting and first aid @ 2000 per kit	22,000	2,000
14	Safety signage and warning boards like red flags, cones etc.	5,000	2,000

753-B वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 18 मई 2024

Solid Waste Management				
15	a) Bins 4 Nos @ Rs 1000 each	4,000	5,000	
	b) Pit and Composting	5000		
	c) Transport of Dry Waste	5,000		
16	Development of grazing land	5,000	2500	
	Total	912,000	1,45,000	

3. सी.ई.आर. मद में निम्नानुसार राशि रु. 70,000/- में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :—

सी.ई.आर. मद में प्रस्तावित गतिविधियाँ	राशि (रु.में)
● ग्राम मध्येपुर प्राथमिक विकास केंद्र को अधोसंरचना विकास के लिए राशि 3 माह के भीतर जमा कर दी जावेगी	70,000
कुल	70,000

4. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 1400 वृक्षों का वृक्षारोपण :—

कं.	वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	खदान के बैरियर जोन में (7.5 x 400m)	जंगल जलेबी, काला सिरस, सागौन, नीम, खमेर, एवं करंज	500
2	परिवहन मार्ग में वृक्षारोपण (पौधों की न्यूनतम ऊँचाई 01 मीटर)	काला सिरस, नीम, शीशम (सिरसू), करंज एवं अन्य स्थानीय प्रजातीय, ट्री-गार्ड के साथ	300
3	मध्येपुर स्कूल, पंचायत एवं आगनवाडी के प्रांगण में	नीम, कदंब, पीपल, करंज, अशोक एवं स्थानीय प्रजातियाँ !	50
4	मध्येपुर एवं बेलहा के ग्राम वासियों में वितरण	आम, जामुन, मुनगा, कटहल नीबू महुआ अमरुद एवं नीम	600
कुल वृक्षारोपण			1400

उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में किया जायें एवं 05 वर्ष तक उन पौधों का रख-रखाव / मृत पौधों का बदलाव खनन् अवधि तक किया जाये । गरलेण्ड ड्रेन तथा सेटलिंग टैंक के बंड पर स्थानीय बीज बोबाई कर उनका संरक्षण किया जाना । परियोजना प्रस्तावक ग्रामीणों में पौधों का वितरण के समय गाँव का नाम, लाभांवित व्यक्ति का नाम एवं प्रजाति का विवरण देते हुए पर्यावरणीय स्वीकृति के पालन प्रतिवेदन में शामिल करेंगे ।

753-B वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 18 मई 2024

In case of change in ultimate pit block (Surface plan) due to setback imposed in accordance with order of NGT/CPC/M.P. MMR 1996 or any environmental sensitivity.

"The PP should obtain Modified Mining Plan / Scheme of mining before opening of the mine of capacity approved in EC. The Environment Management Plan Geological Plan & Section, Development plan, Conceptual Plan should be accordingly revised in the approved Mining Plan /SOM by the competent authority with respect to year-wise production."

23. **Case No 11038/2023 Shri Nitin Agrawal, Partner, M/s MAA NARMADA STONE CRUSHERS, R/o- Near Honda Showroom Indore Road Harda, (M.P.). Prior Environment Clearance for Sirsodiya Stone Quarry in an area of 3.840 ha. (41001 cum per year) (Khasra No. 307), Village-Sirsodiya, Tehsil-Kannod, District-Dewas (MP) [450157] [DEIAA] (B2)**

प्रस्तावित खदान बी-2 डिया श्रेणी के अंतर्गत नवीन पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु पुनर्मूल्यांकन का है, जिसमें 734वीं बैठक दिनांक 01/04/2024 को परियोजना प्रस्तावक माँ नर्मदा स्टोन क्रेशर पार्टनर नितिन अग्रवाल ऑनलाईन जुड़ एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्रीराम राघव, मेसर्स ग्रीन सर्कल आईएनसी, बड़ौदा, गुजरात उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	माँ नर्मदा स्टोन क्रेशर पार्टनर श्री नितिन अग्रवाल पुत्र श्री संतोष अग्रवाल पता - A/19 LIG कॉलोनी, हरदा, जिला - हरदा, म.प्र.	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी / निजी)	खसरा नं. 307 (निजी स्वामित्व भूमि)	Hectare.- 3.840
स्थल	Vill.- Sirsodiya, Tehsil- Kannod, District- Dewas (M.P.)	
लीज स्वीकृति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला देवास के पत्र क्रमांक 1139/खनिज/उ.प. / 738/2018-19 दिनांक 02/07/2018 के द्वारा स्वीकृत।	
ब्लास्टिंग/ रॉक ब्रेकर	अनुमोदित खनन् योजना अनुसार ब्लास्टिंग. प्रस्तावित है।	

753-B वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 18 मई 2024

प्रकरण की स्थिति	डिया प्रकरण B2
डिया ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	डिया जिला देवास के पत्र क्रमांक 224/DEIAA/2018 दिनांक 29/06/2018 के द्वारा पत्थर-41001 घनमीटर/वर्ष हेतु पर्यावरणीय अनापत्ति प्राप्त है।
टॉर	लागू नहीं
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा पत्थर- Max.41001 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार पत्थर Max. 41001 घनमीटर/वर्ष है।
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला देवास के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 2278/खनिज/2023-24 दिनांक 24.11.2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में कोई अन्य खदानें संचालित/स्वीकृत नहीं हैं है, इस प्रकार कुल रकबा 3.840 है. होता है, अतः प्रकरण बी-2 श्रेणी का है।
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला देवास के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 2278/खनिज/2023-24 दिनांक 24.11.2023 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जौन जैव विविधता क्षेत्र स्थित नहीं है एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला देवास के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 2278/खनिज/2023-24 दिनांक 24.11.2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन/सार्वजनिक भवन/शशमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/ तालाब/बांध/स्टॉप डैम/नहर/ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता/नाला नहीं है।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत सिरसोदिया जिला देवास के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक पंचायत/17/Q दिनांक 25.11.2017 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन् कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है।
क्षेत्र की स्थिति	क्षेत्र लीज क्षेत्र में प्रस्तावित नहीं है।
प्रस्तावि स्थल पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	<ul style="list-style-type: none"> • लीज में स्थित पेड़ों का विवरण— 0 <p>काटे जाने वाले पेड़ों की संख्या—0</p>
प्रस्तावित स्थल की गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति	खदान के दक्षिण दिशा में एक हॉल रोड गुजर रही है
प्रस्तावि खदान की	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले

753-B वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 18 मई 2024

जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.-24 के सरल क्रमांक-62 पर दर्ज है। समिति ने चर्चा उपरांत निर्णय लिया कि राज्य स्तरीय स्तरीय पर्यावरण समाधौत निर्धारण प्राधिकारण मध्यप्रदेश की 739वीं बैठक दिनांक 29/07/22 (प्रकरण में 9261/2022 – जारी पत्र क्रमांक 1306 दिनांक 04/08/22) में लिए गए निर्णय के परिप्रेक्ष्य में इस प्रकरण को भी पर्यावरणीय संवेदनशीलता के दृष्टिगत परीक्षण कर पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु सिया को अनुशंसित किया जाये।
जन सुनवाई	लागू नहीं

उपरोक्त खदान को पूर्व में डिया जिला स्तरीय समिति द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान की गई थी, जिसकी शर्तों के पालन प्रतिवेदन एवं अन्य बिन्दुओं के दृष्टिगत पुर्न मूल्यांकन हेतु समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया है। समिति द्वारा ई.सी. में अधिरोपित शर्तों की समीक्षा की गई।

समिति द्वारा ई.सी. में अधिरोपित शर्तों की समीक्षा की गई।

डिया की ई.सी. में अधिरोपित शर्तों की समीक्षा	पालन प्रतिवेदन की वर्तमान स्थिति
लीज के चारों ओर फेन्सिंग की वर्तमान स्थिति	लगभग 50 प्रतिशत पायी गई।
ई.सी. में अधिरोपित शर्तों के अनुसार वृक्षारोपण की वर्तमान स्थिति एवं बेरियर जोन में 7.50 मीटर पर वृक्षारोपण	अपूर्ण पायी गई। बेरियर जोन खुदा हुआ है।
गारलेण्ड ड्रेन एवं सेटलिंग टेंक की वर्तमान स्थिति	अवलोकित नहीं हुई।
अनुमोदित माईनिंग प्लान के अनुसार खनन किये गये पिट्स में बैंचेस की स्थिति।	अवलोकित नहीं हुई।
पौधारोपण की स्थिति	परियोजना प्रस्तावक द्वारा अवगत कराया गया कि खदान क्षेत्र में लगभग 30 पेड़ लगाये गये एवं 100 पौधे ग्रामवासियों को बांटे गए
ई.सी. में अधिरोपित शर्तों के अनुसार सामाजिक कार्य का विवरण भौतिक लक्ष्य, बजट	सामाजिक कार्य के अन्तर्गत प्रमाणिक साक्ष्य प्रस्तुत किये।

प्रकरण समिति की 734वीं बैठक दिनांक 01/04/2024 को पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु अनुशंसा सिया को प्रेषित की गई थी।

सिया की 847वीं बैठक दिनांक 01/05/2024 के द्वारा प्रकरण को पुनः परीक्षण हेतु अग्रेषित किया गया है बैठक की कार्यवाही में विवरण है कि:-

सिया द्वारा पर्यावरणीय मुद्दे पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निम्नानुसार निर्णय लिया गया :-

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाधात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निम्नानुसार निर्णय लिया गया :-

कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला देवास के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 2278 दिनांक 24/11/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में अन्य कोई खदान संचालित/स्वीकृत नहीं है, जबकी परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तावित खनन योजना के अक्षांश देशांश के आधार पर गूगल इमेज के अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में 01 अन्य खदान भी परिलक्षित है, जिनका कुल रकबा 5.0 है. से अधिक होने के कारण क्लस्टर की स्थिति निर्मित हो रही है जिससे प्रकरण संभवतः बी-1 श्रेणी का होना प्रतीत हो रहा है। अतः राज्य स्तरीय पर्यावरण समाधात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निर्णय लिया गया की उपरोक्त संवेदनशीलता के दृष्टिगत SEAC द्वारा कलेक्टर जिला देवास से प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में स्वीकृति/संचालित खदानों की स्पष्ट जानकारी प्राप्त किया जाये। अतः प्रकरण पुनः परीक्षण हेतु SEAC को प्रेषित किया जाये। तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जाये।

प्रकरण को आज दिनांक 18/05/24 को प्रस्तुतीकरण हेतु सूचीबद्ध है, जिसमें परियोजना प्रस्तावक माँ नर्मदा स्टोन क्रेशर पार्टनर नितिन अग्रवाल ऑनलाईन जुड़े एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्रीराम राघव, मेरसर्स ग्रीन सर्कल आईएनसी, बडौदा, गुजरात उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

सिआ द्वारा चाही गयी जानकारी के सम्बन्ध में सेक समिति द्वारा यह निर्णय लिया जाता है कि उत्खनिपट्टे की गूगल इमेज के अनुसार के 500 मीटर की परिधि में 1 खदान एवं कुछ अन्य गड्ढे परिलक्षित हो रहे हैं अतः परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जाता है कि प्रस्तावित उत्खनिपट्टे की गूगल इमेज के अनुसार 500 मीटर की परिधि में 1 खदान एवं परिलक्षित हो रहे अन्य गड्ढों के सम्बन्ध में कार्यालय कलेक्टर खनिज शाखा के माध्यम से जानकारी प्राप्त कर ए.डी.एस के माध्यम से परिवेश पोर्टल पर प्रस्तुत की जाये।

In case of change in ultimate pit block (Surface plan) due to setback imposed in accordance with order of NGT/CPC/M.P. MMR 1996 or any environmental sensitivity.

"The PP should obtain Modified Mining Plan / Scheme of mining before opening of the mine of capacity approved in EC. The Environment Management Plan Geological Plan & Section, Development plan, Conceptual Plan should be accordingly revised in the approved Mining Plan /SOM by the competent authority with respect to year-wise production."

753-B वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 18 मई 2024

24.

**Case No 11069/2023 Shri Dulle Chouhan, Lessee, R/o H. No. 210,
Village-Kalukhedi, Tehsil-Tal, District-Ratlam (MP)-457114, Prior
Environment Clearance for Kolukhedi Stone Quarry in an area of 2.00 ha.
(9700 cum per year) (Khasra No. 244/6), Village-KoluKhedi, Tehsil-Tal,
District-Ratlam (MP) [450220] [DEIAA] (B2)**

प्रस्तावित खदान बी-2 डिया श्रेणी के अंतर्गत नवीन पर्यावरणीय स्वीकृति के पुनर्मूल्यांकन का है, जिसमें 739वीं बैठक दिनांक 23/04/2024 को परियोजना प्रस्तावक श्रीमती दुल्ले कुँवर राजपूत पति श्री प्रतापसिंह जी राजपूत, एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्रीराम राघव, मेसर्स ग्रीन सर्कल आईएनसी, बडौदा, गुजरात उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	श्रीमती दुल्ले कुँवर राजपूत पति श्री प्रतापसिंह जी राजपूत,	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी / निजी)	(शासकीय भूमि-नॉन फॉरेस्ट लेंड) खसरा नं. 244/6	2.00 Hectare.
स्थल	Village - Kolukhedi, Tehsil- Tal District-Ratlam (M.P.).	
लीज स्वीकृति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला रतलाम (म.प्र.) के पत्र क्रमांक 702/खनिज/2016-17 दिनांक 09/09/2016 के द्वारा स्वीकृत ।	
ब्लास्टिंग / रॉक ब्रेकर	अनुमोदित खनन् योजना अनुसार ब्लास्टिंग. प्रस्तावित नहिं है ।	
प्रकरण की स्थिति	डिया प्रकरण B2	
डिया ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	डिया जिला रतलाम के पत्र क्रमांक 677/डिया-डेक/2016-17 दिनांक 06/09/2016 के द्वारा पत्थर-9700 घनमीटर /वर्ष हेतु पर्यावरणीय अनापत्ति प्राप्त है।	
टॉर	लागू नहीं	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा पत्थर- 9700 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार पत्थर 9700 घनमीटर/वर्ष है।	
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला रतलाम के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 2742/खनिज/2023-24 दिनांक 24.11.2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में कोई अन्य खदानें संचालित/स्वीकृत नहीं है है, इस प्रकार कुल रकबा 2.00 है. होता है, अतः प्रकरण बी-2 श्रेणी का है।	
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला रतलाम के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 2742/खनिज/2023-24 दिनांक 24.11.2023	

753-B वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 18 मई 2024

	अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जॉन जैव विविधता क्षेत्र स्थित नहीं है एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला रत्लाम के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 2742/खनिज/2023-24 दिनांक 24.11.2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे लाइन/सार्वजनिक भवन/शशमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/ तालाब/बांध/स्टॉप डैम/नहर/ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता/नाला नहीं है।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत कोलुखेड़ी जिला रत्लाम के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक पंचायत। क्यु/2016 दिनांक 08.01.2016 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन् कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है।
केशर की स्थिति	केशर लीज क्षेत्र में स्थित है।
प्रस्तावि स्थल पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	<ul style="list-style-type: none"> • लीज में स्थित पेड़ों का विवरण— 0 <p>काटे जाने वाले पेड़ों की संख्या—0</p>
प्रस्तावित स्थल की गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति ; खदान के 500 मी. की परिधि में स्थित संवेदनशील घटकों	<p>पश्चिम दिशा— में 55 मीटर की दूरी पर कुछ कच्चे घर बने हुये हैं जिसके सम्बन्ध में परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया है कि अनुमोदित खनन योजना अनुसार 45 मीटर का सेटबैक दिया गया है एवं अनुमोदित खनन योजना अनुसार ब्लास्टिंग का प्रयोग नहीं किया जावेगा।</p> <p>खदान के दक्षिणपश्चिम दिशा में 235 मीटर पर एक पक्का रोड परिलक्षित हो रहा है।</p>
प्रस्तावि खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	<p>परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.-50 के सरल क्रमांक-107 पर दर्ज है।</p> <p>समिति ने चर्चा उपरांत निर्णय लिया कि राज्य स्तरीय पर्यावरण समाधौत निर्धारण प्राधिकारण मध्यप्रदेश की 739वीं बैठक दिनांक 29/07/22 (प्रकरण में 9261/2022 – जारी पत्र क्रमांक 1306 दिनांक 04/08/22) में लिए गए निर्णय के परिप्रेक्ष्य में इस प्रकरण को भी पर्यावरणीय संवेदनशीलता के दृष्टिगत परीक्षण कर पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु सिया को अनुशंसित किया जाये।</p>
जन सुनवाई	लागू नहीं

753-B वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक

दिनांक 18 मई 2024

पूर्व में इस प्रस्तावित खदान का समिति की बैठक क्रमांक 739 दिनांक 23 अप्रैल 2024 को प्रस्तुतीकरण हुआ था।

उक्त बैठक में समिति ने निर्णय लिया की प्रकरण हेतु परियोजना प्रस्तावक द्वारा ब्लास्टिंग रहित खनन कार्य एवं रॉक ब्रेकर के माध्यम से खनन कार्य दर्शाते हुए संशोधित खनन योजना प्रस्तुत करने को कहा गया था।

उपरोक्त जानकारी परियोजना प्रस्तावक ने परिवेश पोर्टल पर ए.डी.एस के माध्यम से प्रस्तुत कर दी गयी है एवं प्रकरण को आज दिनांक 18/05/24 को प्रस्तुतीकरण हेतु सूचीबद्ध है जिसमें परियोजना प्रस्तावक श्रीमती दुल्ले कुँवर राजपूत पति श्री प्रतापसिंह जी राजपूत ऑनलाईन जुड़े, एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्रीराम राधव, मेसर्स ग्रीन सर्कल आयी. एन.सी, बड़ोदा, गुजरात उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया। परियोजना प्रस्तावकद्वारा बताया गया कि संशोधित रॉक ब्रेकर पर आधारित माईनिंग प्लान सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदन कराकर पोर्टल पर अपलोड कर दिया गया है। समिति द्वारा ई.सी. में अधिरोपित शर्तों की समीक्षा की गई।

डिया की ई.सी. में अधिरोपित शर्तों की समीक्षा	पालन प्रतिवेदन की वर्तमान स्थिति
लीज के चारों ओर फेन्सिंग की वर्तमान स्थिति	लगभग 35 प्रतिशत पायी गई।
ई.सी. में अधिरोपित शर्तों के अनुसार वृक्षारोपण की वर्तमान स्थिति एवं बेरियर जोन में 7.50 मीटर पर वृक्षारोपण	अपूर्ण पायी गई। बेरियर जोन खुदा हुआ है।
गारलेण्ड ड्रेन एवं सेटलिंग टेक की वर्तमान स्थिति	अवलोकित नहीं हुई।
अनुमोदित माईनिंग प्लान के अनुसार खनन किये गये पिट्स में बैंचेस की स्थिति।	अवलोकित नहीं हुई।
पौधारोपण की स्थिति	परियोजना प्रस्तावक द्वारा अवगत कराया गया कि खदान क्षेत्र में लगभग 50 पेड़ लगाये गये एवं 100 पौधे ग्रामवासियों को बांटे गए
ई.सी. में अधिरोपित शर्तों के अनुसार सामाजिक कार्य का विवरण भौतिक लक्ष्य, बजट	सामाजिक कार्य के अन्तर्गत प्रमाणिक साक्ष्य प्रस्तुत किये।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति विशिष्ट शर्तों एवं स्टेपडर्ड शर्तों संलग्नक—ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:—

1. अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता – Stone – 9700 m³/Year.
2. खनन क्षेत्र में प्रस्तावित माईन आधारित केशर प्लान्ट हेतु म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से नियमानुसार स्थापना एवं संचालन सम्मति प्राप्त करना होगी।
3. म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की दिशा निर्देशों के अनुसार प्रस्तावित केशर प्लान्ट में वायु प्रदूषणरोधी उपकरणों की स्थापना सुनिश्चित की जावेगी।

753-B वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 18 मई 2024

4. पुरानी ई.सी. की शर्तों का अनुपालन परियोजना प्रस्तावक द्वारा कराया जाना सुनिश्चित करें।
5. पिट्स में बैंचेस/बेरियर जोन की स्थिति को रि-स्टोर किया जावें।
6. माईन रिस्टोरेशन कार्य माईन प्लान के अनुसार 01 वर्ष में पूर्ण किया जावें तथा खनिज अधिकारी द्वारा इसकी पूर्णता की पुष्टि की जावें तथा सभी शर्तों का पालन न होने की स्थिति में सिक्योरिटी राशि से उक्त कार्य विभागीय स्तर से किया जावें।
7. डिया द्वारा जारी ई.सी की समस्त शर्तों का एवं उपरोक्तानुसार दर्शायें गये कार्यों को पूर्ण कर विस्तृत पालन प्रतिवेदन खनिज अधिकारी से प्रमाणिकृत करवाकर 03 माह के अंदर सिया के समक्ष प्रस्तुत करेंगे।
8. अन्य शर्तों का पालन प्रतिवेदन नियमानुसार प्रत्येक 06 माह में खनिज अधिकारी से प्रमाणिकृत करवाकर सिया के समक्ष प्रस्तुत करेंगे।
9. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रु. 9.34 लाख एवं रिकरिंग राशि रु. 2.27 लाख प्रति वर्ष।

S NO.	Particulars	Budget Provisions (Rs)	
A.	<u>For environment Protection</u>		
		Capital	Recurring
1.	Hiring of water tanker (3,500L) for sprinkling facility for outgoing & incoming vehicle with pipeline @Rs 100/day (PP owned tanker) for 300 days.	-	30,000
2	Garland Drain (1.5 m Wide & 1.0 m Deep & 500m Long) 1. Settling Tank is of 4 m wide, 5 m long & 2.5 m deep. 2. Settling Tank is of 4 m wide, 5 m long & 2.5 m deep. All settling tanks will be of double “S” pattern.	60,000	10,000
3	Contribution in maintenance of existing Road (Road length approx. 185m, Width 5.5m. edge to edge excluding shoulder) (@Rs 300/m) with the provision of rumble strips & T junction where the approach road meets the main road.	55,500	10,000
4	Monitoring twice a year AAQM @10000/yr, Water@5000/yr, Noise@3000/yr Soil@2000/yr	NIL	20,000
4A	Crusher pollution control Equipments	2,00,000	50,000
5.	Plantation (Total 2400 nos.)		
	A. Within Lease Area (In Barrier Zone) @150rs./tree 1 st year -up to ~565m periphery of Mine lease boundary and non-mining area (750 nos.)	1,12,500	20,000

753-B वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 18 मई 2024

	B. Outside the Lease Area (along approach road and village area) <ul style="list-style-type: none"> - 1st year- 130 nos. on evacuation route up to 185m both side (@ Rs. 500/tree) - 2nd year- 50 nos. at Govt. school @ Rs 150 (as boundary wall is present there) 1 st year- 1,600 nos. for distribution by nearby villagers (@ Rs 50/tree)	65,000 7,500 73500	20,000
	C. Sowing of the Local seeds species , Dhatkumari slips, Prosopis seeds & Agew along the bund of proposed excavated garland drain & Settling tank.	6,000	1,000
6	Total wire fencing (~560m long)= 196m existing wire fencing + 214m new proposed @Rs500/meter	107000 19600	20,000
	Wind breaking wall : Total 150m long (per sheet 4m high X 2m long) (@Rs 1000/sheet)	75000	
7	PUC certification of vehicles (2 dumpers @ Rs 500 per dumper)	-	1,000
Labor Welfare			
8	Maintenance existing Drinking Water Facility and rest shelter (20x 15 ft.) with solar light	10,000	5,000
9	Toilets 2 no. (Male & Female) (maintenance of existing)	10,000	5,000
10	Occupational health checkup for 8 workers (@twice/year)@ 1000 x 2 x 8	-	16,000
11	Provision of PPEs (helmets, safety shoes, safety glasses, gloves etc 8 x 2000) for workers.	16,000	5,000
Emergency Rescue Plan			
12	Fire Fighting Equipment (1 Nos.) @ 20000 / fire fighting and first aid @ 2000 per kit	22,000	5,000
13	Safety signage and warning boards like red flags, cones, reflectors etc.	8,000	2,000
14.	Expenditure for the restoration activities at mine lease area	40000	
15	Cost for the mine closure plan at the end of mine life except the cost of wire fence given in point no. 6.	20000	
Solid Waste Management			
16	a) Bins 2 Nos. @ Rs 1500 each	3,000	2,000
	c) Transport of Dry Waste	4,000	
17	Expenditure required for the distribution of the LED bulbs total 200 nos @Rs 100 /bulb for the carbon	20,000	

753-B वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 18 मई 2024

	sequestration.		
	Total	9,34,600	2,27,000

10. सी.ई.आर. मद में निम्नानुसार राशि रु. 0.60 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :—

सी.ई.आर. मद में प्रस्तावित गतिविधियाँ	राशि (रु. में)
ग्राम कोलूखेड़ी में स्वास्थ सेवाओं के विकास हेतु आरोग्यम मंदिर में उल्लेखित राशि भूप्रवेश मिलने के 3 माह के भीतर जमा कर दी जावेगी	60,000/-
कुल	60,000/-

11. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख—रखाव के साथ) कम से कम 2400 वृक्षों का वृक्षारोपण :—

क्र.	वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1.	बैरियर जोन एवं गैर खनन क्षेत्र के अंतर्गत	स्थानीय पौधों की प्रजातियाँ जैसे:— नीम , खमेर , कालासिरिस, सिस्सू , करंज, चिरोल , सफेद सिरिस, पीपल आदि	750
2	खदान क्षेत्र के परिवहन मार्ग के दोनों ओर ,185 मीटर तक)	स्थानीय पौधों की प्रजातियाँ जैसे:— नीम, सिस्सू, चिरोल, कदम्ब, करंज, पाकर, पीपल आदि।	130
3	ग्राम पंचायत में वृक्षारोपण—50 नग	स्थानीय पौधों की प्रजातियाँ जैसे:— पुत्रंजीवा मोलश्री सिस्सू, कदम्ब, पीपल, कचनार, नीम, चिरोल आदि	50
4	ग्रामीणों में पौधों का वितरण	स्थानीय पौधों की प्रजातियाँ जैसे:— आंवला, सीताफल, आम, अमरुद, अनार, कटहल , जामुन, हाइब्रिड मुनगा आदि।	1470

753-B वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 18 मई 2024

उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में किया जायें एवं लीज अवधि तक उन पौधों का रख-रखाव / मृत पौधों का बदलाव खनन् अवधि तक किया जाये । गारलेण्ड ड्रेन तथा सेटलिंग टैंक के बंड एवं अन्य उपलब्ध बीज रोपण हेतु उपर्युक्त स्थल जैसे झाड़ियों के बीच-बीच में आदि पर स्थानीय बीज बोबाई सीधे या सीडबाल बनाकर किया जावे तथा उनका संरक्षण किया जाना । परियोजना प्रस्तावक ग्रामीणों में पौधों का वितरण के समय गाँव का नाम, लाभांवित व्यक्ति का नाम एवं प्रजाति का विवरण देते हुए पर्यावरणीय स्वीकृति के पालन प्रतिवेदन में शामिल करेंगे ।

In case of change in ultimate pit block (Surface plan) due to setback imposed in accordance with order of NGT/CPC/M.P. MMR 1996 or any environmental sensitivity.

"The PP should obtain Modified Mining Plan / Scheme of mining before opening of the mine of capacity approved in EC. The Environment Management Plan Geological Plan & Section, Development plan, Conceptual Plan should be accordingly revised in the approved Mining Plan /SOM by the competent authority with respect to year-wise production."

25. **Case No 10877/2023 Shri Chandra Chauhan, Lessee, 490, Gulab Bai Colony, Nagda, District-Ujjain (MP)-456335, Prior Environment Clearance for Makala Stone Quarry in an area of 1.50 ha. (3450 cum per year) (Khasra No. 418/2), Village-Makla, Tehsil-Nagda, District-Ujjain (MP) [DEIAA]**

प्रस्तावित खदान B2 श्रेणी के अंतर्गत डिया द्वारा जारी पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के पुनर्मूल्यांकन का है, जिसमें आज दिनांक 22.04.2024 को परियोजना प्रस्तावक चन्द्रा कुंवर एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार एपेक्स मिनटेक कन्सलटेंट उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	चन्द्रा कुंवर पति श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान निवासी 40 गुलाबबाई कॉलोनी, तहसील नागदा, जिला उज्जैन म.प्र.
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी / निजी)	418/2 (नॉन फॉरेस्ट लैंड) 2.50 हेक्टरेर भासकीय भूमि
स्थल	ग्राम मकला, तहसील नागदा, जिला उज्जैन
लीज स्वीकृति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला उज्जैन के पत्र क्रमांक -3734/खनिज/उ.प्र./न.क.-16/2021, दिनांक

753-B वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 18 मई 2024

	01.03.2021 के द्वारा स्वीकृत ।
ब्लास्टिंग / रॉक ब्रेकर	अनुमोदित खनन् योजना अनुसार ब्लास्टिंग नहीं है
प्रकरण की स्थिति	नया प्रोजेक्ट ।
डिया ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	डिया उज्जैन के पत्र क्रमांक DEIAA/2016/957 दिनांक 19.05.2016 के द्वारा पत्थर-5000 घनमीटर/वर्ष हेतु पर्यावरणीय अनापत्ति प्राप्त है।
टॉर	लागू नहीं है।
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा पत्थर-5000 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार 5000 घनमीटर/वर्ष है।
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला उज्जैन के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 10084/खनिज/2023-24 दिनांक 27.10.2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में Nill अन्य खदानें संचालित/स्वीकृत हैं, इस प्रकार कुल रकमा 1.50 है. होता है, अतः प्रकरण B2 श्रेणी का है।
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला उज्जैन के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 10084/खनिज/2023-24 दिनांक 27.10.2023 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में ने अनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जौन जैव विविधता क्षेत्र स्थित नहीं है एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला उज्जैन के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 10084/खनिज/2023-24 दिनांक 27.10.2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, भौक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन/सार्वजनिक भवन/अमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/संवेदन फील क्षेत्रों जैसे: रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/तालाब/बांध/स्टॉप डैम/नहर/ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता/नाला नहीं हैं।
ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत सिमरोल, जिला उज्जैन के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक Nill दिनांक 11.02.2019 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन् कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है।
क्षेत्र की स्थिति	क्षेत्र लीज क्षेत्र में प्रस्तावित नहीं है एवं लीज के बाहर स्थित है।
प्रस्तावि स्थल पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	<ul style="list-style-type: none"> • लीज में स्थित पेड़ों का विवरण 6 • हमारे द्वारा पेड़ नहीं काटे जाएंगे

753-B वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 18 मई 2024

प्रस्तावित स्थल की गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति	NE डायरेक्शन में 40 मीटर पर पक्की रोड होने के कारण 60 मीटर का सेड्बैक दिया गया है
प्रस्तावित खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.- 50 के सरल क्रमांक- 37 पर दर्ज है।
जन सुनवाई	लागू नहीं है।

SEAC की 738 वीं बैठक दिनांक 22/04/2024 के द्वारा प्रकरण को समिति ने समिति ने चर्चा के उपरांत परियोजना प्रस्तावक के प्रस्ताव को मान्य करते हुए सक्षम प्राधिकारीसे अनुमोदित रैंक ब्रेकर का संशोधित माइनिंग प्लान कार्यवाही विवरणजारी होने की दिनांक से एक माह के अंदर परिवेश पोर्टलपर अपलोड करने हेतु ऐड जारी करें

प्रकरण को आज दिनांक 18/05/24 को प्रस्तुतीकरण हेतु सूचीबद्ध है, जिसमें परियोजना प्रस्तावक श्री चंद्र कुंवर, ऑनलाईन एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री अमित सक्सेना, एपेक्स मिनटेक कन्सलटेंट उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

प्रस्तुतीकरण के दौरान पर्यावरणीय सलाहकार द्वारा कार्यालय क्षेत्रीय प्रमुख संचालनालय भौमिकी एवं खनिकर्म इंदौर दिनांक 19/04/2024 का नॉन ब्लास्टिन विधि द्वारा अनुमोदित माइनिंग प्लान प्रस्तुत किया गया।

उपरोक्त खदान को पूर्व में डिया जिला स्तरीय समिति द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान की गई थी, जिसकी शर्तों के पालन प्रतिवेदन एवं अन्य बिन्दुओं के दृष्टिगत पुर्ण मूल्यांकन हेतु समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया है। समिति द्वारा ई.सी. में अधिरोपित शर्तों की समीक्षा की गई।

डिया की ई.सी. में अधिरोपित शर्तों की समीक्षा	पालन प्रतिवेदन की वर्तमान स्थिति
लीज के चारों ओर फेन्सिंग की वर्तमान स्थिति	पायी गई।

753-B वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 18 मई 2024

ई.सी. में अधिरोपित शर्तों के अनुसार वृक्षारोपण की वर्तमान स्थिति एवं बेरियर जोन में 7.50 मीटर पर वृक्षारोपण	पायी गई।
गारलेण्ड ड्रेन एवं सेटलिंग टेंक की वर्तमान स्थिति	पायी गई।
अनुमोदित माईनिंग प्लान के अनुसार खनन किये गये पिट्स में बैंचेस की स्थिति।	3 meter की बेन्चेज है।
पौधारोपण की स्थिति	परियोजना प्रस्तावक द्वारा अवगत कराया गया कि खदान क्षेत्र में लगभग 15 पेड़ लगाये गये
ई.सी. में अधिरोपित शर्तों के अनुसार सामाजिक कार्य का विवरण भौतिक लक्ष्य, बजट।	EC संलग्न है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति विशिष्ट शर्तों एवं स्टेपडर्ड शर्तों संलग्नक—ए अनुसार नियमानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:—

1. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता पत्थर—5000 घनमीटर/वर्ष
2. पिट्स में बैंचेस/बेरियर जोन की स्थिति को रि—स्टोर किया जावें।
3. माईन रिस्टोरेशन कार्य माईन प्लान के अनुसार 01 वर्ष में पूर्ण किया जावें तथा खनिज अधिकारी द्वारा इसकी पूर्णता की पुष्टि की जावें तथा सभी शर्तों का पालन न होने की स्थिति में सिक्योरिटी राशि से उक्त कार्य विभागीय स्तर से किया जावें।
4. डिया द्वारा जारी ई.सी. की समस्त शर्तों का एवं उपरोक्तानुसार दर्शायें गये कार्यों को पूर्ण कर विस्तृत पालन प्रतिवेदन खनिज अधिकारी से प्रमाणिकृत करवाकर 03 माह के अंदर सिया के समक्ष प्रस्तुत करेंगे।
5. अन्य शर्तों का पालन प्रतिवेदन नियमानुसार प्रत्येक 06 माह में खनिज अधिकारी से प्रमाणिकृत करवाकर सिया के समक्ष प्रस्तुत करेंगे।
6. पर्यावरण प्रबंधन योजना

क्रमांक	विवरण	पूंजी लागत (रुपये में)	आवर्ती लागत (रुपये में)

753-B वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 18 मई 2024

1.अ	हॉल रोड और ट्रांसपोर्ट रोड दोनों पर टैंकर स्प्रिंकलिंग सिस्टम से पानी का छिड़काव।	1,00,000	75,000
1.ब	पानी की कीमत 2.50 KLD	75,000	30,000
2.	स्पीड ब्रेकर, साइन बोर्ड, रिफ्लेक्टर, टी-प्वाइंट आदि का विकास (लंबाई x चौड़ाई) Rs. 900/ मी के साथ 70 मी. की WBM एप्रोच रोड निर्माण	63,000	50,000
3.	वृक्षारोपण	3,72,000	20,000
4.	निगरानी (एएक्यूएम, शोर और पानी साल में दो बार) @ रु। दो स्थानों/वर्ष के लिए	-	80,000
5.	श्रमिकों और कर्मचारियों के लिए पेयजल सुविधा (एक वाटर कूलर/30-50 श्रमिक @ रु. 10,000/कूलर) और रु. 2000/वर्ष रखरखाव के लिए।	10,000	2,000
6.	पुरुष और महिला के लिए अलग शौचालय @25000X2 और रु। रखरखाव के लिए 3000 / वर्ष।	50,000	6,000
7.	श्रमिकों और कर्मचारी की नियमित चिकित्सा जांच (वर्ष में दो बार प्रति श्रमिक 500 रु)	-	14,000
8.	प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स और अग्निशमन उपकरण @25000X2 और रु। 2000/वर्ष रखरखाव के लिए।	50,000	5,000
9.	खनन कार्यों के लिए पीपीई @ रु 1500 / कार्यकर्ता	-	21,000
10.	मजदूरों के लिए आश्रय कक्ष (20*20)=400वर्ग फुट	50,000	5,000
11.	दो कूड़ेदान और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली का विकास @ रु. 5000 / प्रणाली और रु 2000/वर्ष रखरखाव।	10,000	4,000
12.	ट्रकों के लिए अर्धवार्षिक पीयूसी प्रमाणीकरण @1000/ट्रक	-	2,000
13.	विविध व्यय जैसे सोलर लाइट, (@ 8000/प्रकाश) वेब साइट विकास एवं रखरखाव (@ रु. 5,000/खनन) वेब कैमरा, (प्रति कैमरा @ 3500) खदान के प्रवेश द्वार पर डिस्प्ले बोर्ड (@ 2000/सोलर) आदि	40,000	5,000
14.	खदान के भीतर Catch drain and garland drains (dimensions 1.5 m X 1m) (लगभग 500 मीटर X Rs. 50/-) एवं siltation ponds (Nos. 4) (3.0 m X 1.5 m X 1.5 m) (Rs. 2,000 X Nos. 04 एवं मजदूरी	33,000	20,000
15.	खदान के परिधि में 500 मीटर की लम्बाई में फेन्सिंग की जाएगी (@ रु.500/मीटर)की जाएगी	2,50,000	20,000
16.	मजदूरों के लिए वीटी प्रशिक्षण (न्यूनतम @ 500 रुपये /श्रम)	-	7,000
17	पट्टा क्षेत्र में 7.50 मीटर के प्रतिबंधित क्षेत्र के खुदे हुआ भाग का पुनःभरण किया जायेगा(लंबाई x चौड़ाई) Rs. 600/	2,94,000	

753-B वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 18 मई 2024

	मी के साथ 490 मीटर		
18	निकट ग्राम LED डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी @500/LED X 40	20,000	
		13,97,000	3,66,000

7. सी.ई.आर. मद में निम्नानुसार राशि रु. 60,000 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :—

सी.ई.आर. मद में प्रस्तावित गतिविधियाँ	राशि (रु.में)
ग्राम मकला के विधालय में अधोसंरचना विकास वित्तिय सहायता उपलब्ध की जाएगी।	60,000

8. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत सिंचाई, 10 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख—रखाव के साथ) कम से कम 1800 वृक्षों का वृक्षारोपण :—

क्रमांक	पौधों का प्रस्तावित स्थान	पौधों के नाम	मात्रा
1	हरित पट्टी (500मीटर) बेरियर ज़ोन में तीन लाइनों में किया जायेगा	नीम, सीताफल, पीपल, करंज, चिरोल, जंगल जलेबी, सिस्सो आदि।	380
2	पट्टा क्षेत्र के बाहर अप्रोच रोड के दोनों ओर 500 मीटर 4 फ़ीट की उचाई वाले पौधे लगाए जायेंगे ट्री गार्ड के साथ में	नीम, पीपल, कचनार, करंज, कदम, चिरोल, आदि	500
.3	ग्रामीणों में पौधों का वितरण	आम, जामुन, अमरुद, आंवला, अनार, निम्बू, इमली, कटहल, आदि	920

उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में किया जायें एवं 03 वर्ष तक उन पौधों का रख—रखाव / मृत पौधों का बदलाव खनन अवधि तक किया जाये। गरलेण्ड ड्रेन तथा सेटलिंग टैंक के बंड पर स्थानीय बीज बोबाई कर उनका सरक्षण किया जाना। परियोजना प्रस्तावक ग्रामीणों में पौधों का वितरण के समय गाँव का नाम, लाभांवित व्यक्ति का नाम एवं प्रजाति का विवरण देते हुए पर्यावरणीय स्वीकृति के पालन प्रतिवेदन में शामिल करेंगे।

In case of change in ultimate pit block (Surface plan) due to setback imposed in accordance with order of NGT/CPC/M.P. MMR 1996 or any environmental sensitivity.

"The PP should obtain Modified Mining Plan / Scheme of mining before opening of the mine of capacity approved in EC. The Environment Management Plan Geological Plan & Section,

753-B वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 18 मई 2024

Development plan, Conceptual Plan should be accordingly revised in the approved Mining Plan /SOM by the competent authority with respect to year-wise production."

26. **Case No 10876/2023 Shri NAVEEN AGRAWAL, Owner, Village-Chindiya, Tehsil- Maheshvar, District - Khargone (M.P.), Prior Environment Clearance for Soil Quarry in an area of 1.00 ha. (2900 cum per year) (Khasra No. 30), Village- Lepa, Tehsil- Kasrawad, District-Khargone (M.P.).**

प्रस्तावित खदान समिति की 714वीं बैठक दिनांक 18/01/2024 को प्रस्तुतीकरण हुआ था। परीक्षण के उपरांत समिति द्वारा परियोजना प्रस्तावक को निम्न बिन्दुओं पर जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया :-

- प्रश्नाधीन खदान क्षेत्र में कुछ पेड़ लगे दिख रहे हैं, अतः ट्री इन्वेन्ट्री, झाड़ी प्रजाति के साथ, ऊचाई एवं गर्थ एवं फोटोग्राफ सहित विषय विशेषज्ञ से प्राप्त कर सम्पूर्ण विवरण के साथ प्रस्तुत की जाये।

प्रकरण समिति की 748वीं बैठक दिनांक 22/04/24 को पुनः प्रस्तुतीकरण हुआ था। समिति द्वारा प्रकरण के प्रस्तुतीकरण के प्रारम्भ में पर्यावरणीय सलाहकार से पूछने पर ज्ञात हुआ कि उनके यहाँ से स्थल निरीक्षण नहीं किया गया है। अतः समिति ने निर्देश दिये कि खदान क्षेत्र का एवं आस-पास के क्षेत्र का स्थल निरीक्षण कर जियोटेग फोटोग्राफ के साथ प्रस्तुत करें। तदुपरान्त प्रकरण पर विचार किया जावेगा।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्त जानकारी प्रस्तुत कर दी गई है, जिसे आज दिनांक 18/05/24 को समिति के समक्ष रखा गया, जिसमें परियोजना प्रस्तावक श्री नवीन अग्रवाल, ऑनलाईन एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री मयंक जादौन, मेसर्स जेनिथ इंवायरोमेंट कंसल्टेंसी, नोएड, उ.प्र. उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति विशिष्ट शर्तों एवं स्टेपडर्ड शर्तों संलग्नक-ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:-

1. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता **2900 cum per year**

753-B वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 18 मई 2024

27. **Case No 10843/2023 Shri Kantilal Vagrecha, Lessee, R/o Village-Khawasa, Thandla, District-Jhabua (MP)-457772, Prior Environment Clearance for Bhamal Crusher Stone Deposit in an area of 1.00 ha. (4850 cum per year) (Khasra No. 2080,2081,2082,2083,2084), Village -Bhamal,Tehsil-Thandla,District-Jhabua.**

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	श्री कंतिलाल वागरेचा निवासी –ग्राम खवासा, तहसील–थान्दला, जिला झाबुआ म.प्र.
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी / निजी)	2080, 2081, 2082, 2083, 2084 (नॉन फॉरेस्ट लैंड) 1.00 हेक्टरेर भासकीय भूमि
स्थल	ग्राम भामल, तहसील–थान्दला, जिला झाबुआ
लीज स्वीकृति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला झाबुआ के पत्र क्रमांक -100 / खनिज / 2017, दिनांक 10.01.2018 के द्वारा स्वीकृत ।
ब्लास्टिंग / रॉक ब्रेकर	अनुमोदित खनन् योजना अनुसार ब्लास्टिंग नहीं है।
प्रकरण की स्थिति	नया प्रोजेक्ट ।
डिया ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	डिया झाबुआ के पत्र क्रमांक 106/DEIAA/2017 दिनांक 22. 11.2017 के द्वारा पत्थर-4850 घनमीटर/वर्ष हेतु पर्यावरणीय अनापत्ति प्राप्त है।
टॉर	लागू नहीं है।
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा पत्थर- 4850 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार पत्थर – 4850 घनमीटर/वर्ष है।
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला झाबुआ के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1036 /खनिज /2023 दिनांक 27.10.2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें संचालित /स्वीकृत नहीं हैं, अतः प्रकरण B2 श्रेणी का है।
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला झाबुआ के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1036 /खनिज /2023 दिनांक 27.10.2023 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में ने अनल पार्क /अभ्यारण्य/ ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थित नहीं है एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला झाबुआ के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1036 /खनिज /2023 दिनांक 27.10.2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, भौक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन/ सार्वजनिक भवन/ अमशान घाट/ राष्ट्रीय राजमार्ग/ संवेदन फील क्षेत्रों जैसे: रेडियो स्टेशन, दूरद नि, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय

753-B वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 18 मई 2024

	निकाय/नदी/तालाब/बांध/स्टॉप कच्चा/पक्का रास्ता/नाला नहीं है।	डैम/नहर/ग्रामीण
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पचांयत भामल, जिला झाबुआ के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक 34 दिनांक 26.01.2017 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन् कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है।	
केशर की स्थिति	केशर लीज क्षेत्र में प्रस्तावित नहीं है एवं लीज के समीप स्थित है।	
प्रस्तावि स्थल पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	No existing tree	
प्रस्तावित स्थल की गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति	उत्तर परि चम दि ा – 55 मीटर पर नाला है। परि चम दि ा 60 मीटर पर पौंड है आवेदित खदान पहले 2 हेक्टर की थी पास में नाला होने के कारण आवेदित क्षेत्र का एरिया कम करके उसे 1 हेक्टर कर दिया गया	
प्रस्तावित खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.– 27 के सरल क्रमांक– 5 पर दर्ज है।	
जन सुनवाई	लागू नहीं है।	

प्रस्तावित खदान का समिति की 738वीं बैठक दिनांक 24/04/2024 को प्रस्तुतीकरण हुआ था जिसमें समिति द्वारा खनिज अधिकारी से प्रमाणित कराकर संशोधित आक्षांश/देशांश प्रस्तुत किये जाने के निर्देश दिये गये थे।

प्रस्तावित खदान B2 श्रेणी के अंतर्गत डिया द्वारा जारी पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के पुनर्मूल्यांकन का है, जिसमें आज दिनांक 18.05.2024 को परियोजना प्रस्तावक कांतिलाल वागरेचा एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार एपेक्स मिनटेक कन्सलटेंट उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

जिसमें परियोजना प्रस्तावक श्री बलराम बजांरा, ऑनलाईन एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार **श्री अमित सक्सेना**, एपेक्स मिनटेक कन्सलटेंट उपस्थित हुए और परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि खनिज अधिकारी से प्रमाणित कराकर संशोधित अक्षांश देशांतर प्रस्तुत किए

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति विरि अष्ट शर्तों एवं स्टेपडर्ड शर्तों संलग्नक-ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:-

753-B वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 18 मई 2024

1. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता पत्थर— 4850 घनमीटर/वर्ष।
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रु. 14.30 लाख एवं रिकरिंग राशि रु. 3.05 लाख प्रति वर्ष।

क्रमांक	विवरण	पूँजी लागत (रुपये में)	आवर्ती लागत (रुपये में)
1.अ	हॉल रोड और ट्रांसपोर्ट रोड दोनों पर टैंकर स्प्रिंकलिंग सिस्टम से पानी का छिड़काव।	50,000	20,000
1.ब	पानी की कीमत 2.50 KLD	75,000	10,000
2.	स्पीड ब्रेकर, साइन बोर्ड, रिफ्लेक्टर, टी-प्वाइंट आदि का विकास (लंबाई x चौड़ाई) Rs. 900/मी के साथ 300 मी. की WBM एप्रोच रोड निर्माण	2,70,000	20,000
3.	वृक्षारोपण	3,60,000	30,000
4.	निगरानी (एएक्यूएम, शोर और पानी साल में दो बार) @ रु. दो स्थानों/वर्ष के लिए 40,000	-	1,20,000
5.	श्रमिकों और कर्मचारियों के लिए पेयजल सुविधा (एक वाटर कूलर/30-50 श्रमिक @ रु. 10,000/कूलर) और रु. 2000/वर्ष रखरखाव के लिए।	10,000	2,000
6.	पुरुष और महिला के लिए अलग शौचालय @25000X2 और रु। रखरखाव के लिए 3000 / वर्ष।	50,000	3,000
7.	श्रमिकों और कर्मचारी की नियमित चिकित्सा जांच (वर्ष में दो बार प्रति श्रमिक 500 रु)	-	10,000
8.	प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स और अग्निशमन उपकरण @10000X2 और रु। 10000/वर्ष रखरखाव के लिए।	20,000	10,000
9.	खनन कार्यों के लिए पीपीई @ रु 1500 / कार्यकर्ता	-	15,000
10.	मजदूरों के लिए आश्रय कक्ष (20*20)=400वर्ग फुट	40,000	4,000

753-B वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 18 मई 2024

11.	दो कूड़ेदान और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली का विकास @ रु. 5000 / प्रणाली और रु 2000/वर्ष रखरखाव।	10,000	4000
12.	ट्रकों के लिए अर्धवार्षिक पीयूसी प्रमाणीकरण @1000/ट्रक	-	2,000
13.	चराई भूमि विकास रु. @ 5000 खानों के लिए 5.00 हेक्टेयर तक और रु. खानों के लिए 10,000 > 5.00 हेक्टेयर।	5,000	5,000
14.	विविध व्यय जैसे सोलर लाइट, (@ 8000 X 7 सोलर लाइट) वेब साइट विकास एवं रखरखाव (@ रु. 5,000/खनन) वेब कैमरा, (प्रति कैमरा @ 3500 X 4) खदान के प्रवेश द्वार पर डिस्प्ले बोर्ड (@ 2000/) आदि	56,000	4,000
15.	मजदूरों के लिए वीटी प्रशिक्षण (न्यूनतम @ 500 रुपये /श्रम)	-	11,000
16.	खदान के भीतर Catch drain and garland drains (dimensions 1.5 m X 1m) (लगभग 540 मीटर र 1 Rs. 50/-½ एवं siltation ponds (Nos. 10) (3.0 m X 1.5 m X 1.5 m) (Rs. 5,000 X Nos. 4), वं मजदूरी	77,000	20,000
17.	खदान के परिधि में 540 की लम्बाई में फेन्सिंग की जाएगी (@ रु.500/मीटर)की जाएगी	2,70,000	15,000
	पट्टा क्षेत्र में 7.50 मीटर के प्रतिबंधित क्षेत्र के खुदे हुआ भाग का पुनःभरण किया जायेगा(लंबाई x चौड़ाई) Rs. 600/ मी के साथ 195 मीटर	1,17,000	
	निकट ग्राम LED डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी @500/LED X 40	20,000	
	कुल योग	14,30,000	3,05,000

3. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रु. 0.60 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :—

753-B वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 18 मई 2024

सी.ई.आर. मद में प्रस्तावित गतिविधियाँ	राष्ट्रीय (रु.में)
ग्राम भाग के शासकीय उत्कृष्ट माध्यमिकविद्यालय के अधोसंरचना विकास हेतु वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाएगी	60,000

4. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 10 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख—रखाव के साथ) कम से कम 1200 वृक्षों का वृक्षारोपण :—

क्रमांक	पौधों का प्रस्तावित स्थान	पौधों के नाम	मात्रा
1	हरित पट्टी (7.50 मीटर बेरियर ज़ोन में 540 मीटर की लम्बाई पर तीन लाइनों में वृक्षारोपण किया जायेगा)	नीम, सीताफल, पीपल, करंज, चिरोल, जंगल जलेबी, सफेद कस्टार, सिस्सु आदि।	400
2	पट्टा क्षेत्र के बाहर अप्रोच रोड(500 मीटर) के दोनों ओर 2 लाइनों में 4 फ़ीट की उचाई वाले पौधे लगाए जायेंगे ट्री गार्ड के साथ में	नीम, पीपल, कचनार, करंज, कदम, चिरोल, आदि	500
3	ग्रामीणों में पौधों का वितरण	आम, जामुन, अमरुद, आंवला, अनार, निम्बू, कटहल, आदि	300
उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में किया जायें एवं 03 वर्ष तक उन पौधों का रख—रखाव / मृत पौधों का बदलाव खनन अवधि तक किया जाये । गरलेण्ड ड्रेन तथा सेटलिंग टैंक के बंड पर स्थानीय बीज बोबाई कर उनका सरक्षण किया जाना । परियोजना प्रस्तावक ग्रामीणों में पौधों का वितरण के समय गाँव का नाम, लाभांवित व्यक्ति का नाम एवं प्रजाति का विवरण देते हुए पर्यावरणीय स्थीकृति के पालन प्रतिवेदन में शामिल करेंगे ।			

28. **Case No 11034/2023 Shri Gopal Rathore, Owner, Niwasi-Gram Jainabad, Tehsil & District-Burhanpur (MP)-450331. Prior Environment Clearance for Hasinabad Stone Quarry in an area of 1.30 ha. (11400 cum per year) (Khasra No. 230), Village-Hasinabad, Tehsil-Khaknar, District-Burhanpur (MP) [451784] [DEIAA] (TOR)**

प्रकरण आज सेक की 753वीं बैठक दिनांक 18/05/24 को प्रस्तुतीकरण हेतु सूचीबद्ध था, जिसमें परियोजना प्रस्तावक / उनके पर्यावरणीय सलाहकार समिति के समक्ष उपस्थित नहीं हुए । समिति ने चर्चा उपरांत निर्णय लिया कि परियोजना प्रस्तावक से

753—B वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 18 मई 2024

प्रस्तुतीकरण हेतु अनुरोध प्राप्त होने के पश्चात प्रकरण की समीक्षा हेतु विचार किया जा सकेगा ।

29. **Case No 10993/2023 Shri Brijendra Dikshit, R/o Ward no. 37, Shanti Nagar Colony, Purana Bijawar Naka, District Chhatarpur , MADHYA PRADESH, 471001. Prior Environment Clearance for Murum Quarry in an area of 1.00 ha.(16000 cum per year) (Khasra No. 656 P), Village-Kaidi Tehsil-chhatarpur District-Chhatarpur (MP) [452813] (B2)**

प्रस्तावित मुरम खदान समिति की 730वीं बैठक दिनांक 18/03/24 को पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु सिया को अनुशंसा प्रेषित की गई थी ।

सिया ने पत्र क्रमांक 678 दिनांक 15/05/24 के द्वारा “सेक द्वारा प्रकरण में यह अनुशंसित किया गया है कि उक्त खदान पहाड़ पर स्थित है एवं पहाड़ी क्षेत्र को गैर खनन् क्षेत्र (लगभग 0.24 हे.) के रूप में छोड़ा गया है एवं अनुमोदित खनन् योजना अनुसार उत्पादन क्षमता 16,000 घनमीटर / वर्ष अनुशंसित की गई है ।

यदि खनन् क्षेत्र कम किया गया है तो क्या खनन् योग्य शेष क्षेत्र में से अनुशंसित उत्पादन क्षमता 16,000 घनमीटर / वर्ष प्राप्त हो पायेगी । अतः उपरोक्त के दृष्टिगत प्रकरण पुनः परीक्षण हेतु समिति के समक्ष प्रेषित किया गया है ।

प्रकरण समिति के समक्ष आज दिनांक 18/05/24 को रखा गया, जिसमें परियोजना प्रस्तावक Shri Brijendra Dikshit online एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री अमर सिंह यादव, मेसर्स एसीरीज इंवायरोटेक इंडिया प्रा. लि. लखनऊ उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

Query raised by SEIAA

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 730वीं बैठक दिनांक 18.03.2023 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तों (परिशिष्ट—ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है ।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाधात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

SEAC द्वारा प्रकरण में यह अनुशंसित किया गया है कि उक्त खदान पहाड़ पर स्थित है एवं पहाड़ी क्षेत्र को गैर खनन क्षेत्र (लगभग 0.24 हे.) के रूप में छोड़ा गया है एवं अनुमोदित खनन योजना अनुसार उत्पादन क्षमता 16000 घनमीटर प्रतिवर्ष अनुशंसित की गई है ।

यदि खनन क्षेत्र कम किया गया है तो क्या खनन योग्य शेष क्षेत्र में से अनुशंसित उत्पादन क्षमता 16000 घनमीटर प्रतिवर्ष प्राप्त हो पायेगी ? अतः उपरोक्त के दृष्टिगत प्रकरण पुनः परीक्षण किये जाने हेतु SEAC को अग्रेषित किया जाये । तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जाये ।

753-B वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 18 मई 2024

PP submitted following query reply

- अनुमोदित खनन योजना अनुसार उत्पादन क्षमता 16000 घनमीटर प्रतिवर्ष अनुसंशित की गयी है किन्तु खनन क्षेत्र कम किया गया है तो खनन योग्य शेष क्षेत्र में से कुल 56000 घनमीटर मुरुम का खनन किया जा सकेगा

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति विशिष्ट शर्तों एवं स्टेपडर्ड शर्तों संलग्नक—ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:—

- 1.अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता — 16,000 मी.³ प्रति वर्ष
- 2.पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रु. 9,44,000/- एवं रिकरिंग राशि रु. 2,92,800/- प्रति वर्ष ।

SL.N	Particulars	Capital (inRs.)	Cost	Recurring Cost (in Rs.)
C. FOR ENVIRONMENTAL PROTECTION				
1(a)	Water sprinkling through tanker sprinkling system both on haul road and transportation road.	Nil	20,000	
1 (b)	Cost of water of 2000ltr.@0.15 rupees/liter for 300 days), Regular Uses	Nil	90,000	
	Cost of water of Plantation 2000ltr.@0.15 rupees/liter * 2 for 43 weeks, (twice in a week).	Nil	25,800	
2	Garland Drain is proposed (398m x 2m x 1.5m) And two Settling tank in SS pattern (10m x 02m x 02)	80,000	10,000	
3	Barbed wire fencing (along the lease boundary) with cemented boundary pillars @500 x398	1,99,000	5,000	
4	Plantation @ Rs. 200/plant, Barrier zone & village Total plantation in Barrier zone area is 760 x Rs.200	2,22,000	20,000	
	Plantation @ Rs. 500/plant with tree guards Total plantation in approach road is 100 x Rs.500			
	Plants distribution @ Rs. 50/plant. Total plant distribution (400 X Rs. 50)			
5	Pucca Approach Road maintenance with Speed breakers, Sign Boards, Reflectors, Development of T-Point etc. 130m x 5m) @500/sqm	65,000	10,000	
6	Monitoring (AAQM, Noise & Water twice in a year) @ Rs. 40,000 for two locations/year	Nil	40,000	
7	Drinking Water Facility for labour and staff (one water cooler/15 labour @ Rs. 10,000/cooler) & Rs. 2000/year for maintenance	10,000	2000	
8	Separate Toilets for Male and Female @15000X2 and Rs. 3000/year for maintainence.	30,000	3000	
9	Occupational Medical Check-up for 12workers	Nil	12,000	

753-B वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 18 मई 2024

	@500/worker (twice in a year)		
10	First Aid Box & Fire fighting equipments @25000X2 & Rs. 2000/year for maintainence.	50,000	2000
11	PPEs for other mining operations for 12 worker@ Rs. 1500/worker	18,000	5,000
12	Shelter rooms for labors (20*10)=200 Square feet @Rs.800/square ft.	1,60,000	10,000
13	Two dustbins & development of solid waste management system @ Rs. 5000/system and Rs. 2000/year maintainence.	10,000	2000
14	Half yearly PUC certification for 5 trucks @1000/truck	-	5,000
15	Grazing Land development Rs. @ 5000 for mines up to 5.00 ha and Rs. 10,000 for mines>5.00 ha. (Grass- Dicanthium, Punia, Siran, Themada)	50,000	5000
16	Miscellaneous Expenses such as for 02 solar lights, (@ Rs. 8000/light) Web site development & maintainence (@ Rs. 5,000/mine) Web Camera (04), (per camera @ 3500) Display Board at mine entrance (@ 2000/board) etc. (Website will be updated every three months)	50,000	5000
17	VT Trainings for 12 workers (minimum@ Rs. 500/Labour)	Nil	6,000
18	Carbon capture trading & 200 Led bulb distribution	Nil	15,000
Total		9,44,000	2,92,800

3. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रु. 0.60 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :—

सी.ई.आर. मद में प्रस्तावित गतिविधियाँ	राशि (रु.में)
शासकीय नवीन माध्यमिक स्कूल कैडी में फर्नीचर बीस नग बेंच एवं डेस्क) एवं दो अलमारी उपरोक्त राशि रु. 0.60 लाख शिक्षक पालक संघ मे भू प्रवेश से तीन माह के भीतर जमा करेंगे	60,000 /—

4. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 1260 वृक्षों का वृक्षारोपण :—

क्रं	वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	बैरियर जोन में	नीम, चिरोल, बबूल, सिस्सू, करंज, आम, सीताफल, खमेर, एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ	760
2	परिवहन मार्ग में (न्यूनतम	कदम्ब, कचनार, चिरोल,	100

753-B वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 18 मई 2024

	ऊँचाई 1.5 मीटर ट्री-गार्ड के साथ)	नीम, पीपल, आम एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ ट्री गार्ड के साथ	
3	नॉन माइनिंग जोन	इमली, आवंला, नीबू बेल, आम, जामुन, कटहल, मुनगा, एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ।	400

उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में किया जायें एवं 03 वर्ष तक उन पौधों का रख-रखाव / मृत पौधों का बदलाव खनन् अवधि तक किया जाये। गारलेण्ड ड्रेन तथा सेटलिंग टैंक के बंड पर स्थानीय बीज बोबाई कर उनका संरक्षण किया जाना। परियोजना प्रस्तावक ग्रामीणों में पौधों का वितरण के समय गाँव का नाम, लाभांशित व्यक्ति का नाम एवं प्रजाति का विवरण देते हुए पर्यावरणीय स्वीकृति के पालन प्रतिवेदन में शामिल करेंगे।

1- In case of change in ultimate pit block (Surface plan) due to setback imposed in accordance with order of NGT/CPC/M.P. MMR 1996 or any environmental sensitivity.

"The PP should obtain Modified Mining Plan / Scheme of mining before opening of the mine of capacity approved in EC. The Environment Management Plan Geological Plan & Section, Development plan, Conceptual Plan should be accordingly revised in the approved Mining Plan /SOM by the competent authority with respect to year-wise production."

- 30. Case No 9691/2023 Shri Gajraj Prajapati, Adhyaksh, M/s Harsh Samajotthan Samiti R/o Gram & Post-Khaddi Gaurihar, District-Chhattarpur (MP)-471515, Prior Environment Clearance for Jujharnagar Stone Quarry in an area of 3.615 ha. (150000 Cum per annum) (Khasra No. 2589P), Village-Jujharnagar, Tehsil-Gaurihar, District-Chhattarpur (MP) (EIA)**

प्रकरण समिति की 730वीं बैठक दिनांक 01/04/2024 को पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु अनुशंसा सिया को प्रेषित की गई थी।

सिया की 844वीं बैठक दिनांक 23/04/2024 के द्वारा प्रकरण को पुनः परीक्षण हेतु अग्रेषित किया है बैठक की कार्यवाही में विवरण है कि:-

753-B वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 18 मई 2024

सिया द्वारा पर्यावरणीय मूद्दे पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निम्नानुसार निर्णय लिया गया :-

"परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत अनुमोदित खनन योजना के अंक्षांश देशांश अनुसार गूगल इमेज के आधार पर प्रस्तावित खदान वर्जन पहाड़ी पर स्थित है तथा विशिष्ट प्रजाति के करधई के वृक्षों से अच्छादित है जो पर्यावरण की दृष्टि से संवेदनशील है तथा इसका आस-पास के क्षेत्र के पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है। यद्यपि प्रकरण में SEAC द्वारा क्षतिपूर्ति हेतु 1700 पौधों का वृक्षारोपण किया जाना अनुशांसित किया गया है, यह स्पष्ट नहीं है कि क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण किस प्रजाति के पौधों का एवं किस स्थल पर किया जाना है। इसके अतिरिक्त गैर खनन क्षेत्र छोड़ने के फलस्वरूप 2.2 हेक्टेयर खनन योग्य क्षेत्र शेष होना अनुशांसित किया गया है, लेकिन तदानुसार उत्पादन क्षमता में संशोधन नहीं किया गया है। अतः उपरोक्त के दृष्टिगत प्रकरण पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित किया जाये। तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जाये"।

प्रकरण को आज दिनांक 18/05/24 को प्रस्तुतीकरण हेतु सूचीबद्ध है, जिसमें परियोजना प्रस्तावक मेसर्स हर्ष समाजोत्थान समिति गौरिहार अध्यक्ष श्री गजराज प्रजापति ऑनलाईन जुड़े एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्रीराम राघव, मेसर्स ग्रीन सर्कल आईएनसी, बडौदा, गुजरात उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

जिसमें समिति द्वारा प्रस्तुतीकरण के आधार पर सिया द्वारा चाही गयी उपरोक्त जानकारी के सम्बन्ध में यह निर्णय लिया गया कि

1. क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण किस प्रजाति के पौधों का एवं किस स्थल पर किया जाना है -

इस सन्दर्भ में क्षतिपूर्ति एवं अन्य पोधों कि प्रजाति एवं उनका स्थल प्रस्तावित पौधरोपण योजना में शामिल किया गया था जो कि निम्नानुसार है :

कं.	प्रस्तावित वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	उत्खनिपट्टे के बैरियर जोन व गैर खनन क्षेत्र में के अंतर्गत	स्थानीय पौधों की प्रजातियाँ जैसे:- करधई आदि	2500 पौधे

753-B वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 18 मई 2024

2	परिवहन मार्ग के किनारे वृक्षारोपण	स्थानीय पौधों की प्रजातियां जैसे:- करंज, पीपल, बरगद, पुतरंजीवा, महुआ, कदम्ब इत्यादि।	180 पौधे
3	ग्राम बारीगढ़ में स्थित स्कूल में वृक्षारोपण	स्थानीय पौधों की प्रजातियां जैसे:- पुत्रंजीवा, मोलश्री, सिस्सू, कदम्ब, बरगद, पीपल, कचनार, नीम, चिरोल आदि	50 पौधे
4	ग्राम बितालीपुरा में स्थित स्कूल में वृक्षारोपण	स्थानीय पौधों की प्रजातियां जैसे:- पुत्रंजीवा, मोलश्री, सिस्सू, कदम्ब, बरगद, पीपल, कचनार, नीम, चिरोल आदि	50 पौधे
5	पास के गांव में पौधे का वितरण	स्थानीय पौधों की प्रजातियां जैसे:- आमला, सीताफल, आम, अमरुद, अनार, कटहल, जामुन, हाइब्रिड मुनगा आदि।	3370 पौधे
कुल वृक्षारोपण		6150 पौधे	

2. गैर खनन क्षेत्र छोड़ने के फलस्वरूप 2.2 हेक्टेयर खनन योग्य क्षेत्र शेष होना अनुशंसित किया गया है, लेकिन तदानुसार उत्पादन क्षमता में संशोधन नहीं किया गया है -

इस सन्दर्भ में समिति द्वारा परियोजना प्रस्तावक को निम्न शर्त दी गई है

In case of change in ultimate pit block (Surface plan) due to setback imposed in accordance with order of NGT/CPC/M.P. MMR 1996 or any environmental sensitivity.

"The PP should obtain Modified Mining Plan / Scheme of mining before opening of the mine of capacity approved in EC. The Environment Management Plan Geological Plan & Section, Development plan, Conceptual Plan should be accordingly revised in the approved Mining Plan /SOM by the competent authority with respect to year-wise production."

3. इसके अतिरिक्त परियोजना प्रस्तावक द्वारा यह बताया गया कि क्रेशर प्लांट खदान क्षेत्र से बाहर प्रस्तावित किया गया है

753-B वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 18 मई 2024

अनुशंसा— प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्तों के साथ परियोजना को पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की पुनः अनुशंसा की जाती है एवं पूर्व की शर्तें यथावत रहेंगी

31. Case No 9208/22 Shri Mukul Purohit S/o Shri Balkrishna Purohit, Bhagat Singh Ward, Dist. Sagar, MP. Prior Environment Clearance for Granite Quarry in an area of 10.0 ha. (2400 Cum per annum) (Khasra No. 312, 315, 323), Village - Shahgarh, Tehsil - Shahgarh, Dist. Sagar (MP) (EIA)

प्रस्तावित ग्रेनाइट खदान का समिति की 730वीं बैठक दिनांक 18/03/24 को प्रस्तुतीकरण हुआ था। प्रस्तुतीकरण के दौरान समिति ने यह पाया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा जो के.एम.एल इमेज प्रदर्शित की गई उसके 'आक्षांश'-देशांश का मिलान माईनिंग प्लान में प्रदर्शित 'आक्षांश'-देशांश से कुछ अंतर पाया गया है। अतः समिति ने परियोजना प्रस्तावक को निर्देश दिये कि माईनिंग प्लान में दिये गये 'आक्षांश'-देशांश पर आधारित के.एम.एल इमेज प्रस्तुत करे एवं आवश्यकता पड़ने पर तत्पश्चात प्रकरण पर विचार किया जावेगा।

परियोजना प्रस्तावक ने उपरोक्त जानकारी प्रस्तुत कर दी गई है, प्रकरण समिति के समक्ष आज दिनांक 18/05/24 को रखा गया, जिसमें परियोजना प्रस्तावक Shri Mukul Purohit, Online एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री वरुण भारद्वाज, मेसर्स जेनिथ इंवायरोमेंट कंसल्टेंसी, नोएड, उ.प्र. उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत किया कि उनके द्वारा जो सेक की पूर्व बैठक में के.एम.एल इमेज प्रदर्शित की गई उसके 'आक्षांश'-देशांश का मिलान माईनिंग प्लान में प्रदर्शित 'आक्षांश'-देशांश से कुछ अंतर पाया गया है इस संबंध में उनके द्वारा संबंधित जिला खनिज अधिकारी से आग्रह करने पर खनिज अधिकारी द्वारा कहा गया कि सेक की कार्यवाही विवरण में उन्हें निर्देशित किया जाये, तत्पश्चात कार्यवाही की जावेगी। अतः समिति ने निर्णय लिया कि जिला खनिज अधिकारी इस संबंध में सेक से पत्र जारी किया जाये।

32. Case No 9207/22 Shri Manish Purohit S/o Shri Balkrishna Purohit, Bhagat Singh Ward, Dist. Sagar, MP. Prior Environment Clearance for Granite Quarry in an area of 14.40 ha. (4500 Cum per annum) (Khasra No. 570), Village - Bagrohi, Tehsil - Shahgarh, Dist. Sagar (MP) (EIA)

प्रस्तावित ग्रेनाइट खदान का समिति की 730वीं बैठक दिनांक 18/03/24 को प्रस्तुतीकरण हुआ था।

753-B वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 18 मई 2024

प्रस्तुतीकरण के दौरान समिति ने यह पाया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा जो के.एम.एल इमेज प्रदर्शित की गई उसके 'आक्षांश'-देशांश का मिलान मार्झिनिंग प्लान में प्रदर्शित आक्षांश/देशांश से कुछ अंतर पाया गया, अतः समिति ने परियोजना प्रस्तावक को निर्देश दिये कि मार्झिनिंग प्लान में दिये गये आक्षांश'-देशांश पर आधारित के.एम.एल इमेज प्रस्तुत करे तत्पश्चात प्रकरण पर विचार किया जावेगा।

परियोजना प्रस्तावक ने उपरोक्त जानकारी प्रस्तुत कर दी गई है, प्रकरण समिति के समक्ष आज दिनांक 18/05/24 को रखा गया, जिमसें परियोजना प्रस्तावक Shri Manish Purohit (Online) एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री वरुण भारद्वाज, मेसर्स जेनिथ इंवायरोमेंट कंसल्टेंसी, नोएड, उ.प्र. उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

परियोजना प्रस्तावक ने उपरोक्त जानकारी प्रस्तुत कर दी गई है, प्रकरण समिति के समक्ष आज दिनांक 18/05/24 को रखा गया, जिमसें परियोजना प्रस्तावक Shri Mukul Purohit, Online एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री वरुण भारद्वाज, मेसर्स जेनिथ इंवायरोमेंट कंसल्टेंसी, नोएड, उ.प्र. उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत किया कि उनके द्वारा जो सेक की पूर्व बैठक में के.एम.एल इमेज प्रदर्शित की गई उसके 'आक्षांश'-देशांश का मिलान मार्झिनिंग प्लान में प्रदर्शित आक्षांश/देशांश से कुछ अंतर पाया गया है इस संबंध में उनके द्वारा संबंधित जिला खनिज अधिकारी से आग्रह करने पर खनिज अधिकारी द्वारा कहा गया कि सेक की कार्यवाही विवरण में उन्हें निर्देशित किया जाये, तत्पश्चात कार्यवाही की जावेगी। अतः समिति ने निर्णय लिया कि जिला खनिज अधिकारी इस संबंध में सेक से पत्र जारी किया जाये।

33. **Case No 7322/2020 Smt. Manju Singh W/o Shri Narendra Bahadur Singh, R/o Bamhangawan, Tehsil - Raghurajnagar, Dist. Satna Prior Environment Clearance for Laterite Quarry in an area of 5.70 ha. (18530 cum per annum) (Khasra No. 2P), Village - Bihra, Tehsil - Kotar, Dist. Satna (MP) EIA Con.**

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) की बैठक क्रमांक 448वीं दिनांक 23/07/2020 में टॉर (TOR) की अनुशंसा की गई थी।

प्रकरण समिति की 563वीं बैठक दिनांक 04/04/22 प्रस्तुतीकरण हेतु सूचीबद्ध था किंतु परियोजना प्रस्तावक एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार ऑन लाईन/ऑफ लाईन प्रस्तुतीकरण हेतु समिति के समक्ष उपस्थित नहीं हुए हैं। अतः समिति ने निर्णय लिया कि परियोजना प्रस्तावक को प्रस्तुतीकरण हेतु अंतिम अवसर देते हुए प्रकरण आगामी बैठक में रखा जाये तथा यदि फिर भी परियोजना प्रस्तावक अनुपस्थित रहते हैं तो इस प्रकरण निरस्त (डिलिस्ट) करते एसईआईए ए को अग्रिम कार्यवाही हेतु भेजा जावें।

753-B वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक

दिनांक 18 मई 2024

समिति की 564वीं बैठक दिनांक 15/04/22 को परियोजना प्रस्तावक ऑन-लाईन और उनकी ओर से पर्यावरण सलाहकार श्री आंनंद गुप्ता उपस्थित हुए। प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि लेटराईट खदान होने के कारण उत्खनन् के दौरान ब्लास्टिंग प्रस्तावित नहीं है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑन लाईन अपलोड माइन प्लॉन के अक्षांश-देशांस के आधार पर गूगल इमेज अनुसार प्रश्नाधीन खदान स्थल के दक्षिण-पश्चिम दिशा से 120 मीटर की दूरी पर पक्का रोड़ तथा दक्षिण-पश्चिम एवं दक्षिण दिशा की तरफ लगभग 110 मीटर की दूरी पर मानव बसाहट है। प्रस्तुतीकरण के दौरान समिति ने यह पाया कि खदान के मध्य भाग से कच्चा रोड़ निकल रहा है अतः कच्चे रोड़ के दोनों ओर 20-20 मीटर का सेट-बैक छोड़ा जाना चाहिए तथा परियोजना प्रस्तावक को पुनर्रीक्षित सरफेस मेप प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए। प्रस्तुतीकरण के दौरान समिति ने यह भी पाया कि खदान के पश्चिमी भाग में कुछ पेड़ (35) लगे हैं। परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इनको काटा जाना प्रस्तावित नहीं है, यह क्षेत्र नॉन माईनिंग जोन में छोड़ा जायेगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि इस खदान की जनसुनवाई के दौरान सामाजिक कल्याण के कार्य (जैसे: मंदिर हेतु सीढ़ी का निर्माण, तहसील भवन/विद्यालय की मरम्मत, गौशाला का विकास कार्य, पेयजल की व्यवस्था एवं सोलर लाईट) किये जाने हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुए थे, जिनको उनके द्वारा सी.ई.आर. में शामिल किया गया है। प्रस्तुतीकरण के पश्चात् परियोजना प्रस्तावक को निम्नानुसार जानकारी प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए :—

- ✓ खदान के पश्चिमी भाग में कुछ पेड़ (35) लगे हैं, अतः ट्री इंवेंट्री (सोटाई, गोलाई, ऊँचाई एवं प्रजाति)।
- ✓ पुनर्रीक्षित सरफेस प्लॉन, जिसमें नॉन माईनिंग जोन दिखाते हुए।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा चाही गई जानकारी ऑनलाईन प्रस्तुत की गई जिस कारण उसे एजेण्डा में सूचीबद्ध किया गया।

समिति की पूर्व की 566वीं बैठक दिनांक 23/04/22 को पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु सिया को अनुशंसा प्रेषित की गई थी।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाधात निर्धारण प्राधिकरण के पत्र क्रमांक 497 दिनांक 20/05/22 के द्वारा “प्रस्तावित खदान के निकटतम् 120 मीटर पर पक्का रोड़, 110 मीटर की दूरी मानव बसाहट, खदान के मध्य भाग से होकर कच्चा रोड़ निकल रहा है, साथ ही खदान के पश्चिमी भाग में 35 पेड़ लगे होना परिलक्षित है, अतः प्राधिकारण द्वारा उपरोक्त पर्यावरणीय संवेदनशीलता के दृष्टिगत विस्तृत चर्चा एवं विचार-विमर्श उपरांत उक्त प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति के आवेदन को निरस्त करने का निर्णय लिया गया”।

परियोजना प्रस्तावक ने पत्र दिनांक 28/05/22 के माध्यम से पुनः परीक्षण हेतु अनुरोध किया गया, जिसे सिया की 731वीं बैठक दिनांक 08/06/22 में रखा गया और सिया की 722वीं बैठक दिनांक 07/05/22 को प्रकरण में पर्यावरणीय संवेदनशीलता के दृष्टिगत विस्तृत चर्चा एवं विचार-विमर्श उपरांत निर्णय लिया गया है कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा

753-B वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक

दिनांक 18 मई 2024

पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु परिवेश पोर्टल पर नवीन आवेदन किया जाये, की सूचना सिया के पत्र क्रमांक 823 दिनांक 23/06/22 के द्वारा परियोजना प्रस्तावक को भी दी गई है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 14/11/22 को नवीन आवेदन (पुराने प्रकरण क्रमांक-7322/2020 से ही) प्रस्तुत किया, जिसे सिया द्वारा दिनांक 22/11/22 को परीक्षण हेतु सेक को भेजा गया।

प्रकरण पूर्व में समिति की 611वीं बैठक दिनांक 14/12/22 प्रकरण को रखा गया परियोजना प्रस्तावक सुश्री मंजु सिंह (ऑनलाईन) और उनकी ओर से पर्यावरण सलाहकार श्री आंनद गुप्ता, (ऑनलाईन) मेसर्स ग्लोबस इंवायरमेंटल इंजीनियरिंग सर्विसेस, लखनऊ, उ.प्र. उपस्थित हुए। प्रकरण के प्रस्तुतीकरण के दौरान समिति ने पाया कि पूर्व में समिति की 566वीं बैठक दिनांक 23/04/22 को जब यह प्रकरण प्रस्तुत हुआ था उसके पश्चात् 02 नई समस्याएँ आवंटित खनन् क्षेत्र के अंदर परिलक्षित हो रही है जिसमें पश्चिम दिशा में एक गोडाऊन का निर्माण तथा लीज के माध्य भाग में एक शेड/पक्के निर्माण की गतिविधि। इसके संदर्भ में परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि यह निर्माण किनके द्वारा किया जा रहा है उनको ज्ञात नहीं क्योंकि अभी उनको आवंटित खनन् क्षेत्र में प्रवेश का अधिकार नहीं मिला है। अतः समिति ने चर्चा उपरांत निर्णय लिया कि परियोजना प्रस्तावक पश्चिम दिशा में एक गोडाऊन तथा लीज के माध्य भाग में एक शेड/पक्के निर्माण की गतिविधि किसके द्वारा की जा रही है तथा उसकी सटीक जानकारी मय फोटोग्राफ के सक्षम प्राधिकारी के प्रमाण-पत्र एवं पुनरीक्षित योजना सहित 15 दिवस में प्रस्तुत की जाये ताकि प्रकरण पर निर्णय लिया जा सके।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्त जानकारी परिवेश पोर्टल पर अपलोड कर दी गई है। समिति की पूर्व की 635वीं बैठक दिनांक 08/04/23 को प्रस्तुतीकरण हुआ था।

समिति ने परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन किया एवं पाया कि आवंटित खनन् क्षेत्र के पश्चिमी भाग में एक गौशाला का निर्माण हो गया है, जिसके फोटो परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत किए गए हैं। इसी प्रकार आवंटित खनन् क्षेत्र के बीच में पोल्ट्रीफार्म तथा हटमेंट बना लिए गए हैं जिसके संबंध में परियोजना प्रस्तावक का कथन है कि यह अवैध निर्माण है तथा उनको हटा दिया जायेगा। अतः समिति का मत है कि चूंकि आवंटित भूमि शासकीय है अतः परियोजना प्रस्तावक जिला प्रशासन की सहमति इस बारे में प्राप्त करे की वर्तमान आवंटित खनन् क्षेत्र के अंदर स्थित निर्माण (गौशाला, पोल्ट्रीफार्म तथा हटमेंट) अवैध है एवं जिला प्रशासन इनको वहां से हटाने पर सहमत है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्त जानकारी प्राप्त न होने कारण समिति की 756वीं बैठक दिनांक 23/06/23 को प्रकरण डिलिस्ट कर सिया को प्रेषित किया गया था।

प्रकरण रिलिस्ट होकर समिति को प्राप्त हुआ है, जिसे आज दिनांक 18/05/24 को समिति के समक्ष रखा गया, जिसमें परियोजना प्रस्तावक सुश्री मंजु सिंह (ऑनलाईन) और उनकी

753-B वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 18 मई 2024

ओर से पर्यावरण सलाहकार श्री आंनद गुप्ता, (ऑनलाइन) मेसर्स ग्लोबस इंवायरमेंटल इंजीनियरिंग सर्विसेस, लखनऊ, उ.प्र. उपस्थित हुए।

प्रस्तुतीकरण के दौरान समिति ने पाया कि प्रकरण नॉन ब्लास्टिंग का है एवं परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र 2.1 है. में प्रस्तावित किया है। खनन क्षेत्र कम होने से समानुपाती रूप से प्रोडक्शन कम करने हेतु, खनिज अधिकारी को लेख करें तथा पुष्टि कराने की शर्त पर अनुशंसा एवं खनन हेतु उपलब्ध क्षेत्र के आधार पर अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता लेटरेट-6670घन मी./वर्ष के पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है।

अतः समिति ने चर्चा उपरांत अपनी पूर्व सेक की 566वीं बैठक दिनांक 23/04/22 मे पर्यावरण स्वीकृति की अनुशंसा को यथावत रखने का निर्णय लिया है।

34. **Case No 11118/2023 Smt. SANJU BAI TIWARI, Lessee, R/o Village Javi ,Tehsil - Neemuch ,District- Neemuch (M.P) Prior Environment Clearance for Stone Quarry in an area of 4.00 ha. (50,000 cum per annum) (Khasra No. 988/MIN -1), Village Kuchdod, Tehsil Jeeran, District Neemuch (M.P.) DEIAA**

प्रस्तावित खदान B1 श्रेणी के अंतर्गत डिया द्वारा जारी पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के पुनर्मूल्यांकन का है, जिसमें आज दिनांक 18.05.2024 को परियोजना प्रस्तावक संजु बाई एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार एपेक्स मिनटेक कन्सल्टेंट उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	श्रीमति संजु बाई पति श्री निरजन तिवारी, निवासी –ग्राम जावी, तहसील–नीमच, जिला नीमच म.प्र.
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी / निजी)	988 / मीन-1 / 1000 (नॉन फॉरेस्ट लैंड) 4.00 हेक्टर भासकीय भूमि
स्थल	ग्राम कुचडोद, तहसील जीरन, जिला नीमच
लीज स्वीकृति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला नीमच के पत्र क्रमांक -1865, दिनांक 03.06.2016 के द्वारा स्वीकृत ।
ब्लास्टिंग / रॉक ब्रेकर	अनुमोदित खनन् योजना अनुसार ब्लास्टिंग है।
प्रकरण की स्थिति	नया प्रोजेक्ट ।
डिया ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	डिया नीमच के पत्र क्रमांक 752/DEIAA/खनि./2016 दिनांक 20.05.2016 के द्वारा पत्थर-50,000 घनमीटर/वर्ष हेतु पर्यावरणीय अनापत्ति प्राप्त है।
टॉर	लागू है।
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा पत्थर- 50,000 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार पत्थर - 50,000 घनमीटर/वर्ष है।

753-B वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 18 मई 2024

500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला नीमच के एकल प्रमाण—पत्र क्रमांक 1587 / खनिज / 2023–24 दिनांक 27.12.2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में 1 अन्य खदानें संचालित / स्वीकृत है, इस प्रकार कुल रकमा 8.00 हे. होता है, अतः प्रकरण B1 श्रेणी का है।
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला नीमच के एकल प्रमाण—पत्र क्रमांक 1587 / खनिज / 2023–24 दिनांक 27.12.2023 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में ने इनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थित नहीं है एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला नीमच के एकल प्रमाण—पत्र क्रमांक 1587 / खनिज / 2023–24 दिनांक 27.12.2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, भौक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन/सार्वजनिक भवन/ अमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/ संवेदन ग्रील क्षेत्रों जैसे: रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/तालाब/बांध/स्टॉप डैम/नहर/ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता/नाला नहीं है।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत कुचडौद, जिला नीमच के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक पचां/15, दिनांक 17.11.2015 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन् कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है।
केशर की स्थिति	केशर लीज क्षेत्र में प्रस्तावित है। दूरदर्शन
प्रस्तावि स्थल पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	• लीज में 10–15 पेड हैं जो नहीं काटे जाएंगे।
प्रस्तावित स्थल की गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति	
प्रस्तावित खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.–

753-B वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 18 मई 2024

स्थिति	27 के सरल क्रमांक— 5 पर दर्ज है ।
जन सुनवाई	लागू है ।

उपरोक्त प्रकरण के संबंध में समिति ने निर्णय लिया कि गौण खनिजों के टॉर प्रकरणों में सेक की 745 वीं बैठक दिनांक 30/04/2024 में लिये गये निर्णयानुसार (कार्यवाही विवरण के पृष्ठ क्रमांक 70) “गौण खनिजों हेतु तैयार किये गये स्टेप्डर्ड टॉर” अनुसार टॉर जारी किये जाने की अनुशंसा की जाती है।

In case of change in ultimate pit block (Surface plan) due to setback imposed in accordance with order of NGT/CPC/M.P. MMR 1996 or any environmental sensitivity.

"The PP should obtain Modified Mining Plan / Scheme of mining before opening of the mine of capacity approved in EC. The Environment Management Plan Geological Plan & Section, Development plan, Conceptual Plan should be accordingly revised in the approved Mining Plan /SOM by the competent authority with respect to year-wise production."

35. **Case No 10991/2023 Shri Narayan Singh, R/o Gram Post Nainawad, Gram Yaswant Nagar, Tehsil Tarana, District Ujjain , MADHYA PRADESH, 456001, Prior Environment Clearance for Stone Quarry in an area of 2.00 ha.(3800 cum per year) (Khasra No.141P), Village-Yashwantnagar, Tehsil-Tarana, District-Ujjain (MP) [449769] [DEIAA] (TOR)**

प्रस्तावित खदान समिति की 730वीं बैठक दिनांक 18/03/24 को ईआईए तैयार करने हेतु टॉर की अनुशंसा सिया को प्रेषित की गई थी ।

सिया ने पत्र क्रमांक 680 दिनांक 15/05/24 के द्वारा परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत अनुमोदित खनन् योजना के अक्षांश-देशांश अनुसार गूगल इमेज के आधार पर प्रस्तावित खदान से लगभग 45 मीटर की दूरी पर मानव बसाहट परिलक्षित है, माननीय एनजीटी के ओए 304/2019 के अनुसार मानव बसाहट से निर्धारित दूरी छोड़ने के पश्चात् खनन् योग्य क्षेत्र उपलब्ध नहीं होता है, के आधार पर प्रकरण पुनः समिति को परीक्षण हेतु अग्रेषित किया गया है ।

753-B वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 18 मई 2024

प्रकरण को आज दिनांक 18/05/23 को समिति के समक्ष रखा गया, जिसमें परियोजना प्रस्तावक Shri Narayan Singh online एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री आशीष त्रिपाठी मेसर्स ए.जी.एस. इंवायरमेंटल सर्विसेस प्रा. लि., दिल्ली उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

पर्यावरणीय सलाहकार द्वारा प्रस्तुत किया गया कि क्योंकि ये क्लाटर एरीया हैं जिसमें 05 अन्य खदाने भी स्वीकृत हैं खदानों पर काम करने वाले सभी मजदूरों के अस्थाई घर लगभग 44 मीटर की दूरी पर स्थित हैं। समिति ने परीक्षण उपरान्त परियोजना प्रस्तावक को निर्देश दिये कि बसाहट के संबंध में राजस्व/सक्षम अधिकारी से प्रमाण प्राप्त कर प्रस्तुत करें। तदोपरान्त प्रकरण में विचार किया जावेगा ।

36. **Case No.11096/2023 SHRI AKHILESH SARASWAT, R/o Village- Balaji Mandir Ke Pass, Kityani, District- Mandsaur (MP)-458001. Prior Environment Clearance for Stone Mine in an area of 3.65 ha. (35280 cum per year) (Khasra No. 1/2), Village-Arniyamina, Tehsil-Malhargarh, District-Mandsaur (MP) [449298] [DEIAA] (TOR)**

प्रस्तावित खदान B1 श्रेणी के अंतर्गत डिया द्वारा जारी पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के पुनर्मूल्यांकन का है, जिसमें आज दिनांक 18.05.2024 को परियोजना प्रस्तावक अखिलेश सारस्वत एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार एपेक्स मिनटेक कन्सलटेंट उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	श्री अखिलेश सारस्वत पिता श्री गोपाल सारस्वत, निवासी –किटियानी, तहसील–मदंसौर जिला मदंसौर म. प्र.
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	1/2 (नॉन फॉरेस्ट लैंड) 3.65 हेक्टरेर भासकीय भूमि
स्थल	ग्राम अरनियामीणा, तहसील मल्हारगढ़, जिला मदंसौर
लीज स्वीकृति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला मदंसौर के पत्र क्रमांक -7355-57 / खनिज / उ.प. / न.क. / 2016, दिनांक 10.04.2017 के द्वारा स्वीकृत ।
ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर	अनुमोदित खनन् योजना अनुसार ब्लास्टिंग है
प्रकरण की स्थिति	नया प्रोजेक्ट ।
डिया ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	डिया मदंसौर के पत्र क्रमांक 61 / DEIAA/खनिज /2017 दिनांक 05.09.2017 के द्वारा पत्थर-35280 घनमीटर/वर्ष हेतु पर्यावरणीय अनापत्ति प्राप्त है ।
टॉर	लागू है ।
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा पत्थर- 35280 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार पत्थर – 35280 घनमीटर/वर्ष है ।

753-B वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 18 मई 2024

500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला मंदसौर के एकल प्रमाण—पत्र क्रमांक 633 दिनांक 16.05.24 अनुसार 500 मीटर की परिधि में 2 अन्य खदानें संचालित/स्वीकृत हैं, इस प्रकार कुल रकबा6.00 है. होता है, अतः प्रकरण B1 श्रेणी का है।
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला मंदसौर के एकल प्रमाण—पत्र क्रमांक 633 दिनांक 16.05.24 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में ने अनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जॉन जैव विविधता क्षेत्र स्थित नहीं है एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला मंदसौर के एकल प्रमाण—पत्र क्रमांक 633 दिनांक 16.05.24 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, भौक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन/सार्वजनिक भवन/अशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/संवेदन फील क्षेत्रों जैसे: रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/तालाब/बांध/स्टॉप डैम/नहर/ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता/नाला नहीं हैं।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत कोडिया मीणा, जिला मंदसौर के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक 795, दिनांक 14.10.1995 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है।
केशर की स्थिति	केशर लीज क्षेत्र में प्रस्तावित है।
प्रस्तावि स्थल पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	No existing tree
प्रस्तावित स्थल की गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति	उत्तर पर्वि चम दि गा – 40 मीटर पर पक्की सड़क है।
प्रस्तावित खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.- 27 के सरल क्रमांक- 5 पर दर्ज है।
जन सुनवाई	लागू है।

753-B वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 18 मई 2024

उपरोक्त प्रकरण के संबंध में समिति ने निर्णय लिया कि गौण खनिजों के टॉर प्रकरणों में सेक की 745 वीं बैठक दिनांक 30/04/2024 में लिये गये निर्णयानुसार (कार्यवाही विवरण के पृष्ठ क्रमांक 70) "गौण खनिजों हेतु तैयार किये गये स्टेपडर्ड टॉर" अनुसार टॉर जारी किये जाने की अनुशंसा की जाती है।

In case of change in ultimate pit block (Surface plan) due to setback imposed in accordance with order of NGT/CPC/M.P. MMR 1996 or any environmental sensitivity.

"The PP should obtain Modified Mining Plan / Scheme of mining before opening of the mine of capacity approved in EC. The Environment Management Plan Geological Plan & Section, Development plan, Conceptual Plan should be accordingly revised in the approved Mining Plan /SOM by the competent authority with respect to year-wise production."

37. **Case No 11004/2023 Shri Lakhwinder Panag, R/o 1238, Sector 90, S.S. Nagar, Mohali , Punjab, 140308, Prior Environment Clearance for Stone Quarry in an area of 2.90 ha.(150024 cum per year) (Khasra No. 946), Village-Badauro Kalan, Tehsil-Gaurhiar, District-Chhatarpur (MP) [438781] [DEIAA] (TOR)**

प्रकरण आज सेक की 753वीं बैठक दिनांक 18/05/24 को प्रस्तुतीकरण हेतु सूचीबद्ध था, जिसमें परियोजना प्रस्तावक / उनके पर्यावरणीय सलाहकार समिति के समक्ष उपस्थित नहीं हुए। समिति ने चर्चा उपरांत निर्णय लिया कि परियोजना प्रस्तावक से प्रस्तुतीकरण हेतु अनुरोध प्राप्त होने के पश्चात प्रकरण की समीक्षा हेतु विचार किया जा सकेगा।

38. **Case No 11000/2023 Shri Grish Patidar R/o LIG A1/18, Rishi Nagar District Ujjain , MADHYA PRADESH, 456010, Prior Environment Clearance for Stone Quarry in an area of 1.00 ha.(10000 cum per year) (Khasra No. 167/1, 167/2, 168), Village-Chakjairampur, Tehsil-Ujjain, District-Ujjain (MP) [450143] [DEIAA] (TOR)**

प्रस्तावित खदान B1 श्रेणी के अंतर्गत डिया द्वारा जारी पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के पुनर्मूल्यांकन का है, जिसमें आज दिनांक 18.05.2024 को परियोजना प्रस्तावक गिरी एवं पाटीदार एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार एपेक्स मिनटेक कन्सलटेंट उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

753-B वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 18 मई 2024

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	श्री गिरी । पाटीदार पिता भवंतलाल पाटीदार, निवासी – ऋशि नगर, उज्जैन, जिला उज्जैन म.प्र.
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी / निजी)	167/1, 167/2, 168 (नॉन फॉरेस्ट लेंड) 1.00 हेक्टर निजी भूमि
स्थल	ग्राम चकजयरामपुर, तहसील व जिला उज्जैन
लीज स्वीकृति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला उज्जैन के पत्र क्रमांक -903/उ.प./न.क.26/19/खनिज/2020-21, दिनांक 13.07.2020 के द्वारा स्वीकृत ।
ब्लास्टिंग / रॉक ब्रेकर प्रकरण की स्थिति	अनुमोदित खनन् योजना अनुसार ब्लास्टिंग है नया प्रोजेक्ट ।
डिया ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	डिया उज्जैन के पत्र क्रमांक DEIAA/2016/1204 दिनांक 31.05.2016 के द्वारा पत्थर-10000 घनमीटर/वर्ष हेतु पर्यावरणीय अनापत्ति प्राप्त है।
टॉर	लागू है।
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा पत्थर- 10000 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार पत्थर – 10000 घनमीटर/वर्ष है।
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला उज्जैन के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 10206/खनिज/2023-24, दिनांक 09.11.2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में 17 अन्य खदानें संचालित/स्वीकृत हैं, इस प्रकार कुल रकबा 26.24 हे. होता है, अतः प्रकरण B1 श्रेणी का है।
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला उज्जैन के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 10206/खनिज/2023-24, दिनांक 09.11.2023 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में ने अनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थित नहीं है एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला उज्जैन के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 10206/खनिज/2023-24, दिनांक 09.11.2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, भौक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन/सार्वजनिक भवन/ अमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/ संवेदनशील क्षेत्रों जैसे: रेडियो स्टेशन, दूरद नि, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/तालाब/बांध/स्टॉप डैम/नहर/ग्रामीण

753-B वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 18 मई 2024

	कच्चा/पक्का रास्ता/नाला नहीं है।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पचांयत हरसोदन, जिला उज्जैन के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक Q/4/2009 दिनांक 25.01.2009 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन् कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है।
केशर की स्थिति	केशर लीज क्षेत्र में प्रस्तावित नहीं है
प्रस्तावि स्थल पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	No existing tree
प्रस्तावित स्थल की गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति (खदान के 500 मी. की परिधि में स्थित संवेदनशील घटकों (जैसे प्राकृतिक नाला, नदी, नहर, आबादी कच्ची एवं पक्की सड़क, पुरातत्व महत्व के स्थल इत्यादि) की खदान से दूरी दर्शाते हुये एवं माननीय एनजीटी के उक्त स्थानवार मापदण्ड छोड़ते हुये सरफेस मेप को के साथ प्रस्तुत करें)	पि चम दि ॥ 280 मीटर पर कच्ची रोड है
प्रस्तावित खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.- 27 के सरल क्रमांक- 5 पर दर्ज है।
जन सुनवाई	लागू है।

उपरोक्त प्रकरण के संबंध में समिति ने निर्णय लिया कि गौण खनिजों के टॉर प्रकरणों में सेक की 745 वीं बैठक दिनांक 30/04/2024 में लिये गये निर्णयानुसार (कार्यवाही विवरण के पृष्ठ क्रमांक 70) “गौण खनिजों हेतु तैयार किये गये स्टेण्डर्ड टॉर” अनुसार टॉर जारी किये जाने की अनुशंसा की जाती है।

753-B वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 18 मई 2024

In case of change in ultimate pit block (Surface plan) due to setback imposed in accordance with order of NGT/CPC/M.P. MMR 1996 or any environmental sensitivity.

"The PP should obtain Modified Mining Plan / Scheme of mining before opening of the mine of capacity approved in EC. The Environment Management Plan Geological Plan & Section, Development plan, Conceptual Plan should be accordingly revised in the approved Mining Plan /SOM by the competent authority with respect to year-wise production."

- 39- Case No 10719/2023 Shri Manjeet Petwar, Project Manager, M/s KALUWALA CONSTRUCTION PRIVATE LIMITED, 201 - 2nd Floor, Iris Tech Park, Sohna Road, Sector 48,Gurugram (Haryana) 122018. Prior Environment Clearance for Stone Quarry in an area of 3.00 ha.(1]97]806 cum per year) (Khasra No. 01), Village- Benegaon, Tehsil-Kirnapur, District-Balaghat (M.P.) (EIA)**

प्रस्तावित खदान बी-1 श्रेणी के अंतर्गत डिया द्वारा जारी पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के पुनर्मूल्यांकन का है, जिसमें आज दिनांक 13.05.2024 को परियोजना प्रस्तावक मेसर्स, कालूवाला कन्स्ट्रक्शन प्रा.लि. श्री मंजीत सिंह (प्रोजेक्ट मैनेजर) एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार अजय मोहन उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

परियोजना विवरण		परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	मेसर्स,कालूवाला कन्स्ट्रक्शन प्रा.लि. श्री मंजीत सिंह (प्रोजेक्ट मैनेजर) पता-201 द्वितीय तल आईरीस टेक पार्क, सोहना रोड सेक्टर 48 गुरुग्राम हरियाणा	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	Khasra No-1(Part) शासकीय भूमि	3.00 हेक्टेयर
स्थल	ग्राम-बेनेगाँव, तहसील-किरनापुर, जिला-बालाघाट (मध्य प्रदेश)	
लीज स्वीकृति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला बालाघाट के पत्र क्रमांक 935/खनिज/ 2023 दिनांक 09.08.23 के द्वारा स्वीकृत ।	
ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर	अनुमोदित खनन योजना अनुसार ब्लास्टिंग की जावेगी ।	
प्रकरण की स्थिति	नवीन,अस्थायी अनुज्ञा ।	
डिया ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	नहीं ।	

753-B वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 18 मई 2024

टॉर	फाईनल ई.आई.ए
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा पत्थर-197806 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार पत्थर-197806 घनमीटर/वर्ष है।
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला-बालाघाट के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1087 दिनांक 29.09.2023. अनुसार 500 मीटर की परिधि में 4 अन्य खदानें संचालित/स्थीकृत हैं, इस प्रकार कुल रकबा 9.537 हेक्टर होता है, अतः प्रकरण बी-1 श्रेणी का है।
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला-बालाघाट के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1087 दिनांक 29.09.2023 के अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थित नहीं है एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला बालाघाट के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1087 दिनांक 29.09.2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन/सार्वजनिक भवन/शशमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/तालाब/बांध/स्टॉपडैम/नहर/ग्रामीण कच्चा/पवका रास्ता/नाला नहीं हैं।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत बेनेगँव जिला बालाघाट के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक.09 दिनांक 07.08.2023 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन् कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है।
केशर की स्थिति	क्रेशर, उत्थनन पट्टा क्षेत्र से बाहर है।
प्रस्तावि स्थल पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	<ul style="list-style-type: none"> • लीज़ में स्थित पेड़ों का विवरण : 27 पेड़ खजूर एवं पलाश के 14 पेड़ हैं। • यदि पेड़ काटे जाने हैं तो उनका विवरण : 27 पेड़ खजूर एवं पलाश के 14 पेड़। • काटे जाने वाले पेड़ों के एवज में लगाए जाने वाले पेड़ों के संख्या :- 500 हैं। • यदि पेड़ों को गैर खनन क्षेत्र के रूप में छोड़ा जाना है तो उसका विवरण :- 5 पेड़।
प्रस्तावित स्थल की गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति	उत्तर दिशा - 328 मीटर की दूरी पर उत्तर में पक्की सड़क एवं 600 मीटर की दूरी पर ग्राम दहेदी (उत्तर - दक्षिण) स्थित है।
खदान के 500 मी. की परिधि में स्थित संवेदनशील घटकों(जैसे प्राकृतिक नाला, नदी, नहर, आबादी कच्ची एवं	दक्षिण दिशा - अन्य खदान संचालित है।
	पूर्व दिशा - अन्य खदान संचालित है।

753-B वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 18 मई 2024

पक्की सड़क, पुरातत्व महत्व के स्थल इत्यादि)	पश्चिम दिशा - मरवाही ग्राम 1.089 कि.मी. की दूरी पर है ।
प्रस्तावित खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में जोड़ दिया जावेगा ।
जन सुनवाई	प्रस्तावित खदान की जन सुनवाई दिनांक 15.04.2024 को संपन्न हुई है ।

प्रस्तुतीकरण के दौरान समिति ने पाया कि गूगल ईमेज के अनुसार लीज क्षेत्र वृक्षो से अच्छादित है अतः बैठक में प्रस्तुतीकरण के पश्चात परियोजना प्रस्तावक से निम्न बिन्दुओं पर स्पष्टीकरण / जानकारी चाही गई:-

- लीज क्षेत्र वृक्षो से अच्छादित है अतः लीज में लगे हुये पेड़ों की इच्चेट्री (प्रजाति, ऊँचाई, गर्थ एवं गोलाई) जियोटेग फोटोग्राफ सहित प्रस्तुत करें।
- लीज क्षेत्र वृक्षो से अच्छादित है इस संबंध में जिलाध्यक्ष से प्रतिवेदन प्राप्त की जावेगी किया जावे कि प्रश्नाधीन खदान से लगी अन्य स्वीकृत खदानों से निकलने वाले पत्थर की पूर्ति अन्य खदानों से संभव हो सकता है क्या? इस संबंध में सेक से पत्र जारी किया जावे।
- खनन क्षेत्र में जिन स्थानों में वृक्ष नहीं है उसका क्षेत्रफल तथा उसमें उत्पादन होने की प्रस्तावित मात्रा की जानकारी माईनिंग अफसर से प्राप्त करें।

40.Case No. 11276/2024 Shri Satendra Kumar Singh, Authorized Person, M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District – Bhopal (M.P.) – 462011, Prior Environment Clearance for Gauramchuwai Sand Quarry in an area of 0.809 ha. (12,135 cum per year) (Khasra No. 475) Village – Gauramchuwai, Tehsil – Badi, District –Raisen(M.P.) – (EIA)

प्रस्तावित खदान बी-1 श्रेणी के अंतर्गत पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के मूल्यांकन का है, जिसमें आज दिनांक 18/05/2024 को परियोजना प्रस्तावक प्रतिनिधि श्री सतेन्द्र कुमार सिंह (अधिकृत व्यक्ति) मेसर्स दि मध्य प्रदेश राज्य खनिज निगम लि. एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार संचित कुमार/मेसर्स कॉर्नीजेंस रिसर्च इंडिया प्राइवेट लिमिटेड उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	श्री सतेन्द्र कुमार सिंह कनिश्ठ प्रबंधक (अधिकृत व्यक्ति) मेसर्स दि मध्य प्रदे । राज्य खनिज निगम लि. पता – पर्यावास भवन, ब्लॉक ए, द्वितीय तल, अरेसा

753-B वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 18 मई 2024

	हिल्स, भोपाल मध्य प्रदेश ।	
खसरा नं. / क्षेत्रफल (सरकारी / निजी)	खसरा नं. – 475 (गासकीय भूमि नदी)	क्षेत्रफल – 0.809 हे.
स्थल	ग्राम – गौरामछुवाई तहसील –बाडी, जिला – रायसेन, म.प्र.	
लीज स्वीकृति	मध्यप्रदे । शासन, खनिज साधन विभगा, मंत्रालय, भोपाल के पत्र क्रमांक – एफ–19–2–2019–बारह–1 पार्ट–6 दिनांक 31/05/2023 के द्वारा 10 वर्षों के लिए आवंटित ।	
लीज का नवीनीकरण (यदि हो तो)	नया प्रोजेक्ट ।	
स्वीकृत मार्झिनिंग प्लान/डी एस आर अनुसार कोर्डिनेट्स मिलान की स्थिति	डी एस आर अनुसार एवं नवीन कोर्डिनेट्स जोड़े गये ।	
प्रकरण की स्थिति	बी–1 श्रेणी, नया प्रोजेक्ट	
पर्यावरण सलाहकार या उनके अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा स्थल निरीक्षण	स्थल का नाम गौरामछुवाई रेत खदान, दिनांक – 25/12/2023	
डिया ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	लागू नहीं ।	
टॉर यदि लागू हो तो विवरण दें।	सिया द्वारा गौरामछुवाई रेत खदान के लिए स्टेन्डर्ड टॉर दिनांक 31/01/2024 को जारी किया गया है, जिसके अनुसार परियोजना प्रस्तावक द्वारा ईआईए रिपोर्ट समिति के समक्ष प्रस्तुत की गई है ।	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत – 12,135 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन योजना अनुसार रेत – 12,135 घनमीटर/वर्ष है ।	
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला रायसेन के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 1231 दिनांक 21/07/2023 के अनुसार 500 मीटर की परिधि में (02) अन्य खदान संचालित/स्वीकृत हैं। जिनका रकबा 30.00 हे. हैं। इस प्रकार कुल रकबा 30.809 अतः प्रकरण बी–1 श्रेणी का हैं।	
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला रायसेन के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 1231 दिनांक 21/09/2023 के अनुसार 10 किलो मीटर की परिधि में ने अनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको संसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थित नहीं है । एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है	
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला रायसेन के	

753-B वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 18 मई 2024

	एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1231 दिनांक 21/07/2023 के अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट/ औषधिक संस्था/ चिकित्सालय/ पुरातत्व धरोहर/ राश्ट्रीय महत्व के स्मारक/ रेलवे लाइन/ सार्वजनिक भवन/ अमशान घाट/ राश्ट्रीय राजमार्ग/ राज्य मार्ग/ संवेदन फ़िल क्षेत्र जैसे— रेडियो स्टेशन/ दूरद नि/ हवाई अड्डा प्रतिरक्षा संस्थान इत्यादि स्थित नहीं हैं।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत गौरामछुवाइ जिला रायसेन के अनापत्ति पत्र दिनांक 14/10/2019 के अनुसार प्रस्तावित स्थलपर खनन् कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है।
प्रस्तावि स्थल पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	लीज में कोई पेड़ स्थित नहीं है।
प्रस्तावित स्थल की गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति एवं नदी का नाम।	नर्मदा नदी। खदान क्षेत्र का अधिकां । भाग सूखा हुआ है।
सिया में ईसी हेतु प्रकरण प्रस्तुत करने का दिनांक	22/09/2023
प्रस्तावि खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	उपरोक्त खदान का विवरण जिले की अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.-67 के सरल क्रमांक-41 एवं पेज नं.-98 के सरल क्रमांक-41 पर दर्ज है।
जन सुनवाई के प्रमुख बिन्दु (यदि लागू हो तो)	प्रस्तावित खदान की जन सुनवाई दिनांक 25/03/2024, को संपन्न हुई। आपत्तियों/ सुझाव प्राप्त हुए, जिसे पर्यावरणीय प्रबंधन योजना / सी.एस.आर में बजट के साथ शामिल किया गया है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति विष ाष्ट शर्तों एवं स्टेप्डर्ड शर्तों संलग्नक—बी अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनु सा करती है:-

- 1.अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता रेत — 12,135 घनमीटर/वर्ष है।
- 2.परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व पर्यावरण स्वीकृति के संबंध में जानाकारी नहीं दे पाये, यदि पूर्व में पर्यावरण स्वीकृति जारी हुई हो तो इसका पालन प्रतिवेदन 06—06 माह में सिया को प्रस्तुत करेंगे एवं जिला खनिज अधिकारी 01 वर्ष में पालन

753-B वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 18 मई 2024

प्रतिवेदन सुनिश्चित करायेगे तथा मध्यप्रदेश राज्य खनिज कार्पोरेशन इसकी निगरानी करेंगे।

3. नदी के न्यूनतम 05 मीटर तक धाटो के किनारे स्थित वृक्षो, झाड़ियों एवं लताओं को और धास को क्षति नहीं पहुँचाई जायेगी।
4. रेत निकासी परिवहन मार्ग निजी भूमि से होकर जाता है तो संबंधित कृषक / कृषकों से सहमति पश्चात् ही परिवहन किया जायेगी।
5. खदान संचालन भुर्ल करने के पहले परियोजना प्रस्तावक जिला मत्स्य पालन विभाग अधिकारी का अभिमत प्राप्त करेंगा कि खनन क्षेत्र में कोई Prawn Breeding Center तो नहीं है और यदि किसी क्षेत्र का संज्ञान होगा तो अनुकूल रोकथाम के उपाय विषय विशेषज्ञ के सुझाव अनुसार अपनाये जायेंगे।
6. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में कैपीटल रांग रु. 5.28 लाख एवं रिकरिंग रांग रु. 2.23 लाख प्रति वर्ष।

S. No.	Particulars	Capital Cost (Rs)	Recurring Cost (Rs)
FOR ENVIRONMENTAL PROTECTION			
1(a)	Water sprinkling through tanker sprinkling system both on haul road and transportation road.	-	18,000
1(b)	Water requirement- 0.50 KLD, Cost of water (@ 0.15 paisa/liter) Assuming 240 working days.		
2.	Approach Road Maintenance, Speed breakers, Sign Boards, Reflectors, Development of T-Point etc (100m in length × 5m in width)	30,000	6,000
3.	<u>PLANTATION SCHEME</u> Plantation at the boundary of the river. @ Rs. 150/plant. (400X150= ₹60,000) b) Plantation at the haulage road: @ Rs. 500/plant. (50X500= ₹ 25,000) c) Plantation in the nearby village area and distribution to villagers @ Rs.50/plant (550X50 = ₹ 27,500)	1,12,500	20,520
4	Half yearly PUC certification for trucks @500/truck (5 Trucks × 500 × 2 times in a year)	--	5,000

753-B वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 18 मई 2024

5	Monitoring (AAQM, Noise, Soil & Water twice in a year) Pollution Monitoring i) Air pollution ii) Water pollution iii) Soil Pollution iv) Noise Pollution		30,000 30,000 20,000 20,000
6	Drinking Water Facility for labour and staff (one water cooler/12 labour @ Rs. 10,000/cooler). Total Workers deployed are 40	40,000	5,000
7	Separate Toilets for Male and Female @15000× 2 and Rs. 3000/year for Maintenance.	30,000	3,000
8	Grazing Land development (Native palatable grass species Such as Dichanthium, Puniya (Sehima nervosum), and Themeda etc. will be planted for grassland/fodder development on Charnoi Land.	5,000	1,000
9	Regular Medical Check-up of workers @500/worker (twice in a year) (For 40 Labors -40× 500 × 2)	-	40,000
10	First Aid Box & Firefighting equipment's @20000 × 1 & Rs. 2000/year for Maintenance.	20,000	2,000
11	PPEs for other mining operations @ Rs. 1500/worker. (For 40 workers - 40 × 1500)	60,000	6,000
12	Shelter rooms for labors (15*20 ft) =300 Square feet	1,50,000	5,000
13	Two dustbins & development of solid waste management system	10,000	2,000
14	Miscellaneous Expenses such as follows: One solar light, (@ Rs. 8000/light) 2 Web Camera, (per camera. @3500 rupees) Display Board at mine entrance.	15,000	5,000
15	Providing 2 Gas cylinders under Ujjwala Yojana to Labours which results no fuel wood will be used as a source of energy by mineworkers. @ 3000 Rps /Connection.	6,000	
16	Provide 50,000/-INR to village farmers for trees adaptation for reducing carbon footprint	50,000	50,000
	Total	5,28,500/-	2,53,520/-

7. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार रा ० १ रु. 60,000 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :—

753-B वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 18 मई 2024

सी.ई.आर. मद में प्रस्तावित गतिविधियाँ	राटि । (रु.में)
ग्राम गौरमछुवाई में रोड लाईट के लिए ।	30,000
गौरमछुवाई गाँव में सामाजिक कार्य के रूप में पंजीकृत गौशाला के विकास के लिए ।	30,000
कुल	60,000

8. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख—रखाव के साथ) कम से कम 450 वृक्षों का वृक्षारोपण एवं 550 वृक्षों का वितरण :—

कं	वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	नदी के किनारों पर (नदी तट से 1 से 6 पक्कियों में)	1—3 पंक्ति— खस, नागर मोथा, लेमन ग्रास, गटायन के बीज एंव स्थानीय धास 4—5 पंक्ति — कटंग बांस 6 पंक्ति — करंज, जामुन, खमेर, कहवा, अर्जुन, शहतूत एंवं चिरोल, आम, गरारी अन्य फलदार वृक्ष एंवं स्थानीय प्रजातियाँ	400
2	परिवहन मार्ग में (न्यूनतम 1.5 मीटर ट्री—गार्ड के साथ)	नीम, पीपल, अचार, बरगद, चिरोल, मोलश्री, पुत्रंजीवा, कुसुम, आम, अंजन, महुआ, अन्य फलदार वृक्ष एंवं स्थानीय प्रजातियाँ, (ट्री गार्ड के साथ)	50
3	ग्राम वासियों में वितरण हेतु	आम, हाइब्रिड बेर, औँवला, मुनगा सीताफल, नींबू बेल, अचार एंवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ	550
कुल			1000
<input checked="" type="checkbox"/> वृक्षों का रोपण एवं वितरण प्रथम वर्ष में पौधों का रख—रखाव स्वयं/ग्राम पंचायत/स्थानीय वन समिति /स्थानीय पंजीकृत स्वयं सेवी संस्था/सेल्फ हेल्प ग्रुप (SHG) के द्वारा खनन् अवधि तक कराया जायेगा । <input checked="" type="checkbox"/> प्रस्तावित परियोजना में किसी भी पेड़ को काटा/उखाड़ा नहीं जायेगा ।			

✓ एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति में पौधे STAGGRED (आड़े-तिरछे) लगाये जायेंगे।
 टीप: वृक्षारोपण, बीजारोपण एवं रख-रखाव, मौके पर स्थल की उपलब्धता के अनुसार किया जायेगा एवं खदान क्षेत्र के आस पास पौधरोपण हेतु जगह उपलब्धता लंबाई एवं चौड़ाई में नहीं होने की स्थिति में नदी के जल ग्रहण क्षेत्र में/ग्रामीण स्कूल/पुलिस थाना/आंगनवाड़ी केंद्र/तहसील कार्यालय/ अन्य शासकीय भूमि, विभाग की सहमति पर पौधरोपण एवं रख-रखाव किया जावेगा। परिवहन मार्ग या अन्य स्थलों पर स्थनीय परिस्थितियों के कारण पर रोपण संभव न होने की स्थिति में नदी क्षेत्र से लगे ग्रामीणों को फलदार, बाँस पौधे प्रदाय किये जावेंगे तथा नदी क्षेत्र से लगे कृषकों को प्राथमिकता दी जावेगी तथा पौधरोपण की शर्त अनुसार संख्या की पूर्ती की जा सकेगी।

अनुशंसा— प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्तों के साथ परियोजना को पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

41. Case No. 11262/2024 Shri Satendra Kumar Singh, Authorized Person, M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District – Bhopal (M.P.) – 462011, Prior Environment Clearance for Gauramchuwai-1 Sand Quarry in an area of 10.00ha. (1,50,000 cum per year) (Khasra No. 404) Village – Gauramchuwai, Tehsil – Badi, District –Raisen(M.P.) – (EIA)

प्रस्तावित खदान बी-1 श्रेणी के अंतर्गत पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के मूल्यांकन का है, जिसमें आज दिनांक 18/05/2024 को परियोजना प्रस्तावक प्रतिनिधि श्री सतेन्द्र कुमार सिंह (अधिकृत व्यक्ति) मेसर्स दि मध्य प्रदे । राज्य खनिज निगम लि. एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार संचित कुमार/मेसर्स कॉर्पोरेशन रिसर्च इंडिया प्राइवेट लिमिटेड उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	श्री सतेन्द्र कुमार सिंह कनिश्ठ प्रबंधक (अधिकृत व्यक्ति) मेसर्स दि मध्य प्रदे । राज्य खनिज निगम लि. पता – पर्यावास भवन, ब्लॉक ए, द्वितीय तल, अरेरा हिल्स, भोपाल मध्य प्रदेश ।	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी /निजी)	खसरा नं. – 404 (ग्रामीण भूमि नदी)	क्षेत्रफल – 10.00हे.
स्थल	ग्राम – गौरामछुवाई तहसील –बाड़ी, जिला – रायसेन, म.प्र.	
लीज स्वीकृति	मध्यप्रदे । शासन, खनिज साधन विभाग, मंत्रालय, भोपाल के पत्र क्रमांक – एफ-19-2-2019-बारह-1 पार्ट-6 दिनांक 31/05/2023 के द्वारा 10 वर्षों के लिए आवंटित ।	

753-B वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 18 मई 2024

लीज का नवीनीकरण (यदि हो तो)	नया प्रोजेक्ट ।
स्वीकृत माईनिंग प्लान /डी एस आर अनुसार कोर्डिनेट्स मिलान की स्थिति	डी एस आर अनुसार एवं नवीन कोर्डिनेट्स जोड़े गये ।
प्रकरण की स्थिति	बी-1 श्रेणी, नया प्रोजेक्ट
पर्यावरण सलाहकार या उनके अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा स्थल निरीक्षण	स्थल का नाम गौरामछुवाई – 1 रेत खदान, दिनांक – 25 / 12 / 2023
डिया ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	लागू नहीं ।
टॉर यदि लागू हो तो विवरण दें ।	सिया द्वारा गौरामछुवाई – 1 रेत खदान के लिए स्टेन्डर्ड टॉर दिनांक 31 / 01 / 2024 को जारी किया गया है, जिसके अनुसार परियोजना प्रस्तावक द्वारा ईआईए रिपोर्ट समिति के समक्ष प्रस्तुत की गई है ।
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत – 1,50,000 घनमीटर / वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन योजना अनुसार रेत – 1,50,000 घनमीटर / वर्ष है ।
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला रायसेन के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1232 दिनांक 21 / 07 / 2023 के अनुसार 500 मीटर की परिधि में (04) अन्य खदान सचालित / स्वीकृत हैं। जिनका रकबा 25.809 हैं। इस प्रकार कुल रकबा 35.809 अतः प्रकरण बी-1 श्रेणी का हैं।
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला रायसेन के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1232 दिनांक 21 / 09 / 2023 के अनुसार 10 किलो मीटर की परिधि में ने अनल पार्क / अभ्यारण्य / ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थित नहीं है । एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला रायसेन के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1232 दिनांक 21 / 07 / 2023 के अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट / ऐक्षणिक संस्था / चिकित्सालय / पुरातत्त्व धरोहर / राश्ट्रीय महत्व के स्मारक / रेलवे लाइन / सार्वजनिक भवन / अशान घाट / राश्ट्रीय राजमार्ग / राज्य मार्ग / संवेदन फील क्षेत्र जैसे – रेडियो स्टेशन / दूरद नि / हवाई अड्डा प्रतिरक्षा संरक्षण इत्यादि स्थित नहीं हैं।

753-B वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक

दिनांक 18 मई 2024

ग्राम सभा / ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत गौरामछुवाई जिला रायसेन के अनापत्ति पत्र दिनांक 14/10/2019 के अनुसार प्रस्तावित स्थलपर खनन् कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है।
प्रस्तावि स्थल पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	लीज में कोई पेड़ स्थित नहीं है।
प्रस्तावित स्थल की गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति एवं नदी का नाम।	नर्मदा नदी। खदान क्षेत्र का अधिकांश भाग सूखा हुआ है।
सिया में ईसी हेतु प्रकरण प्रस्तुत करने का दिनांक	22/09/2023
प्रस्तावि खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	उपरोक्त खदान का विवरण जिले की अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.-67 के सरल क्रमांक-40 एवं पेज नं.-97 के सरल क्रमांक-40 पर दर्ज है।
जन सुनवाई के प्रमुख बिन्दु (यदि लागू हो तो)	प्रस्तावित खदान की जन सुनवाई दिनांक 27/03/2024, को संपन्न हुई। आपत्तियाँ/सुझाव प्राप्त हुए, जिसे पर्यावरणीय प्रबंधन योजना / सी.एस.आर में बजट के साथ शामिल किया गया है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति विषयक शर्तों एवं स्टेप्डर्ड शर्तों संलग्नक-बी अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनु संसा करती है:-

1. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता रेत - 1,50,000 घनमीटर/वर्ष है।
2. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व पर्यावरण स्वीकृति के संबंध में जानाकारी नहीं दे पाये, यदि पूर्व में पर्यावरण स्वीकृति जारी हुई हो तो इसका पालन प्रतिवेदन 06-06 माह में सिया को प्रस्तुत करेंगे एवं जिला खनिज अधिकारी 01 वर्ष में पालन प्रतिवेदन सुनिश्चित करायेंगे तथा मध्यप्रदेश राज्य खनिज कार्पोरेशन इसकी निगरानी करेंगे।
3. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व पर्यावरण स्वीकृति के संबंध में जानाकारी नहीं दे पाये, यदि पूर्व में पर्यावरण स्वीकृति जारी हुई हो तो इसका पालन एक वर्ष में जिला खनिज अधिकारी सुनिश्चित करायेंगे।
4. नदी के न्यूनतम 05 मीटर तक घाटों के किनारे स्थित वृक्षों, झाड़ियों एवं लताओं को और घास को क्षति नहीं पहुँचाई जायेगी।
5. रेत निकासी परिवहन मार्ग निजी भूमि से होकर जाता है तो संबंधित कृषक/कृषकों से सहमति पश्चात् ही परिवहन किया जायेगी।

753-B वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 18 मई 2024

6. खदान संचालन भुरु करने के पहले परियोजना प्रस्तावक जिला मत्स्य पालन विभाग अधिकारी का अभिमत प्राप्त करेंगा कि खनन् क्षेत्र में कोई Prawn Breeding Center तो नहीं है और यदि किसी क्षेत्र का संज्ञान होगा तो अनुकूल रोकथाम के उपाय विषय विशेषज्ञ के सुझाव अनुसार अपनाये जायेंगे ।

7. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राँ । रु. 17,68,500 लाख एवं रिकरिंग राँ । रु. 5,52,452 लाख प्रति वर्ष ।

S.No .	Particulars	Capital Cost (Rs)	Recurring Cost (Rs)
<u>FOR ENVIRONMENTAL PROTECTION</u>			
1(a)	Water sprinkling through tanker sprinkling system both on haul road and transportation road.	-	36,000
1(b)	Water requirement- 1.00 KLD, Cost of water (@ 0.15 paisa/liter) Assuming 240 working days.		
2.	Approach Road Maintenance, Speed breakers, Sign Boards, Reflectors, Development of T-Point etc (200m in length × 5m in width)	60,000	12,000
3.	<u>PLANTATION SCHEME</u> a) Plantation at the boundary of the river. @ Rs. 150/plant. b) Plantation at the haulage road: @ Rs. 500/plant. c) Plantation in the nearby village area and distribution to villagers @ Rs.50/plant	10,72,500	2,52,452
4	Half yearly PUC certification for trucks @500/truck (63 Trucks × 500 × 2 times in a year)	--	63,000

753-B वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 18 मई 2024

5	Monitoring (AAQM, Noise, Soil & Water twice in a year) Pollution Monitoring i) Air pollution ii) Water pollution iii) Soil Pollution iv) Noise Pollution		30,000 30,000 20,000 20,000
6	Drinking Water Facility for labour and staff (one water cooler/12 labour @ Rs. 10,000/cooler). Total Workers deployed are 40	40,000	5,000
7	Separate Toilets for Male and Female @15000× 2 and Rs. 3000/year for Maintenance.	30,000	3,000
8	Grazing Land development (Native palatable grass species Such as Dichanthium, Puniya (Sehima nervosum), and Themeda etc. will be planted for grassland/fodder development on Charnoi Land.	5,000	1,000
9	Regular Medical Check-up of workers @500/worker (twice in a year) (For 40 Labors -40× 500 × 2)	-	40,000
10	First Aid Box & Firefighting equipment's @20000 × 1 & Rs. 2000/year for Maintenance.	20,000	2,000
11	PPEs for other mining operations @ Rs. 1500/worker. (For 40 workers - 40 × 1500)	60,000	6,000
12	Shelter rooms for labors (15*20 ft) =300 Square feet	1,50,000	5,000
13	Two dustbins & development of solid waste management system	10,000	2,000
14	Miscellaneous Expenses such as follows: One solar light, (@ Rs. 8000/light) 2 Web Camera, (per camera. @3500 rupees) Display Board at mine entrance.	15,000	5,000
15	Providing 2 Gas cylinders under Ujjwala Yojana to Labours which results no fuel wood will be used as a source of energy by mineworkers. @ 3000 Rps /Connection.	6,000	
16	Provide 2,00,000/-INR to village farmers for trees adaptation for reducing carbon footprint	2, 00,000	2,00,000
	Total	16,68,500/-	7,52,452/-

8. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राँची रु. 2,00,000 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :—

753-B वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 18 मई 2024

सी.ई.आर. मद में प्रस्तावित गतिविधियाँ	राटि । (रु.में)
ग्राम गौरमछुवाई – 1 में रोड लाईट के लिए ।	40,000
गौरमछुवाई–1 गाँव में सामाजिक कार्य के रूप में पंजीकृत गौशाला के विकास के लिए ।	60,000
सी.ई.आर मद से 1,00,000 की राटि पालक प्रक्षक संघ समिति ग्राम गौरमछुवाई–1 के भासकीय प्राथमिक भाला के बैंक खाते में भाला विकास कार्य हेतु भू – प्रवेश के 03 माह के अंदर जमा कर दी जावेगी ।	1,00,000
कुल	2,00,000

9. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) कम से कम 4550 वृक्षों का वृक्षारोपण एवं 7450 वृक्षों का वितरण :-

कं	वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	नदी के किनारों पर (नदी तट से 1 से 6 पक्कियों में)	1–3 पंक्ति— खस, नागर मोथा, लेमन ग्रास, गटायन के बीज एवं स्थानीय घास 4–5 पंक्ति — कटंग बांस 6 पंक्ति — करंज, जामुन, खमेर, कहवा, अर्जुन, शहतूत एवं चिरोल, आम, गरारी अन्य फलदार वृक्ष एवं स्थानीय प्रजातियाँ	4500
2	परिवहन मार्ग में (न्यूनतम 1.5 मीटर ट्री–गार्ड के साथ)	नीम, पीपल, अचार, बरगद, चिरोल, मोलश्री, पुत्रंजीवा, कुसुम, आम, अंजन, महुआ, अन्य फलदार वृक्ष एवं स्थानीय प्रजातियाँ, (ट्री गार्ड के साथ)	50
3	ग्राम वासियों में वितरण हेतु	आम, हाइब्रिड बेर, औंवला, मुनगा सीताफल, नीबू बेल, अचार एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ	7450
कुल			12000
<input checked="" type="checkbox"/>	वृक्षों का रोपण एवं वितरण प्रथम वर्ष में पोधों का रख–रखाव स्वयं/ग्राम पंचायत/स्थानीय वन समिति /स्थानीय पंजीकृत स्वयं सेवी संस्था/सेल्फ हेल्प ग्रुप		

(SHG) के द्वारा खनन् अवधि तक कराया जायेगा।

- ✓ प्रस्तावित परियोजना में किसी भी पेड़ को काटा/उखाड़ा नहीं जायेगा।
- ✓ एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति में पोधे STAGGERED (आड़े-तिरछे) लगाये जायेंगे।

टीप: वृक्षारोपण, बीजारोपण एवं रख-रखाव, मौके पर स्थल की उपलब्धता के अनुसार किया जायेगा एवं खदान क्षेत्र के आस पास पौधरोपण हेतु जगह उपलब्धता लंबाई एवं चौड़ाई में नहीं होने की स्थिति में नदी के जल ग्रहण क्षेत्र में/ग्रामीण स्कूल/पुलिस थाना/आंगनवाड़ी केंद्र/तहसील कार्यालय/ अन्य शासकीय भूमि, विभाग की सहमति पर पौधरोपण एवं रख-रखाव किया जावेगा। परिवहन मार्ग या अन्य स्थलों पर स्थनीय परिस्थितियों के कारण पर रोपण संभव न होने की स्थिति में नदी क्षेत्र से लगे ग्रामीणों को फलदार, बाँस पौधे प्रदाय किये जावेंगे तथा नदी क्षेत्र से लगे कृषकों को प्राथमिकता दी जावेगी तथा पौधरोपण की शर्त अनुसार संख्या की पूर्ती की जा सकेगी।

अनुशंसा- प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्तों के साथ परियोजना को पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

42.Case No. 11264/2024 Shri Satendra Kumar Singh, Authorized Person, M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District – Bhopal (M.P.) – 462011, Prior Environment Clearance for Gauramchuwai-3 Sand Quarry in an area of 9.00 ha. (1,35,000 cum per year) (Khasra No. 475) Village – Gauramchuwai, Tehsil – Badi, District –Raisen(M.P.) – (EIA)

प्रस्तावित खदान बी-1 श्रेणी के अंतर्गत पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के मूल्यांकन का है, जिसमें आज दिनांक 18/05/2024 को परियोजना प्रस्तावक प्रतिनिधि श्री सतेन्द्र कुमार सिंह (अधिकृत व्यक्ति) मेसर्स दि मध्य प्रदे । राज्य खनिज निगम लि. एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार संचित कुमार/मेसर्स कॉर्नीजेंस रिसर्च इंडिया प्राइवेट लिमिटेड उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	श्री सतेन्द्र कुमार सिंह कनिश्ठ प्रबंधक (अधिकृत व्यक्ति) मेसर्स दि मध्य प्रदे । राज्य खनिज निगम लि. पता – पर्यावास भवन, ब्लॉक ए, द्वितीय तल, अरेस्ट हिल्स, भोपाल मध्य प्रदेश ।	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/ निजी)	खसरा नं. – 475 (ग्रामीण भूमि नदी)	क्षेत्रफल – 9.00 हे.
स्थल	ग्राम – गौरामछुवाई तहसील –बाड़ी, जिला – रायसेन, म.प्र.	

753-B वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 18 मई 2024

लीज स्वीकृति	मध्यप्रदे । शासन, खनिज साधन विभाग, मंत्रालय, भोपाल के पत्र क्रमांक – एफ–19–2–2019–बारह–1 पार्ट–6 दिनांक 31/05/2023 के द्वारा 10 वर्षों के लिए आवंटित ।
लीज का नवीनीकरण (यदि हो तो)	नया प्रोजेक्ट ।
स्वीकृत माईनिंग प्लान/डी एस आर अनुसार कोर्डिनेट्स मिलान की स्थिति	डी एस आर अनुसार एवं नवीन कोर्डिनेट्स जोड़े गये ।
प्रकरण की स्थिति	बी–1 श्रेणी, नया प्रोजेक्ट
पर्यावरण सलाहकार या उनके अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा स्थल निरीक्षण	स्थल का नाम गौरामछुवाई – 3 रेत खदान, दिनांक – 20/12/2023
डिया ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	लागू नहीं ।
टॉर यदि लागू हो तो विवरण दें।	सिया द्वारा गौरामछुवाई – 3 रेत खदान के लिए स्टेन्डर्ड टॉर दिनांक 31/01/2024 को जारी किया गया है, जिसके अनुसार परियोजना प्रस्तावक द्वारा ईआईए रिपोर्ट समिति के समक्ष प्रस्तुत की गई है ।
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत – 1,35,000 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार रेत – 1,35,000 घनमीटर/वर्ष है ।
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला रायसेन के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 1233 दिनांक 21/07/2023 के अनुसार 500 मीटर की परिधि में (02) अन्य खदान संचालित/स्वीकृत हैं। जिनका रकबा 74.00 हे. हैं। इस प्रकार कुल रकबा 83.000 अतः प्रकरण बी–1 श्रेणी का हैं।
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला रायसेन के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 1233 दिनांक 21/07/2023 के अनुसार 10 किलो मीटर की परिधि में ने अनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थित नहीं है । एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला रायसेन के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 1233 दिनांक 21/07/2023 के अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट/ैक्षणिक संस्था/चिकित्सालय/पुरातत्व धरोहर/राश्ट्रीय महत्व के स्मारक/रेलवे लाइन/सार्वजनिक

753-B वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 18 मई 2024

	भवन/ मशान घाट/ राश्ट्रीय राजमार्ग/ राज्य मार्ग/ संवेदन पील क्षेत्र जैसे— रेडियो स्टेशन/दूरद नि/हवाई अड्डा प्रतिरक्षा संस्थान इत्यादि स्थित नहीं हैं।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत गौरामछुवाई जिला रायसेन के अनापत्ति पत्र दिनांक 14/10/2019 के अनुसार प्रस्तावित स्थलपर खनन् कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है।
प्रस्तावि स्थत पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	लीज में कोई पेड़ स्थित नहीं है।
प्रस्तावित स्थल की गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति एवं नदी का नाम।	नर्मदा नदी। खदान क्षेत्र का अधिकांश भाग सूखा हुआ है।
सिया में ईसी हेतु प्रकरण प्रस्तुत करने का दिनांक	22/09/2023
प्रस्तावि खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	उपरोक्त खदान का विवरण जिले की अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.-67 के सरल कमांक-43 एवं पेज नं.-98 के सरल कमांक-43 पर दर्ज है।
जन सुनवाई के प्रमुख बिन्दु (यदि लागू हो तो)	प्रस्तावित खदान की जन सुनवाई दिनांक 27/03/2024, को संपन्न हुई। आपत्तियाँ/सुझाव प्राप्त हुए, जिसे पर्यावरणीय प्रबंधन योजना / सी.एस.आर में बजट के साथ शामिल किया गया है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति विषाणु शर्तों एवं स्टेप्डर्ड शर्तों संलग्नक—ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुसंसा करती है:—

1. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता रेत — 1,35,000 घनमीटर/वर्ष है।
2. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व पर्यावरण स्वीकृति के संबंध में जानाकारी नहीं दे पाये, यदि पूर्व में पर्यावरण स्वीकृति जारी हुई हो तो इसका पालन प्रतिवेदन 06–06 माह में सिया को प्रस्तुत करेंगे एवं जिला खनिज अधिकारी 01 वर्ष में पालन प्रतिवेदन सुनिश्चित करायेगे तथा मध्यप्रदेश राज्य खनिज कार्पोरेशन इसकी निगरानी करेंगे।
3. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व पर्यावरण स्वीकृति के संबंध में जानाकारी नहीं दे पाये, यदि पूर्व में पर्यावरण स्वीकृति जारी हुई हो तो इसका पालन एक वर्ष में जिला खनिज अधिकारी सुनिश्चित करायेगे।

753-B वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 18 मई 2024

4. नदी के न्यूनतम 05 मीटर तक घाटो के किनारे स्थित वृक्षो, झाड़ियों एवं लताओं को और घास को क्षति नहीं पहुँचाई जायेगी।
5. रेत निकासी परिवहन मार्ग निजी भूमि से होकर जाता है तो संबंधित कृषक / कृषकों से सहमति पश्चात् ही परिवहन किया जायेगी।
6. खदान संचालन भुर्ल करने के पहले परियोजना प्रस्तावक जिला मत्स्य पालन विभाग अधिकारी का अभिमत प्राप्त करेंगा कि खनन क्षेत्र में कोई Prawn Breeding Center तो नहीं है और यदि किसी क्षेत्र का संज्ञान होगा तो अनुकूल रोकथाम के उपाय विषय विशेषज्ञ के सुझाव अनुसार अपनाये जायेंगे।

7. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राँ । रु. 17,99,500 लाख एवं रिकरिंग राँ । रु. 4,07,028 लाख प्रति वर्ष।

S.No .	Particulars	Capital Cost (Rs)	Recurring Cost (Rs)
<u>FOR ENVIRONMENTAL PROTECTION</u>			
1(a)	Water sprinkling through tanker sprinkling system both on haul road and transportation road.	-	90,000
1(b)	Water requirement- 2.50 KLD, Cost of water (@ 0.15 paisa/liter) Assuming 240 working days.		
2.	Approach Road Maintenance, Speed breakers, Sign Boards, Reflectors, Development of T-Point etc (500m in length × 5m in width)	1,50,000	30,000
3.	<u>PLANTATION SCHEME</u>		
	Plantation at the boundary of the river. @ Rs. 150/plant.	(2000X150= ₹3,00,000)	
	b) Plantation at the haulage road: @ Rs. 500/plant.	(150X500= ₹ 75,000)	8,07,500 98,028
	c) Plantation in the nearby village area and distribution to villagers @ Rs.50/plant	(8650X50 = ₹ 4,32,500)	
4	Half yearly PUC certification for trucks @500/truck (56 Trucks × 500 × 2 times in a year)	56,000	--

753-B वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 18 मई 2024

5	Monitoring (AAQM, Noise, Soil & Water twice in a year) Pollution Monitoring i) Air pollution ii) Water pollution iii) Soil Pollution iv) Noise Pollution		30,000 30,000 20,000 20,000
6	Drinking Water Facility for labour and staff (one water cooler/12 labour @ Rs. 10,000/cooler). Total Workers deployed are 40	40,000	5,000
7	Separate Toilets for Male and Female @15000× 2 and Rs. 3000/year for Maintenance.	30,000	3,000
8	Grazing Land development (Native palatable grass species Such as Dichanthium, Puniya (Sehima nervosum), and Themeda etc. will be planted for grassland/fodder development on Charnoi Land.	5,000	1,000
9	Regular Medical Check-up of workers @500/worker (twice in a year) (For 40 Labors -40× 500 × 2)	-	40,000
10	First Aid Box & Firefighting equipment's @20000 × 1 & Rs. 2000/year for Maintenance.	20,000	2,000
11	PPEs for other mining operations @ Rs. 1500/worker. (For 40 workers - 40 × 1500)	60,000	6,000
12	Shelter rooms for labors (15*20 ft) =300 Square feet	1,50,000	5,000
13	Two dustbins & development of solid waste management system	10,000	2,000
14	Miscellaneous Expenses such as follows: One solar light, (@ Rs. 8000/light) 2 Web Camera, (per camera. @3500 rupees) Display Board at mine entrance.	15,000	5,000
15	Providing 2 Gas cylinders under Ujjwala Yojana to Labours which results no fuel wood will be used as a source of energy by mineworkers. @ 3000 Rps /Connection.	6,000	
16	Provide 1,00,000/-INR to village farmers for trees adaptation for reducing carbon footprint sequestration. distribution of LED bulb – 50,000	1,00,000 50,000	1,00,000
	Total	15,49,500/-	5,02,028/-

753-B वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 18 मई 2024

8. सी.ई.आर. मद में निम्नानुसार राटा रु. 2,00,000 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :—

सी.ई.आर. मद में प्रस्तावित गतिविधियाँ	राटा (रु.में)
ग्राम पंचायत भवन गौरामछुवाई के निर्माण कार्य हेतु 2,00,000 रुपये की राशि ग्राम पंचायत के बैंक खाते में भू-प्रवेश के 03 माह के अंदर जमा कर दी जावेगी	2,00,000
कुल	2,00,000

9. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख—रखाव के साथ) कम से कम 2150 वृक्षों का वृक्षारोपण एवं 8650 वृक्षों का वितरण :—

कं	वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	नदी के किनारों पर (नदी तट से 1 से 6 पक्कियों में)	1—3 पंक्ति— खस, नागर मोथा, लेमन ग्रास, गटायन के बीज एवं स्थानीय घास 4—5 पंक्ति — कटंग बांस 6 पंक्ति — करंज, जामुन, खमेर, कहवा, अर्जुन, शहतूत एवं चिरोल, आम, गरारी अन्य फलदार वृक्ष एवं स्थानीय प्रजातियाँ	2000
2	परिवहन मार्ग में (न्यूनतम 1.5 मीटर ट्री—गार्ड के साथ)	नीम, पीपल, अचार, बरगद, चिरोल, मोलश्री, पुत्रंजीवा, कुसुम, आम, अंजन, महुआ, अन्य फलदार वृक्ष एवं स्थानीय प्रजातियाँ, (ट्री गार्ड के साथ)	150
3	ग्राम वासियों में वितरण हेतु	आम, हाइब्रिड बेर, औँवला, मुनगा सीताफल, नींबू बेल, अचार एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ	8650
कुल			10800
<input checked="" type="checkbox"/> वृक्षों का रोपण एवं वितरण प्रथम वर्ष में पोधों का रख—रखाव स्वयं/ग्राम पंचायत/स्थानीय वन समिति /स्थानीय पंजीकृत स्वयं सेवी संस्था/सेल्फ हेल्प ग्रुप (SHG) के द्वारा खनन् अवधि तक कराया जायेगा। <input checked="" type="checkbox"/> प्रस्तावित परियोजना में किसी भी पेड़ को काटा/उखाड़ा नहीं जायेगा।			

753-B वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक

दिनांक 18 मई 2024

<p>✓ एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति में पौधे STAGGRED (आड़े-तिरछे) लगाये जायेंगे।</p> <p>टीप: वृक्षारोपण, बीजारोपण एवं रख-रखाव, मौके पर स्थल की उपलब्धता के अनुसार किया जायेगा एवं खदान क्षेत्र के आस पास पौधरोपण हेतु जगह उपलब्धता लंबाई एवं चौड़ाई में नहीं होने की स्थिति में नदी के जल ग्रहण क्षेत्र में/ग्रामीण स्कूल/पुलिस थाना/आंगनवाड़ी केंद्र/तहसील कार्यालय/ अन्य शासकीय भूमि, विभाग की सहमति पर पौधरोपण एवं रख-रखाव किया जावेगा। परिवहन मार्ग या अन्य स्थलों पर स्थनीय परिस्थितियों के कारण पर रोपण संभव न होने की स्थिति में नदी क्षेत्र से लगे ग्रामीणों को फलदार, बाँस पौधे प्रदाय किये जावेंगे तथा नदी क्षेत्र से लगे कृषकों को प्राथमिकता दी जावेगी तथा पौधरोपण की शर्त अनुसार संख्या की पूर्ती की जा सकेगी।</p>

अनुशंसा— प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्तों के साथ परियोजना को पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

43.Case No. 11259/2024 Shri Satendra Kumar Singh, Authorized Person, M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District – Bhopal (M.P.) – 462011, Prior Environment Clearance for Gauramchuwai-4 Sand Quarry in an area of 54.00ha. (8,10,000 cum per year) (Khasra No. 468) Village – Gauramchuwai, Tehsil – Badi, District –Raisen(M.P.) – (EIA)

प्रस्तावित खदान बी-1 श्रेणी के अंतर्गत पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के मूल्यांकन का है, जिसमें आज दिनांक 18/05/2024 को परियोजना प्रस्तावक प्रतिनिधि श्री सतेन्द्र कुमार सिंह (अधिकृत व्यक्ति) मेसर्स दि मध्य प्रदे । राज्य खनिज निगम लि. एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार संचित कुमार/मेसर्स कॉर्नीजेंस रिसर्च इंडिया प्राइवेट लिमिटेड उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	श्री सतेन्द्र कुमार सिंह कनिश्ठ प्रबंधक (अधिकृत व्यक्ति) मेसर्स दि मध्य प्रदे । राज्य खनिज निगम लि. पता – पर्यावास भवन, ब्लॉक ए, द्वितीय तल, अरेसा हिल्स, भोपाल मध्य प्रदेश ।	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/ निजी)	खसरा नं. – 468 (ग्रामीण भूमि नदी)	क्षेत्रफल – 54.00हे.
स्थल	ग्राम – गौरामछुवाई तहसील –बाड़ी, जिला – रायसेन, म.प्र.	
लीज स्वीकृति	मध्यप्रदे । शासन, खनिज साधन विभाग, मंत्रालय, भोपाल के पत्र क्रमांक – एफ-19-2-2019-बारह-1	

753-B वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 18 मई 2024

	पार्ट-6 दिनांक 31/05/2023 के द्वारा 10 वर्षों के लिए आवंटित ।
लीज का नवीनीकरण (यदि हो तो)	नया प्रोजेक्ट ।
स्वीकृत माईनिंग प्लान/डी एस आर अनुसार कोर्डिनेट्स मिलान की स्थिति	डी एस आर अनुसार एवं नवीन कोर्डिनेट्स जोड़े गये ।
प्रकरण की स्थिति	बी-1 श्रेणी, नया प्रोजेक्ट
पर्यावरण सलाहकार या उनके अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा स्थल निरीक्षण	स्थल का नाम गौरामछुवाई – 4 रेत खदान, दिनांक – 25/12/2023
डिया ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	लागू नहीं ।
टॉर यदि लागू हो तो विवरण दें।	सिया द्वारा गौरामछुवाई – 4 रेत खदान के लिए स्टेन्डर्ड टॉर दिनांक 31/01/2024 को जारी किया गया है, जिसके अनुसार परियोजना प्रस्तावक द्वारा ईआईए रिपोर्ट समिति के समक्ष प्रस्तुत की गई है ।
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत – 8,10,000 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार रेत – 8,10,000 घनमीटर/वर्ष है ।
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला रायसेन के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1234 दिनांक 21/07/2023 के अनुसार 500 मीटर की परिधि में (02) अन्य खदान संचालित/स्वीकृत हैं। जिनका रकबा 29.000 हैं। इस प्रकार कुल रकबा 83.00 हैं। अतः प्रकरण बी-1 श्रेणी का हैं।
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला रायसेन के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1234 दिनांक 21/09/2023 के अनुसार 10 किलो मीटर की परिधि में ने अनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जॉन जैव विविधता क्षेत्र स्थित नहीं है । एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला रायसेन के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1234 दिनांक 21/07/2023 के अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट/ैक्षणिक संस्था/चिकित्सालय/पुरातत्व धरोहर/राश्ट्रीय महत्व के स्मारक/रेलवे लाइन/सार्वजनिक भवन/अमशान घाट/राश्ट्रीय राजमार्ग/राज्य मार्ग/संवेदन फील क्षेत्र जैसे- रेडियो

753-B वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 18 मई 2024

	स्टेशन/दूरद नि/हवाई अड्डा प्रतिरक्षा संस्थान इत्यादि स्थित नहीं हैं।
ग्राम सभा / ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत गौरामछुवाई जिला रायसेन के अनापत्ति पत्र दिनांक 14/10/2019 के अनुसार प्रस्तावित स्थलपर खनन् कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है।
प्रस्तावि स्थित पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	लीज में कोई पेड़ स्थित नहीं है।
प्रस्तावित स्थल की गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति एवं नदी का नाम।	नर्मदा नदी। खदान क्षेत्र का अधिकांश भाग सूखा हुआ है।
सिया में ईसी हेतु प्रकरण प्रस्तुत करने का दिनांक	22/09/2023
प्रस्तावि खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	उपरोक्त खदान का विवरण जिले की अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.-67 के सरल कमांक-44 एवं पेज नं.-98 के सरल कमांक-44 पर दर्ज है।
जन सुनवाई के प्रमुख बिन्दु (यदि लागू हो तो)	प्रस्तावित खदान की जन सुनवाई दिनांक 27/03/2024, को संपन्न हुई। आपत्तियाँ/सुझाव प्राप्त हुए, जिसे पर्यावरणीय प्रबंधन योजना / सी.एस.आर में बजट के साथ शामिल किया गया है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति विषाणु शर्तों एवं स्टेप्डर्ड शर्तों संलग्नक—ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनु संसा करती है:—

1. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता रेत — 8,10,000 घनमीटर/वर्ष है।
2. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व पर्यावरण स्वीकृति के संबंध में जानाकरी नहीं दे पाये, यदि पूर्व में पर्यावरण स्वीकृति जारी हुई हो तो इसका पालन प्रतिवेदन 06–06 माह में सिया को प्रस्तुत करेंगे एवं जिला खनिज अधिकारी 01 वर्ष में पालन प्रतिवेदन सुनिश्चित करायेगे तथा मध्यप्रदेश राज्य खनिज कार्पोरेशन इसकी निगरानी करेंगे।
3. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व पर्यावरण स्वीकृति के संबंध में जानाकरी नहीं दे पाये, यदि पूर्व में पर्यावरण स्वीकृति जारी हुई हो तो इसका पालन एक वर्ष में जिला खनिज अधिकारी सुनिश्चित करायेगे।
4. नदी के न्यूनतम 05 मीटर तक घाटों के किनारे स्थित वृक्षों, झाड़ियों एवं लताओं को और घास को क्षति नहीं पहुँचाई जायेगी।

753-B वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 18 मई 2024

5. रेत निकासी परिवहन मार्ग निजी भूमि से होकर जाता है तो संबंधित कृषक / कृषकों से सहमति पश्चात् ही परिवहन किया जायेगी ।
6. खदान संचालन भुर्झ करने के पहले परियोजना प्रस्तावक जिला मत्स्य पालन विभाग अधिकारी का अभिमत प्राप्त करेंगा कि खनन् क्षेत्र में कोई Prawn Breeding Center तो नहीं है और यदि किसी क्षेत्र का संज्ञान होगा तो अनुकूल रोकथाम के उपाय विषय विशेषज्ञ के सुझाव अनुसार अपनाये जायेंगे ।
7. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राँ । रु. 73,81,500 लाख एवं रिकरिंग राँ । रु. 21,60,972 लाख प्रति वर्ष ।

S.No .	Particulars	Capital Cost (Rs)	Recurring Cost (Rs)
<u>FOR ENVIRONMENTAL PROTECTION</u>			
1(a)	Water sprinkling through tanker sprinkling system both on haul road and transportation road.	-	1,80,000
1(b)	Water requirement- 5.00 KLD, Cost of water (@ 0.15 paisa/liter) Assuming 240 working days.		
2.	Approach Road Maintenance, Speed breakers, Sign Boards, Reflectors, Development of T-Point etc (1000m in length × 5m in width)	3,00,000	60,000
3.	<u>PLANTATION SCHEME</u> Plantation at the boundary of the river. @ Rs. 150/plant. (20,000X150= ₹30,00,000) b) Plantation at the haulage road: @ Rs. 500/plant. (350X500= ₹ 1,75,000) c) Plantation in the nearby village area and distribution to villagers @ Rs.50/plant (44450X50 = ₹ 22,22,500)	53,97,500	9,27,972
4	Half yearly PUC certification for trucks @500/truck (338 Trucks × 500 × 2 times in a year)	--	3,38,000

753-B वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 18 मई 2024

5	Monitoring (AAQM, Noise, Soil & Water twice in a year) Pollution Monitoring i) Air pollution ii) Water pollution iii) Soil Pollution iv) Noise Pollution		30,000 30,000 20,000 20,000
6	Drinking Water Facility for labour and staff (one water cooler/12 labour @ Rs. 10,000/cooler). Total Workers deployed are 492	4,10,000	5,000
7	Separate Toilets for Male and Female @15000× 2 and Rs. 3000/year for Maintenance.	30,000	3,000
8	Grazing Land development (Native palatable grass species Such as Dichanthium, Puniya (Sehima nervosum), and Themeda etc. will be planted for grassland/fodder development on Charnoi Land.	5,000	1,000
9	Regular Medical Check-up of workers @500/worker (twice in a year) (For 492 Labors -492× 500 × 2)	-	4,92,000
10	First Aid Box & Firefighting equipment's @20000 × 1 & Rs. 2000/year for Maintenance.	20,000	2,000
11	PPEs for other mining operations @ Rs. 1500/worker. (For 492 workers - 492 × 1500)	7,38,000	20,000
12	Shelter rooms for labors (15*20 ft) =300 Square feet	1,50,000	5,000
13	Two dustbins & development of solid waste management system	10,000	2,000
14	Miscellaneous Expenses such as follows: One solar light, (@ Rs. 8000/light) 2 Web Camera, (per camera. @3500 rupees) Display Board at mine entrance.	15,000	5,000
15	Providing 2 Gas cylinders under Ujjwala Yojana to Labours which results no fuel wood will be used as a source of energy by mineworkers. @ 3000 Rps /Connection.	6,000	
16	Provide 10,00,000/-INR to village farmers for trees adaptation for reducing carbon footprint	10,00,000	1,00,000
	Total	80,81,500/-	22,40,972/-

8. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार रा० 1 रु. 14,00,000 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :—

753-B वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 18 मई 2024

सी.ई.आर. मद में प्रस्तावित गतिविधियाँ	राटि । (रु.में)
ग्राम गौरामछुवाई के शासकीय स्कूल में अधोसंचना विकास में सहयोग हेतु 5,00,000 रुपये की राशि शिक्षक पालक संघ समिति ग्राम गौरामछुवाई के बैंक खाते में भू-प्रवेश के 03 माह के अंदर जमा कर दी जावेगी ।	5,00,000
ग्राम गौरामछुवाई के शासकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में स्वास्थ्य उपकरण हेतु 8,00,000 रुपये की राशि शासकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के बैंक खाते में भू-प्रवेश के 03 माह के अंदर जमा कर दी जावेगी ।	5,00,000
ग्राम गौरामछुवाई के ग्रामवासियों के लिए प्रत्येक छह माह में 1,00,000 रुपये की राशि से स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया जावेगा जिसमें सभी ग्राम वासीयों की रक्तचाप, मलेरिया डेंगू एवं मधुमेह की निशुल्क जांच की जावेगी	1,00,000
कुल	14,00,000

9. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 20350 वृक्षों का वृक्षारोपण एवं 44450 वृक्षों का वितरण :-

कं	वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	नदी के किनारों पर (नदी तट से 1 से 6 पवित्रियों में)	1-3 पंकित— खस, नागर मोथा, लेमन ग्रास, गटायन के बीज एंव स्थानीय घास 4-5 पंकित — कटंग बांस 6 पंकित — करंज, जामुन, खमेर, कहवा, अर्जुन, शहतूत एंवं चिरोल, आम, गरारी अन्य फलदार वृक्ष एंवं स्थानीय प्रजातियाँ	20000
2	परिवहन मार्ग में (न्यूनतम 1.5 मीटर ट्री-गार्ड के साथ)	नीम, पीपल, अचार, बरगद, चिरोल, मोलश्री, पुत्रंजीवा, कुसुम, आम, अंजन, महुआ, अन्य फलदार वृक्ष एंवं स्थानीय प्रजातियाँ, (ट्री गार्ड के साथ)	350
3	ग्राम वासियों में वितरण हेतु	आम, हाइब्रिड बेर, औँवला, मुनगा सीताफल, नीबू बेल, अचार एंवं	44450

753-B वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 18 मई 2024

	अन्य स्थानीय प्रजातिया	
	कुल	64800
<ul style="list-style-type: none"> ✓ वृक्षों का रोपण एवं वितरण प्रथम वर्ष में पोधों का रख-रखाव स्वयं/ग्राम पंचायत/स्थानीय वन समिति /स्थानीय पंजीकृत स्वयं सेवी संस्था/सेल्फ हेल्प ग्रुप (SHG) के द्वारा खनन् अवधि तक कराया जायेगा। ✓ प्रस्तावित परियोजना में किसी भी पेड़ को काटा/उखाड़ा नहीं जायेगा। ✓ एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति में पोधे STAGGRED (आड़े-तिरछे) लगाये जायेंगे। <p>टीप: वृक्षारोपण, बीजारोपण एवं रख-रखाव, मौके पर स्थल की उपलब्धता के अनुसार किया जायेगा एवं खदान क्षेत्र के आस पास पौधरोपण हेतु जगह उपलब्धता लंबाई एवं चौड़ाई में नहीं होने की स्थिति में नदी के जल ग्रहण क्षेत्र में/ग्रामीण स्कूल/पुलिस थाना/आंगनवाड़ी केंद्र/तहसील कार्यालय/ अन्य शासकीय भूमि, विभाग की सहमति पर पौधरोपण एवं रख-रखाव किया जावेगा। परिवहन मार्ग या अन्य स्थलों पर स्थनीय परिस्थितियों के कारण पर रोपण संभव न होने की स्थिति में नदी क्षेत्र से लगे ग्रामीणों को फलदार, बाँस पौधे प्रदाय किये जावेंगे तथा नदी क्षेत्र से लगे कृषकों को प्राथमिकता दी जावेगी तथा पौधरोपण की शर्त अनुसार संख्या की पूर्ती की जा सकेगी।</p>		

अनुशंसा— प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्तों के साथ परियोजना को पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

44. Case No. 11258/2024 Shri Satendra Kumar Singh, Authorized Person, M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District – Bhopal (M.P.) – 462011, Prior Environment Clearance for Gauramchuwai-5 Sand Quarry in an area of 3.00ha. (45,000 cum per year) (Khasra No. 392) Village – Gauramchuwai, Tehsil – Badi, District –Raisen(M.P.) – (EIA)

प्रस्तावित खदान बी-1 श्रेणी के अंतर्गत पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के मूल्यांकन का है, जिसमें आज दिनांक 18/05/2024 को परियोजना प्रस्तावक प्रतिनिधि श्री सतेन्द्र कुमार सिंह (अधिकृत व्यक्ति) मेसर्स दि मध्य प्रदे । राज्य खनिज निगम लि. एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार संचित कुमार/मेसर्स कॉर्नीजेंस रिसर्च इंडिया प्राइवेट लिमिटेड उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	श्री सतेन्द्र कुमार सिंह कनिश्ठ प्रबंधक (अधिकृत व्यक्ति) मेसर्स दि मध्य प्रदे । राज्य खनिज निगम लि.

753-B वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 18 मई 2024

	पता – पर्यावास भवन, ब्लॉक ए, द्वितीय तल, अरेरा हिल्स, भोपाल मध्य प्रदेश ।	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/ निजी)	खसरा नं. – 392 (आसकीय भूमी नदी)	क्षेत्रफल – 3.00हे.
स्थल	ग्राम – गौरामछुवाई तहसील –बाडी, जिला – रायसेन, म.प्र.	
लीज स्वीकृति	मध्यप्रदे । शासन, खनिज साधन विभाग, मंत्रालय, भोपाल के पत्र क्रमांक – एफ–19–2–2019–बारह–1 पार्ट–6 दिनांक 31/05/2023 के द्वारा 10 वर्षों के लिए आवंटित ।	
लीज का नवीनीकरण (यदि हो तो)	नया प्रोजेक्ट ।	
स्वीकृत माईनिंग प्लान/डी एस आर अनुसार कोर्डिनेट्स मिलान की स्थिति	डी एस आर अनुसार एवं नवीन कोर्डिनेट्स जोड़े गये ।	
प्रकरण की स्थिति	बी–1 श्रेणी, नया प्रोजेक्ट	
पर्यावरण सलाहकार या उनके अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा स्थल निरीक्षण	स्थल का नाम गौरामछुवाई – 5 रेत खदान, दिनांक – 20/11/2023	
डिया ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	लागू नहीं ।	
टॉर यदि लागू हो तो विवरण दें।	सिया द्वारा गौरामछुवाई – 5 रेत खदान के लिए स्टेन्डर्ड टॉर दिनांक 31/01/2024 को जारी किया गया है, जिसके अनुसार परियोजना प्रस्तावक द्वारा ईआईए रिपोर्ट समिति के समक्ष प्रस्तुत की गई है ।	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत – 45,000 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार रेत – 45,000 घनमीटर/वर्ष है ।	
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला रायसेन के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 1230 दिनांक 21/07/2023 के अनुसार 500 मीटर की परिधि में (02) अन्य खदान संचालित/स्वीकृत हैं। जिनका रकबा 12.00 है. हैं। इस प्रकार कुल रकबा 15.00 है. है। अतः प्रकरण बी–1 श्रेणी का हैं।	
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला रायसेन के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 1230 दिनांक 21/09/2023 के अनुसार 10 किलो मीटर की परिधि में ने अनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको संसेटिव जॉन जैव विविधता क्षेत्र स्थित नहीं है । एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है	

753-B वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक

दिनांक 18 मई 2024

तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला रायसेन के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1230 दिनांक 21/07/2023 के अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट/ैक्षणिक संरक्षा/चिकित्सालय/पुरातत्व धरोहर/राश्ट्रीय महत्व के स्मारक/रेलवे लाइन/सार्वजनिक भवन/अमशान घाट/राश्ट्रीय राजमार्ग/राज्य मार्ग/संवेदन फ़िल क्षेत्र जैसे— रेडियो स्टेशन/दूरद नि/हवाई अड्डा प्रतिरक्षा संस्थान इत्यादि स्थित नहीं हैं।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत गौरामछुवाई जिला रायसेन के अनापत्ति पत्र दिनांक 14/10/2019 के अनुसार प्रस्तावित स्थलपर खनन् कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है।
प्रस्तावि स्थल पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	लीज में कोई पेड़ स्थित नहीं है।
प्रस्तावित स्थल की गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति एवं नदी का नाम ।	नर्मदा नदी। खदान क्षेत्र का अधिकांश भाग सूखा हुआ है।
सिया में ईसी हेतु प्रकरण प्रस्तुत करने का दिनांक	22/09/2023
प्रस्तावि खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	उपरोक्त खदान का विवरण जिले की अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.-67 के सरल क्रमांक-39 एवं पेज नं.-97 के सरल क्रमांक-39 पर दर्ज है।
जन सुनवाई के प्रमुख बिन्दु (यदि लागू हो तो)	प्रस्तावित खदान की जन सुनवाई दिनांक 27/03/2024, को संपन्न हुई। आपत्तियाँ/सुझाव प्राप्त हुए, जिसे पर्यावरणीय प्रबंधन योजना / सी.एस.आर में बजट के साथ शामिल किया गया है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति विषयक शर्तों एवं स्टेपडर्ड शर्तों संलग्नक—ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनु संसा करती है:—

1. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता रेत — 45,000 घनमीटर/वर्ष है।
2. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व पर्यावरण स्वीकृति के संबंध में जानाकारी नहीं दे पाये, यदि पूर्व में पर्यावरण स्वीकृति जारी हुई हो तो इसका पालन प्रतिवेदन 06—06 माह

753-B वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 18 मई 2024

में सिया को प्रस्तुत करेंगे एवं जिला खनिज अधिकारी 01 वर्ष में पालन प्रतिवेदन सुनिश्चित करायेगे तथा मध्यप्रदेश राज्य खनिज कार्पोरेशन इसकी निगरानी करेंगे।

3. नदी के न्यूनतम 05 मीटर तक धाटो के किनारे स्थित वृक्षो, झाड़ियों एवं लताओं को और धास को क्षति नहीं पहुँचाई जायेगी।
4. रेत निकासी परिवहन मार्ग निजी भूमि से होकर जाता है तो संबंधित कृषक / कृषकों से सहमति पश्चात् ही परिवहन किया जायेगी।
5. खदान संचालन भुर्ल करने के पहले परियोजना प्रस्तावक जिला मत्स्य पालन विभाग अधिकारी का अभिमत प्राप्त करेंगा कि खनन क्षेत्र में कोई Prawn Breeding Center तो नहीं है और यदि किसी क्षेत्र का संज्ञान होगा तो अनुकूल रोकथाम के उपाय विषय विशेषज्ञ के सुझाव अनुसार अपनाये जायेंगे।
6. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राटि 1 रु. 9,33,500 लाख एवं रिकरिंग राटि 1 रु. 3,80,452 लाख प्रति वर्ष।

S.No .	Particulars	Capital Cost (Rs)	Recurring Cost (Rs)
FOR ENVIRONMENTAL PROTECTION			
1(a)	Water sprinkling through tanker sprinkling system both on haul road and transportation road.	-	90,000
1(b)	Water requirement- 2.50 KLD, Cost of water (@ 0.15 paisa/liter) Assuming 240 working days.		
2.	Approach Road Maintenance, Speed breakers, Sign Boards, Reflectors, Development of T-Point etc (500m in length × 5m in width)	1,50,000	30,000
3.	<u>PLANTATION SCHEME</u> Plantation at the boundary of the river. @ Rs. 150/plant. (1000X150= ₹1,50,000) b) Plantation at the haulage road: @ Rs. 500/plant. (150X500= ₹ 75,000) c) Plantation in the nearby village area and distribution to villagers @ Rs.50/plant (2450X50 = ₹1,22,500)	3,47,500	52,452
4	Half yearly PUC certification for trucks @500/truck (19 Trucks × 500 × 2 times in a year)	--	19,000

753-B वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 18 मई 2024

5	Monitoring (AAQM, Noise, Soil & Water twice in a year) Pollution Monitoring i) Air pollution ii) Water pollution iii) Soil Pollution iv) Noise Pollution		30,000 30,000 20,000 20,000
6	Drinking Water Facility for labour and staff (one water cooler/12 labour @ Rs. 10,000/cooler). Total Workers deployed are 40	40,000	5,000
7	Separate Toilets for Male and Female @15000× 2 and Rs. 3000/year for Maintenance.	30,000	3,000
8	Grazing Land development (Native palatable grass species Such as Dichanthium, Puniya (Sehima nervosum), and Themeda etc. will be planted for grassland/fodder development on Charnoi Land.	5,000	1,000
9	Regular Medical Check-up of workers @500/worker (twice in a year) (For 40 Labors -40× 500 × 2)	-	40,000
10	First Aid Box & Firefighting equipment's @20000 × 1 & Rs. 2000/year for Maintenance.	20,000	2,000
11	PPEs for other mining operations @ Rs. 1500/worker. (For 40 workers - 40 × 1500)	60,000	6,000
12	Shelter rooms for labors (15*20 ft) =300 Square feet	1,50,000	5,000
13	Two dustbins & development of solid waste management system	10,000	2,000
14	Miscellaneous Expenses such as follows: One solar light, (@ Rs. 8000/light) 2 Web Camera, (per camera. @3500 rupees) Display Board at mine entrance.	15,000	5,000
15	Providing 2 Gas cylinders under Ujjwala Yojana to Labours which results no fuel wood will be used as a source of energy by mineworkers. @ 3000 Rps /Connection.	6,000	
16	Provide 50,000/-INR to village farmers for trees adaptation for reducing carbon footprint	50,000	5,000
	Total	8,83,500/-	3,65,452/-

7. सी.ई.आर. मद में निम्नानुसार रा० । रु. 1,30,000 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :-

सी.ई.आर. मद में प्रस्तावित गतिविधियों	रा० । (रु.में)
---------------------------------------	----------------

753-B वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 18 मई 2024

सी.ई.आर मद से 1,30,000 की राई रोगी कल्याण समिति ग्राम गौरामछुवाई के खाते में भू-प्रवेश के 03 माह के अंदर जमा कर दी जावेगी।	1,30,000
कुल	1,30,000

8. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 1150 वृक्षों का वृक्षारोपण एवं 2450 वृक्षों का वितरण :—

कं	वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	नदी के किनारों पर (नदी तट से 1 से 6 पक्कियों में)	1-3 पंक्ति— खस, नागर मोथा, लेमन ग्रास, गटायन के बीज एवं स्थानीय धास 4-5 पंक्ति — कटंग बांस 6 पंक्ति — करंज, जामुन, खमेर, कहवा, अर्जुन, शहतूत एवं चिरोल, आम, गरारी अन्य फलदार वृक्ष एवं स्थानीय प्रजातियाँ	1000
2	परिवहन मार्ग में (न्यूनतम 1.5 मीटर ट्री-गार्ड के साथ)	नीम, पीपल, अचार, बरगद, चिरोल, मोलश्री, पुत्रंजीवा, कुसुम, आम, अंजन, महुआ, अन्य फलदार वृक्ष एवं स्थानीय प्रजातियाँ, (ट्री गार्ड के साथ)	150
3	ग्राम वासियों में वितरण हेतु	आम, हाइब्रिड बेर, औँवला, मुनगा सीताफल, नींबू बेल, अचार एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ	2450
कुल			3600

- ✓ वृक्षों का रोपण एवं वितरण प्रथम वर्ष में पोधों का रख-रखाव स्वयं/ग्राम पंचायत/स्थानीय वन समिति/स्थानीय पंजीकृत स्वयं सेवी संस्था/सेल्फ हेल्प ग्रुप (SHG) के द्वारा खनन अवधि तक कराया जायेगा।
- ✓ प्रस्तावित परियोजना में किसी भी पेड़ को काटा/उखाड़ा नहीं जायेगा।
- ✓ एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति में पोधे STAGGRED (आड़े-तिरछे) लगाये जायेंगे।

टीप: वृक्षारोपण, बीजारोपण एवं रख-रखाव, मौके पर स्थल की उपलब्धता के अनुसार किया जायेगा एवं खदान क्षेत्र के आस पास पौधरोपण हेतु जगह उपलब्धता लंबाई एवं चौड़ाई में नहीं होने की स्थिति में नदी के जल ग्रहण क्षेत्र में/ग्रामीण स्कूल/पुलिस थाना/आंगनवाड़ी

753-B वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 18 मई 2024

केंद्र/तहसील कार्यालय/ अन्य शासकीय भूमि, विभाग की सहमति पर पौधारोपण एवं रख – रखाव किया जावेगा। परिवहन मार्ग या अन्य स्थलों पर स्थनीय परिस्थितियों के कारण परोपण संभव न होने की स्थिति में नदी क्षेत्र से लगे ग्रामीणों को फलदार, बाँस पौधे प्रदाय किये जावेंगे तथा नदी क्षेत्र से लगे कृषकों को प्राथमिकता दी जावेगी तथा पौधारोपण की शर्त अनुसार संख्या की पूर्ती की जा सकेगी।

अनुशंसा— प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्तों के साथ परियोजना को पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

**46-Case No 10949/2023 Shri Ramesh Bhumaker , Deputy General Manager (Tech),
The Madhya Pradesh State Mining Corporation Limited, Bhopal, ParyawasBhawan,
Block '1-A', II nd floor, Jail Road, Arera Hills, Bhopal (M.P.) Prior Environment
Clearance for PayrapuraRiver Sand Quarry in an area of 5.00 ha. (1,550 cum per year)
(Khasra No. 1&218), Village- Payrapura, Tehsil- Damoh, District- Damoh (M.P.).**

प्रस्तावित रेत खदान बी-1 श्रेणी के अंतर्गत पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति का है, जो कोपरा नदी पर स्थित है, जिसमें आज दिनांक 18/05/2024 को परियोजना प्रस्तावक के अधिकृत प्रतिनिधि श्री. रमेश भूमरकर एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री मोहम्मद महमूद गौस, मेसर्स एम्पल एनवायरो प्राइवेट लिमिटेड, हैदराबाद, तेलंगाना ऑनलाइन उपस्थिति।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना/ कम्पनी का नाम व पता	श्री रमेश भूमरकर, उप महाप्रबंधक (तकनीकी), मध्य प्रदेश राज्य खनन निगम लिमिटेड, भोपाल, पर्यावास भवन, ब्लॉक '1-ए', द्वितीय तल, जेल रोड, अरेरा हिल्स, भोपाल (म.प्र.)	
खसरा नं./क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	1 एवं 218 (सरकारी-गैर वन भूमि)	5.00 हे.
स्थल	ग्राम-पायरापुरा, तहसील-दमोह, जिला- दमोह, मध्य प्रदेश	
लीज स्वीकृति	मध्य प्रदेश शासन, खनिज साधन विभाग, मंत्रालय, भोपाल के पत्र क्रमांक F-19-2-2019-12-1 भाग-6 दिनांक 31/05/2023 के द्वारा 10 वर्षों के लिये आवंटित।	
नया/क्षमता विस्तार	नया प्रोजेक्ट	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत-1,550 घनमी./वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन योजना अनुसार रेत-1,550 घनमी./वर्ष हैं।	

753-B वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 18 मई 2024

500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला-दमोह के एकल प्रमाण पत्र क्रमांक/खनिज/2023/590 दिनांक 09/08/2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मण्डला खिरिया रेत खदान एवं पुरापायरा रेत खदान हैं। अतः प्रकरण बी-1 श्रेणी का हैं।
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला-दमोह के एकल प्रमाण पत्र क्रमांक/खनिज/2023/590 दिनांक 09/08/2023 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में राष्ट्रीय उद्यान/ अभ्यारण्य/पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र, जैव विविधता क्षेत्र एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं हैं।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला-दमोह के एकल प्रमाण पत्र क्रमांक/खनिज/2023/590 दिनांक 09/08/2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट नहीं हैं।
ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत बरवासा, ग्रामसभा-पायरापुरा, जिला-दमोह के ठहराव प्रस्ताव की दिनांक 08/06/2023 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन कार्य का प्रस्ताव पारित।
गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति	लीज क्षेत्र में जल भराव नहीं है, तथा परियोजना प्रस्तावक ने बताया की परिवहन के दौरान पृथक मार्ग का उपयोग किया जायेगा।
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पृष्ठ क्र.-9 के सरल क्रमांक-5 पर दर्ज है।
जन सुनवाई की स्थिति	दिनांक 01/04/2024 को जन सुनवाई संपन्न की गई <ol style="list-style-type: none"> किनारे ना काटे खेत के और ना ही खेत से रास्ता बनाएं। ग्राम की सड़क पर पर्यावरण प्रदूषण न हो सड़कों को परिवहन से क्षति ना हो।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति विचारणा शर्तों एवं स्टेप्डर्ड शर्तों संलग्नक-बी अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनु संसा करती है:-

- अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता रेत - 1550 घनमीटर/वर्ष है।
- परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व पर्यावरण स्वीकृति के संबंध में जानाकारी नहीं दे पाये, यदि पूर्व में पर्यावरण स्वीकृति जारी हुई हो तो इसका पालन प्रतिवेदन 06-06 माह

753-B वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 18 मई 2024

- में सिया को प्रस्तुत करेंगे एवं जिला खनिज अधिकारी 01 वर्ष में पालन प्रतिवेदन सुनिश्चित करायेगे तथा मध्यप्रदेश राज्य खनिज कार्पोरेशन इसकी निगरानी करेंगे।
3. नदी के न्यूनतम 05 मीटर तक धाटो के किनारे स्थित वृक्षो, झाड़ियों एवं लताओं को और धास को क्षति नहीं पहुँचाई जायेगी।
 4. रेत निकासी परिवहन मार्ग निजी भूमि से होकर जाता है तो संबंधित कृषक / कृषकों से सहमति पश्चात् ही परिवहन किया जायेगी।
 5. खदान संचालन भुरु करने के पहले परियोजना प्रस्तावक जिला मत्स्य पालन विभाग अधिकारी का अभिमत प्राप्त करेंगा कि खनन क्षेत्र में कोई Prawn Breeding Center तो नहीं है और यदि किसी क्षेत्र का संज्ञान होगा तो अनुकूल रोकथाम के उपाय विषय विशेषज्ञ के सुझाव अनुसार अपनाये जायेंगे।
 - 6- खनन क्षेत्र में पर्यावरण स्वीकृति के शर्तों का पालन क्रियान्वयन अवलोकित नहीं हुआ। मध्यप्रदेश खनिज निगम पूर्व संचालक द्वारा जमा सुरक्षा निधि अधिहत कर शर्तों का पालन क्रियान्वयन सुनिश्चित कर पर्यावरण स्वीकृति की शर्तों के प्रथम पालन प्रतिवेदन के साथ नए उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ प्रस्तुत करेंगे।
 7. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रु. 2.74 लाख एवं रिकरिंग राशि रु. 2.36 लाख प्रति वर्ष।

S. No.	Particulars	Payrapura - River Sand Quarry	
		Capital Cost in INR	Recurring Cost in INR
1	Cost for Water (@ 0.15 paisa/litre of 240 days)	-	78480
2	Pucca Approach road construction with speed breakers, Reflectors etc (@ 300/Sqm)	1,65,000	16,500
3	Monitoring (Air Quality, Noise, Soil & Water Twice in a year) @ Rs 42,000	Nil	84,000
4	Adoption of Plantation for carbon sequestration and	30,000	3,000
5	PUC certification for trucks (@ 1000/truck)	Nil	1,000
B. Labour Welfare			
6	Shelter for labours	20,000	2,000
7	Separate Bio-Toilets for Male and Female @ 15000X2 and Rs 3000/ Year for Maintenance	30,000	3,000
8	Regular Medical Check-up for Workers @ 1000/worker	Nil	14,000
9	PPEs for Sand Mining operations @1500/Worker PPEs kits Helmets, Safety Glasses, mask, Ear Plugs, Boots& Gloves and Jackets	Nil	21,000
10	VT Training for Labours (Minimum @ 500/Labour)	Nil	7,000
C. Emergency Rescue Plan			
11	First Aid Box & firefighting Equipment (Rs 15000 for Firefighting Equipment and 1*1000 for first Aid	16,000	2,000

753-B वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 18 मई 2024

	Box)		
12	Safety Signages and Warning Boards like red flags, Cones etc	10,000	5,000
D. Solid Waste Management			
13	Bins 2 nos @ 1500 each	3,000	--
Total		2,74,000	2,36.980

- पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में कैपिटल राशि रु. 2.36लाख एवं रिकरिंग राशि रु.2.33लाख प्रतिवर्ष।
- C E R मद में निम्नानुसार राशि रु.0.35 लाखतथा C E R में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किए जाये:- (भू-प्रवेश होने के 03 माह में राशि जमा करेंगे।)

सी.इ.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	राशि(रु. में)
ग्राम पायरापुरा में स्वास्थ्य शिविर की सुविधा	35,000.00
कुल	35,000.00

- नदी क्षेत्र हेतु निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम निम्न मॉडल अनुसार (सतत सिंचाई,3 वर्षों तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ)नदी के किनारे कम से कम 250 वृक्षों का वृक्षारोपण किया जाएगा।

क्र.	वृक्षारोपण हेतु नियत स्थल	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	नदी के किनारे,पहुंच मार्ग तक स्थल के उपलब्धता के अनुसार	खस, घास, करोंदा करंज, अर्जुन एवं जामुन बाँस, बेर, आम, शहतूत, लसोड़ा एवं स्थानीय प्रजातियाँ।	50
2	ग्रामपायरापुराके आसपास के ग्राम में वृक्षारोपण	आंवला, मुनगा, अमरुद, सीताफल, पपीता आम, नींबू, बेल एवं अन्य स्थानीय फलदार प्रजातियाँ।	200
✓ वृक्षों का रोपण एवं वितरण प्रथम वर्ष में पौधों का रख-रखाव स्वयं/ ग्राम पंचायत/ स्थानीय वन समिति/ स्थानीय पंजीकृत स्वयं सेवी संस्था (SHG) के द्वारा खनन अवधितक कराया जाएगा।			

753-B वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 18 मई 2024

- ✓ प्रस्तावित परियोजना में किसी भी पेड़ को काटा / उखाड़ा नहीं जाएगा।
- ✓ एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति में पौधे STAGGRED(आड़े-तिरछे) लगाए जाएंगे।

टिप: वृक्षारोपण, बीजारोपण एवं रख-रखाव, मौके पर स्थल की उपलब्धता के अनुसार किया जाएगा एवं खदान क्षेत्र के आसपास पौधारोपण हेतु जगह उपलब्धता लंबाई एवं चौड़ाई में नहीं होने की स्थिति में नदी के जल ग्रहण क्षेत्र में/ग्रामीण स्कूल / पुलिस थाना /आंगनबाड़ी केंद्र / तहसील कार्यालय / अन्य शासकीय भूमि विभाग के सहमति पर पौधारोपण एवं रखरखाव किया जाएगा। परिवहन मार्ग या अन्य स्थलों पर स्थानीय परिस्थितियों के कारण पर रोपण संभवना होने की स्थिति में नदी क्षेत्र से लगेग्रामीणों को फलदार बाँस पौधे प्रदाय किए जाएंगे तथा नदी क्षेत्र से लगे कृषकों को प्राथमिकता दी जावेगी तथा पौधारोपण की शर्त अनुसार संख्या की पूर्ती की जा सकेंगे।

(ए.ए.मिश्रा)
सदस्य सचिव

(डॉ. पी.सी. दुबे)
अध्यक्ष

753-B वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 18 मई 2024

Following standard conditions shall be applicable for the mining projects of minor mineral in addition to the specific conditions and cases appraised for grant of TOR:

Ann
exure-'A'

Standard conditions applicable to Stone/Murrum and Soil quarries:

1. Mining should be carried out as per the submitted land use plan and approved mine plan. The regulations of danger zone (500 meters) prescribed by Directorate General of Mines safety shall also be complied compulsorily and necessary measures should be taken to minimize the impact on environment.
2. The lease boundary should be clearly demarcated at site with the given co-ordinates by pillars and fenced from all around the site. Necessary safety signage & caution boards shall be displayed at mine site.
3. Arrangements for overhead sprinklers with solar pumps / water tankers should be provided for dust suppression at the exit of the lease area and fixed types sprinklers on the evacuation road. PP should maintain a log book wherein daily details of water sprinkling and vehicle movement are recorded along with annual record of water consumed in sprinkling during Summer (February to May/June) and winter session (October to January) separately.
4. Transportation of material shall only be done in covered & PUC certified vehicles with required moisture to avoid fugitive emissions. Transportation of minerals shall not be carried out through forest area without permissions from the competent authority.
5. Mineral evacuation road shall be made pucca (WBM/black top) by PP.
6. Necessary consents shall be obtained from MPPCB and the air/water pollution control measures have to be installed as per the recommendation of MPPCB.
7. Crusher with inbuilt APCD & water sprinkling system shall be installed minimum 100 meters away from the road and 500 meters away from the habitations only after the permissions of MP Pollution Control Board with atleast 04 meters high wind breaking wall of suitable material to avoid fugitive emissions.
8. Working height of the loading machines shall be compatible with bench configuration.
9. Slurry Mixed Explosive (SME) shall be used instead of solid cartridge.
10. The OB shall be reutilized for maintenance of road. PP shall bound to compliance the final closure plan as approved by the IBM.
11. Appropriate activities shall be taken up for social up-liftment of the area. Funds reserved towards the same shall be utilized through Gram Panchayat/competent authority.
12. Six monthly occupational health surveys of workers for Cardio-vascular & Pulmonary health, vital parameters as prescribed by concerned regulatory authority shall be carryout and all the workers shall be provided with necessary PPE's. Mandatory facilities such as Rest Shelters, First Aid, Proper Fire Fighting Equipments and Toilets (separate for male & female) shall also be provided for all the mine workers and other staff. Mine's site office, rest shelters etc shall be illuminated and ventilated through solar lights.
13. A separate bank account should be maintained for all the expenses made in the EMP and CER activities by PP for financial accountability and these details should be provided in Annual Environmental Statement. In case the allocated EMP budget for mitigative measures to control the pollution is not utilized fully, the reason of under utilization of budgetary provisions for EMP should be addressed in annual return.
14. To avoid vibration, no overcharging shall be carried out during blasting and muffle blasting shall be adopted. Blasting shall be carried out through certified blaster only and no explosive will be stored at mine site without permission from the competent authority.
15. Mine water should not be discharged from the lease and be used for sprinkling & plantations. For surface runoff and storm water garland drains and settling tanks (SS pattern) of suitable sizes shall be provided.
16. All garland drains shall be connected to settling tanks through settling pits and settled water shall be used for dust suppression, green belt development and beneficiation plant. Regular de-silting of drains and pits should be carried out.
17. PP shall be responsible for discrepancy (if any) in the submissions made by the PP to SEAC & SEIAA.

753-B वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 18 मई 2024

18. The amount towards reclamation of the pit and land in MLA shall be carried out through the mining department. The appropriate amount as estimated for the activity by mining department has to be deposited with the Collector to take up the activity after the mine is exhausted.
19. NOC of Gram Panchayat should be obtained for the water requirement and forest department before uprooting any trees in the lease area. PP shall take Socio-economic activities in the region through the 'Gram Panchayat'.
20. The leases which are falling <250 meters of the forest area and PP has obtained approval for the Divisional Level Commissioner committee, all the conditions stipulated by Divisional Level Commissioner committee shall be fulfilled by the PP.
21. The validity of the EC shall be as per the provisions of EIA Notification subject to the following: Expansion or modernization in the project, entailing capacity addition with change in process and or technology and any change in product - mix in proposed mining unit shall require a fresh Environment Clearance.
22. If it being a case of Temporary Permit (TP), the validity of EC should be only up to the validity of TP and PP has to ensure the execution of closure plan.
23. All the mines where production is > 50,000 cum/year, PP shall develop its own website to display various mining related activities proposed in EMP & CER along with budgetary allocations. All the six monthly progress report shall also be uploads on this website along with MoEF&CC & SEIAA, MP with relevant photographs of various activities such as garland drains, settling tanks, plantation, water sprinkling arrangements, transportation & haul road etc. PP or Mine Manager shall be made responsible for its maintenance & regular updation.
24. All the soil queries, the maximum permitted depth shall not exceed 02 meters below general ground level & other provisions laid down in MoEF&CC OM No. L-11011/47/2011-IA.II(M) dated 24/06/2013.
25. The mining lease holders shall after ceasing mining operation, undertake re-grassing the mining area and any other area which may have been disturbed due to their mining activities and restore the land to a condition which is fit for growth of fodder, flora , fauna etc. Moreover, a separate budget in EMP & CER shall maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M, of MoEF&CC issued vide letter F.No. 22-34/2018-IA. III, dated 16/01/2020.
26. The project proponent shall follow the mitigation measures provided in MoEF&CCs Office Memorandum No. Z-11013/57/2014-IA. II (M) dated 29th October 2014, titled "Impact of mining activities on Habitations-issues related to the mining Projects wherein Habitations and villages are the part of mine lease areas or Habitations and villages are surrounded by the mine lease area".
27. Any change in the correspondence address shall be duly intimated to all the regulatory authority within 30 days of such change.
28. Authorization (if required) under Hazardous and Other Wastes (Management and Transboundary Movement) Rules, 2016 should be obtained by the PP if required.
29. A display board (in hindi) with following details of the project is mandatory at the entry to the mine.
 - a. Lease owner's Name, Contact details etc.
 - b. Mining Lease area of the project (in ha.) with latitude and longitude.
 - c. Length, breadth, sanctioned depth of mine and mining time.
 - d. Sanctioned Production capacity of the project as per EC and Consent of MPPCB.
 - e. Method of mining (Manual/Semi Mechanised) and Blasting or Non-blasting.
 - f. Plantation and CER activities.
30. Dense plantation/ wood lot shall be carryout in the 7.5 meters periphery/barrier zone of the lease through concern CCF (social forestry) or concerned DFO or any other suitable agency and on mineral evacuation road & common area in the village through any suitable Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.
31. Entire plantation proposed in barrier zone of lease area shall be carried out as per submitted plantation scheme and along the fencing seed sowing of Neem, Babool, Safed Castor etc shall also be carried out.
32. Top soil shall be simultaneously used for the plantation within the lease area and no OB/dump shall be stacked outside the lease area. PP should take-up entire plantation activity within initial three years of mining operations and shall maintain them for entire mine life including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations. PP shall explore the possibility for plantation in adjoining forest land in consultation with concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.

753-B वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक

दिनांक 18 मई 2024

33. Local palatable mixture of annual and perennial grass and fodder tree species shall be planted for grassland/fodder development on degraded forest land through forest department or on other community land available for grassland and fodder development through Gram Panchayat in concerned village and handed over to Gram Panchayat after lease period.
34. Before onset of monsoon season as per submitted plantation scheme fruit bearing species preferably of fodder / native shall be distributed in nearby villagers to promote plantation and shall be procured from social forestry nursery/ Government Horticulture nursery. This activity shall be carried out under Govt. of Madhya Pradesh “ANKUR YOJNA” by registering individual villagers on “Vayudoot app”. Where ever Aushadhi Vatika (Medicinal Garden) is proposed by PP, a minimum of 50 saplings be planted considering 80% survival with proper protection measures in School or Aganwadi premises.
35. Adequate provisions of water for irrigating plantation shall be made by PP.
36. Activities proposed under CER should be based upon outcome of public hearing in category for B-1 projects. However in case of B-2 projects, CER shall be proposed based upon local need assessment and Gram Panchayat Annual Action Plan.
37. **लीज क्षेत्र के अंदर में केवल केशर /एम-सेड प्लांट स्थित है, परियोजना प्रस्तावत निम्न शर्तों का पालन करेगा।**
 - खनन क्षेत्र में प्रस्तावित मार्झन आधारित केशर प्लान्ट/एम.सेड प्लांट हेतु म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से नियमानुसार स्थापना एवं संचालन सम्मति प्राप्त करना होगी।
 - म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की दिशा निर्देशों के अनुसार प्रस्तावित केशर प्लान्ट/एम.सेड प्लांट में स्लरी प्रबंधन तथा वायु प्रदूषणरोधी उपकरणों की स्थापना सुनिश्चित की जावेगी।
38. **केशर अथवा एम सेड प्लान्ट प्रस्तावित नहीं है, परियोजना प्रस्तावत निम्न शर्तों का पालन करेगा।**
 - परियोजना प्रस्तावक के अनुसार लीज क्षेत्र में केशर प्लान्ट/ एम.सेड प्लांट प्रस्तावित नहीं है, अतः लीज क्षेत्र में केशर प्लान्ट/एम.सेड प्लांट स्थापित करने की अनुमति नहीं दी जा सकेगी।
 - खनन क्षेत्र से बाहर प्रस्तावित मार्झन आधारित केशर प्लान्ट/एम.सेड प्लांट हेतु म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से नियमानुसार स्थापना एवं संचालन सम्मति प्राप्त करना होगी।
 - म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की दिशा निर्देशों के अनुसार प्रस्तावित केशर प्लान्ट/एम.सेड प्लांट में स्लरी प्रबंधन तथा वायु प्रदूषणरोधी उपकरणों की स्थापना सुनिश्चित की जावेगी।
39. यदि आवश्यिक खनन पट्टा भू-स्वामी की सहमति / अनुबंध पर हो तो परियोजना प्रस्तावत निम्न शर्तों का पालन सुनिश्चित करेगा।

1. **क्षतिपूर्ति के संबंध में:-**

- म.प्र. भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 247 (5) के तहत संबंधित जिला कलेक्टर द्वारा भूमि स्वामियों की क्षतिपूर्ति के निर्धारण हेतु किये गये प्रावधानों/उपबंधों का पालन भूमि स्वामियों को समक्ष में सुनकर भूमि के सतह अधिकार के संबंध में क्षतिपूर्ति का निर्धारण सुनिश्चित किया जाये।
- म.प्र. गौण खनिज नियम, 1996 के नियम 9 (क) एवं नियम, 06(क) के प्रावधान अंतर्गत कण्ठिका 04 में किये गये प्रावधानों के अनुरूप सहमति धारक को उत्त्वनन पट्टा स्वीकृत होने पर, देय रॉयल्टी के 15 प्रतिशत के समतुल्य रकम का सहमति धारक को भुगतान सुनिश्चित किया जाये। उपरोक्त शर्तों का पालन भू-प्रवेश अनुमति के पूर्व सुनिश्चित किया जावें।

Annexure- 'B'

Standard conditions applicable for the Sand Mine Quarries*

1. District Authority should annually record the deposition of sand in the lease area (at an interval of 100 meters for leases 10 ha or > 10.00 ha and at an interval of 50 meters for leases < 10 ha.) before monsoon & in the last week of September and maintain the records in RL (Reduce Level) Measurement Book. Accordingly authority shall allow lease holder to excavate only the replenished quantity of sand in the subsequent year.
2. The lease boundary should be clearly demarcated at site with the given co-ordinates by pillars. Necessary safety signage & caution boards shall be displayed at mine site.
3. Arrangements for overhead sprinklers with solar pumps / water tankers should be provided for dust suppression at the exit of the lease area and fixed types sprinklers on the evacuation road. PP should maintain a log book wherein daily details of water sprinkling and vehicle movement are recorded.

753-B वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 18 मई 2024

4. Only registered vehicles/tractor trolleys with GPS which are having the necessary registration and permission for the aforesaid purpose under the Motor Vehicle Act and also insurance coverage for the same shall alone be used for said purpose.
5. Transportation of material shall only be done in covered & PUC certified vehicles with required moisture to avoid fugitive emissions. Transportation of minerals shall not be carried out through forest area without permissions from the competent authority.
6. Mineral evacuation road shall be made Pucca (WBM/black top) by PP.
7. Sand and gravel shall not be extracted up to a distance of 1 kilometer (1Km) from major bridges and highways on both sides, or five times (5x) of the span (x) of a bridge/public civil structure (including water intake points) on up-stream side and ten times (10x) the span of such bridge on down-stream side, subjected to a minimum of 250 meters on the upstream side and 500 meters on the downstream side.
8. Mining depth should be restricted to 3 meters or water level, whichever is less and distance from the bank should be 1/4th or river width and should not be less than 7.5 meters. No in-stream mining is allowed. Established water conveyance channels should not be relocated, straightened, or modified.
9. Demarcation of mining area with pillars and geo-referencing should be done prior to the start of mining.
10. PP shall carry out independent environmental audit atleast once in a year by reputed third party entity and report of such audit be placed on public domain such audits be placed on public domain through website developed for public interface along with photographs of work done w.r.t. EMP as well as CER.
11. No Mining shall be carried out during Monsoon season.
12. The mining shall be carried out strictly as per the approved mine plan and in accordance with the Sustainable Sand Mining Management Guidelines, 2016 and Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining, 2020 issued by the MoEF&CC ensuring that the annual replenishment of sand in the mining lease area is sufficient to sustain the mining operations at levels prescribed in the mining plan.
13. If the stream is dry, the excavation must not proceed beyond the lowest undisturbed elevation of the stream bottom, which is a function of local hydraulics, hydrology, and geomorphology.
14. After mining is complete, the edge of the pit should be graded to a 2.5:1 slope in the direction of the flow.
15. Necessary consents shall be obtained from MPPCB and the air/water pollution control measures have to be installed as per the recommendation of MPPCB.
16. Appropriate activities shall be taken up for social up-liftment of the area. Funds reserved towards the same shall be utilized through Gram Panchayat/competent authority.
17. Six monthly occupational health surveys of workers shall be carryout and all the workers shall be provided with necessary PPE's. Mandatory facilities such as Rest Shelters, First Aid, Proper Fire Fighting Equipments and Toilets (separate for male & female) shall also be provided for all the mine workers and other staff. Mine's site office, rest shelters etc shall be illuminated and ventilated through solar lights. All these facilities such as rest shelters, site office etc. Shall be removed from site after the expiry of the lease period.
18. A separate budget in EMP & CER shall maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M. of MoEF&CC issued vide letter F.No. 22-34/2018-IA. III, dated 16/01/2020 and these details should be provided in Annual Environmental Statement.
19. In case the allocated EMP budget for mitigative measures to control the pollution is not utilized fully, the reason of under utilization of budgetary provisions for EMP should be addressed in annual return.
20. PP shall be responsible for discrepancy (if any) in the submissions made by the PP to SEAC & SEIAA.
21. The amount towards reclamation of the pit and land in MLA shall be carried out through the mining department. The appropriate amount as estimated for the activity by mining department has to be deposited with the Collector to take up the activity after the mine is exhausted.
22. NOC of Gram Panchayat should be obtained for the water requirement and forest department before uprooting any trees in the lease area.
23. The leases which are falling <250 meters of the forest area and PP has obtained approval for the Divisional Level Commissioner committee, all the conditions stipulated by Divisional Level Commissioner committee shall be fulfilled by the PP.
24. The validity of the EC shall be as per the provisions of EIA Notification subject to the following: Expansion or modernization in the project, entailing capacity addition with change in process and or technology and any change in product - mix in proposed mining unit shall require a fresh Environment Clearance.

753-B वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 18 मई 2024

25. If it being a case of Temporary Permit (TP), the validity of EC should be only up to the validity of TP and PP has to ensure the execution of closure plan.
26. A separate budget in EMP & CER shall maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M dated 16/01/2020.
27. The project proponent shall follow the mitigation measures provided in MoEFCCs Office Memorandum No. Z-11013/57/2014-IA. II (M) dated 29th October 2014, titled “Impact of mining activities on Habitations-issues related to the mining Projects wherein Habitations and villages are the part of mine lease areas or Habitations and villages are surrounded by the mine lease area”.
28. Any change in the correspondence address shall be duly intimated to all the regulatory authority within 30 days of such change.
29. A display board with following details of the project is mandatory at the entry to the mine.
 - g. Lease owner's Name, Contact details etc.
 - h. Mining Lease area of the project (in ha.) with latitude and longitude.
 - i. Length, breadth and sanctioned depth of mine.
 - j. Minable Potential of sand mine.
 - k. Sanctioned Production capacity of the project as per EC and Consent of MPPCB.
 - l. Method of mining (Manual/Semi Mechanised)
30. Following conditions must be implemented by PP in case of sand mining as per NGT (CZ) order dated 19/10/2020 in OA NO. 66/2020 and SEIAA's instruction vide letter No. 5084 dated 09/12/2020.
 - i. The Licensee must use minimum number of poclaims and it should not be more than two in the project site.
 - ii. The District Administration should assess the site for Environmental impact at the end of first year to permit the continuation of the operation.
 - iii. The ultimate working depth shall be 01 m from the present natural river bed level and the thickness of the sand available shall be more than 03 m in the proposed quarry site.
 - iv. The sand quarrying shall not be carried out below the ground water table under any circumstances. In case, the ground water table occurs within the permitted depth at 01 meter, quarrying operation shall be stopped immediately.
 - v. The sand mining should not disturb in any way the turbidity, velocity and flow pattern of the river water.
 - vi. After closure of the mining, the licensee shall immediately remove all the sheds put up in the quarry and all the equipments used for operation of sand quarry. The roads/pathways shall be leveled to let the river resume its normal course without any artificial obstruction to the extent possible.
 - vii. The mined out pits to be backfilled where warranted and area should be suitable landscaped to prevent environmental degradation.
 - viii. PP shall adhere to the norms regarding extent and depth of quarry as per approved mining plan. The boundary of the quarry shall be properly demarcated by PP.
31. Species such as Khus Slips and Nagar Motha shall be planted on the river banks for bank stabilization and to check soil erosion while on mineral evacuation road & common area in the village through any suitable Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP).
32. Top soil shall be simultaneously used for the plantation within the lease area and no OB/dump shall be stacked outside the lease area. PP should take-up entire plantation activity within initial three years of mining operations and shall maintain them for entire mine life including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations. PP shall explore the possibility for plantation in adjoining forest land in consultation with concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
33. Local palatable mixture of annual and perennial grass and fodder tree species shall be planted for grassland/fodder development on degraded forest land through forest department or on other community land available for grassland and fodder development through Gram Panchayat in concerned village and handed over to Gram Panchayat after lease period.
34. During initial three years before onset of monsoon season, minimum 100 saplings or maximum as per submitted plantation scheme and subsequently approved by the SEAC of fodder / native fruit bearing species shall be distributed in nearby villagers to promote plantation and shall be procured from social

753-B वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक

दिनांक 18 मई 2024

forestry nursery/ Government Horticulture nursery. This activity shall be carried out under Govt. of Madhya Pradesh “ANKUR YOJNA” by registering individual villagers on “Vayudoot app”. Where ever Aushadhi Vatika (Medicinal Garden) is proposed by PP, a minimum of 50 saplings be planted considering 80% survival with proper protection measures in School or Aganwadi premises.

35. Adequate provisions of water for irrigating plantation shall be made by PP.
36. Activities proposed under CER should be based upon outcome of public hearing in category for B-1 projects. However in case of B-2 projects, CER shall be proposed based upon local need assessment and Gram Panchayat Annual Action Plan.
37. As per Enforcement and Monitoring Guidelines for Sand Mining 2020 , Page no. 24 Para (r) minimum 7.5 meters (inward) “from the river.....bank” shall be restricted should be followed in verbatim as the para says.
38. विगत वर्षों में जारी पूर्व पर्यावरण स्वीकृति में एवं वर्तमान में जारी पर्यावरण स्वीकृति में उल्लेखित समस्त शर्तों का पालन मध्यप्रदेश स्टेट माइनिंग कॉर्पोरेशन द्वारा सुनिश्चित किया जावेगा।
39. पूर्व एवं वर्तमान ई.सी. शर्तों का पालन प्रतिवेदन निर्धारित समयावधि में एम.ओ.ई.एफ. एण्ड सी.सी. तथा एम.पी. सिया, के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा।

Annexure- ‘C’

Standard conditions applicable for the Sand deposits on Agricultural Land/ Khodu Bharu Type Sand Mine Quarries*

1. Mining should be done only to the extent of reclaiming the agricultural land.
2. Only deposited sand is to be removed and no mining/digging below the ground level is allowed.
3. The mining shall be carried out strictly as per the approved mining plan.
4. The lease boundary should be clearly demarcated at site with the given co-ordinates by pillars and necessary safety signage & caution boards shall be displayed at mine site.
5. Arrangements for overhead sprinklers with solar pumps / water tankers should be provided for dust suppression at the exit of the lease area and fixed types sprinklers on the evacuation road. PP should maintain a log book wherein daily details of water sprinkling and vehicle movement are recorded.
6. The mining activity shall be done as per approved mine plan and as per the land use plan submitted by PP.
7. Transportation of material shall only be done in covered & PUC certified vehicles with required moisture to avoid fugitive emissions. Transportation of minerals shall not be carried out through forest area without permissions from the competent authority.
8. Mineral evacuation road shall be made Pucca (WBM/black top) by PP.
9. For carrying out mining in proximity to any bridge and/or embankment, appropriate safety zone on upstream as well as on downstream from the periphery of the mining site shall be ensured taking into account the structural parameters, location aspects, flow rate, etc., and no mining shall be carried out in the safety zone.
10. No Mining shall be carried out during Monsoon season.
11. The mining shall be carried out strictly as per the approved mine plan and in accordance with the Sustainable Sand Mining Management Guidelines, 2016 issued by the MoEF&CC.
12. Necessary consents shall be obtained from MPPCB and the air/water pollution control measures have to be installed as per the recommendation of MPPCB.
13. Thick plantation shall be carryout on the banks of the river adjacent to the lease, mineral evacuation road and common area in the village. PP would maintain the plants for five years including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations.
14. Appropriate activities shall be taken up for social up-liftment of the area. Funds reserved towards the same shall be utilized through Gram Panchayat/competent authority.
15. Six monthly occupational health surveys of workers shall be carryout and all the workers shall be provided with necessary PPE's. Mandatory facilities such as Rest Shelters, First Aid, Proper Fire Fighting Equipments and Toilets (separate for male & female) shall also be provided for all the mine workers and other staff. Mine's site office, rest shelters etc shall be illuminated and ventilated through solar lights.
16. A separate bank account should be maintained for all the expenses made in the EMP and CER activities by PP for financial accountability and these details should be provided in Annual Environmental Statement. In case the allocated EMP budget for mitigative measures to control the

753-B वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 18 मई 2024

- pollution is not utilized fully, the reason of under utilization of budgetary provisions for EMP should be addressed in annual return.
17. PP shall be responsible for discrepancy (if any) in the submissions made by the PP to SEAC & SEIAA.
 18. The amount towards reclamation of the pit and land in MLA shall be carried out through the mining department. The appropriate amount as estimated for the activity by mining department has to be deposited with the Collector to take up the activity after the mine is exhausted.
 19. NOC of Gram Panchayat should be obtained for the water requirement and forest department before uprooting any trees in the lease area.
 20. The leases which are falling <250 meters of the forest area and PP has obtained approval for the Divisional Level Commissioner committee, all the conditions stipulated by Divisional Level Commissioner committee shall be fulfilled by the PP.
 21. The validity of the EC shall be as per the provisions of EIA Notification subject to the following: Expansion or modernization in the project, entailing capacity addition with change in process and or technology and any change in product - mix in proposed mining unit shall require a fresh Environment Clearance.
 22. If it being a case of Temporary Permit (TP), the validity of EC should be only up to the validity of TP and PP has to ensure the execution of closure plan.
 23. A separate budget in EMP & CER shall maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M. of MoEF&CC issued vide letter F.No. 22-34/2018-IA. III, dated 16/01/2020.
 24. The project proponent shall follow the mitigation measures provided in MoEFCCs Office Memorandum No. Z-11013/57/2014-IA. II (M) dated 29th October 2014, titled "Impact of mining activities on Habitations-issues related to the mining Projects wherein Habitations and villages are the part of mine lease areas or Habitations and villages are surrounded by the mine lease area".
 25. Any change in the correspondence address shall be duly intimated to all the regulatory authority within 30 days of such change.
 26. A display board with following details of the project is mandatory at the entry to the mine.
 - m. Lease owner's Name, Contact details etc.
 - n. Mining Lease area of the project (in ha.) with latitude and longitude.
 - o. Length, breadth and sanctioned depth of mine.
 - p. Minable Potential of sand mine.
 - q. Sanctioned Production capacity of the project as per EC and Consent of MPPCB.
 - r. Method of mining (Mannual/Semi Mechanised)
 27. Species such as Khus Slips and Nagar Motha shall be planted on the nearby river banks for bank stabilization and to check soil erosion while dense plantation/ wood lot shall be carryout in the 7.5 meters periphery/barrier zone of the lease through concern CCF (social forestry) and on mineral evacuation road & common area in the village through any suitable Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP).
 28. Dense plantation shall be carryout in the 7.5 meters periphery/barrier zone of the lease through concern CCF (social forestry) or concerned DFO or any other suitable agency and on mineral evacuation road & common area in the village through any suitable Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP).
 29. Entire plantation proposed in barrier zone of lease area shall be carried out in the first year itself as per submitted plantation scheme.
 30. Top soil shall be simultaneously used for the plantation within the lease area and no OB/dump shall be stacked outside the lease area. PP should take-up entire plantation activity within initial three years of mining operations and shall maintain them for entire mine life including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations. PP shall explore the possibility for plantation in adjoining forest land in consultation with concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
 31. Top soil shall be simultaneously used for the plantation within the lease area and no OB/dump shall be stacked outside the lease area. PP should take-up entire plantation activity within initial three years of mining operations and shall maintain them for entire mine life including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take

753-B वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 18 मई 2024

- adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations. Plantation in adjoining forest land shall be carried out through concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
32. Local palatable mixture of annual and perennial grass and fodder tree species shall be planted for grassland/fodder development on degraded forest land through forest department or on other community land available for grassland and fodder development through Gram Panchayat in concerned village and handed over to Gram Panchayat after lease period.
 33. During initial three years before onset of monsoon season, minimum 100 saplings or maximum as per submitted plantation scheme and subsequently approved by the SEAC of fodder / native fruit bearing species shall be distributed in nearby villagers to promote plantation and shall be procured from social forestry nursery/ Government Horticulture nursery. This activity shall be carried out under Govt. of Madhya Pradesh “ANKUR YOJNA” by registering individual villagers on “Vayudoot app”. Where ever Aushadhi Vatika (Medicinal Garden) is proposed by PP, a minimum of 50 saplings be planted considering 80% survival with proper protection measures in School or Aganwadi premises.
 34. Adequate provisions of water for irrigating plantation shall be made by PP.
 35. Activities proposed under CER should be based upon outcome of public hearing in category for B-1 projects. However in case of B-2 projects, CER shall be proposed based upon local need assessment and Gram Panchayat Annual Action Plan.
 36. The monitoring of the compliance of the conditions incorporated in the Environmental Clearance issued prior to the State Mining Corporation shall be carried out through the District mining office at District level and compliances be communicated to SEIAA within 06 months.
 37. Riparian habitat including vegetative cover on and adjacent to the river bank controls erosion, provide nutrient inputs into the stream and prevent intrusion of pollutants in the stream through runoff. Bank erosion and change of morphology of the river can destroy the riparian vegetative cover should be protected.
 38. Demarcation of mining area with pillars and geo-referencing should be done prior to start of mining.
 39. The State Mining Corporation shall constitute an Environmental Cell including minimum of three persons qualified in the field to ensure the compliance of EC conditions.
 40. The State Mining Corporation shall ensure the compliance of the different provision made in the Sand Mining Management Guidelines-2016 & Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining 2020, with Special reference to the para 4.3 and para-8 at page no. 45 of the said Guidelines.
 41. Sand and gravel shall not be allowed to be extracted where erosion may occur, such as at the concave bank.
 42. The slope of mining area adjacent to agricultural fields should be proper (preferably 45 degree) and adequate gap (minimum 10 feet) be left from adjacement agricultural field to avoid erosion and scouring.
 43. In sand mining over other areas apart from river bed replenishment study in the said area be carried out every year by Mining Officer and subject to availability of sand quantity mining should be allowed by Mining Officer during EC period as Sand replacement in such areas are subject to certain conditions and not a regular feature.
 44. The top soil in Khodu-Bharu Sand mine shall be stored separately and shall be used for agriculture field only; it should not be washed away during sand washing process.

Annexure- 'D'

General conditions applicable for the granting of TOR

1. The date and duration of carrying out the baseline data collection and monitoring shall be informed to the concerned Regional Officer of the M.P Pollution Control Board.
2. During monitoring, photographs shall be taken as a proof of the activity with latitude & longitude, date, time & place and same shall be attached with the EIA report. A drone video showing various sensitivities of the lease and nearby area shall also be shown during EIA presentation.
3. An inventory of various features such as sensitive area, fragile areas, mining / industrial areas, habitation, water-bodies, major roads, etc. shall be prepared and furnished with EIA.
4. An inventory of flora & fauna based on actual ground survey shall be presented.
5. Risk factors with their management plan should be discussed in the EIA report.
6. The EIA report should be prepared by the accredited consultant having no conflict of interest with any committee processing the case.
7. The EIA document shall be printed on both sides, as far as possible.
8. All documents should be properly indexed, page numbered.
9. Period/date of data collection should be clearly indicated.

753-B वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 18 मई 2024

10. The letter /application for EC should quote the SEIAA case No./year and also attach a copy of the letter prescribing the TOR.
11. The copy of the letter received from the SEAC prescribing TOR for the project should be attached as an annexure to the final EIA/EMP report.
12. The final EIA/EMP report submitted to the SEIAA must incorporate all issues mentioned in TOR and that raised in Public Hearing with the generic structure as detailed out in the EIA report.
13. Grant of TOR does not mean grant of EC.
14. The status of accreditation of the EIA consultant with NABET/QCI shall be specifically mentioned. The consultant shall certify that his accreditation is for the sector for which this EIA is prepared. If consultant has engaged other laboratory for carrying out the task of monitoring and analysis of pollutants, a representative from laboratory shall also be present to answer the site specific queries.
15. On the front page of EIA/EMP reports, the name of the consultant/consultancy firm along with their complete details including their accreditation, if any shall be indicated. The consultant while submitting the EIA/EMP report shall give an undertaking to the effect that the prescribed TORs (TOR proposed by the project proponent and additional TOR given by the MoEF & CC) have been complied with and the data submitted is factually correct.
16. While submitting the EIA/EMP reports, the name of the experts associated with involved in the preparation of these reports and the laboratories through which the samples have been got analyzed should be stated in the report. It shall be indicated whether these laboratories are approved under the Environment (Protection) Act, 1986 and also have NABL accreditation.
17. All the necessary NOC's duly verified by the competent authority should be annexed.
18. PP has to submit the copy of earlier Consent condition /EC compliance report, whatever applicable along with EIA report.
19. The EIA report should clearly mention activity wise EMP and CER cost details and should depict clear breakup of the capital and recurring costs along with the timeline for incurring the capital cost. The basis of allocation of EMP and CER cost should be detailed in the EIA report to enable the comparison of compliance with the commitment by the monitoring agencies.
20. A time bound action plan should be provided in the EIA report for fulfillment of the EMP commitments mentioned in the EIA report.
21. The name and number of posts to be engaged by the PP for implementation and monitoring of environmental parameters should be specified in the EIA report.
22. EIA report should be strictly as per the TOR, comply with the generic structure as detailed out in the EIA notification, 2006, baseline data is accurate and concerns raised during the public hearing are adequately addressed.
23. The EIA report should be prepared by the accredited consultant having no conflict of interest with any committee processing the case.
24. Public Hearing has to be carried out as per the provisions of the EIA Notification, 2006. The issues raised in public hearing shall be properly addressed in the EMP and suitable budgetary allocations shall be made in the EMP and CER based on their nature.
25. Actual measurement of top soil shall be carried out in the lease area at minimum 05 locations and additionally N, P, K and Heavy Metals shall be analyzed in all soil samples. Additionally in one soil sample, pesticides shall also be analyzed.
26. A separate budget in EMP & CER shall be maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M. of MoEF&CC issued vide letter F.No. 22-34/2018-IA. III, dated 16/01/2020.
27. PP shall submit biological diversity report stating that there is no adverse impact in- situ and on surrounding area by this project on local flora and fauna's habitat, breeding ground, corridor/ route etc. This report shall be filed annually with six-monthly compliance report.
28. The project proponent shall provide the mitigation measures as per MoEFCCs Office Memorandum No. Z-11013/57/2014-IA. II (M) dated 29th October 2014, titled "Impact of mining activities on Habitats-issues related to the mining Projects wherein Habitats and villages are the part of mine lease areas or Habitats and villages are surrounded by the mine lease area" with EIA report.
29. LPG gas may be provided for camping labour under "Ujjwala Yojna".
30. In the project where ground water is proposed as water source, the project proponent shall apply to the competent authority such as Central Ground Water Authority (CGWA) as the case may be for obtaining, No Objection Certificate (NOC).
31. Consideration of mining proposals involving violation of the EIA Notification, 2006, the project proponent shall give an undertaking by way of affidavit to comply with all the statutory requirements and judgment of Hon'ble Supreme Court of India dated 02/08/2017 in WP © No. 114 of 2014 in the

753-B वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक

दिनांक 18 मई 2024

matter of Common Cause V/s Union of India & others before grant of TOR/EC. The under taking interalia includes commitment of the PP not to repeat any such violation in future as per MoEF&CC OM No. F.NO. 3-50/2017-IA.III (Pt.) dated 30/05/2018.

32. The mining project proponents involving violations of the EIA Notification, 2006 under the provisions of S.O. 804 (E) dated 14/03/2017 and subsequent amendments for TOR/EC shall give an undertaking by way of affidavit to comply with all the statutory requirements and judgment of Hon'ble Supreme Court dated the 2nd August 2017 in Writ Petition (Civil) No. 114 of 2014 in the matter of Common Cause versus Union of India and Ors. Before grant of TOR/EC the undertaking inter-alia include commitment of the PP not to repeat any such violation of future. In case of violation of above undertaking, the TOR/Environmental Clearance shall be liable to be terminated forthwith.
33. If the allotted land is private land and agricultural practices are being carriedout in the nearby area, the effect of mining on agricultural practices shall be studied and dicussed in the EIA report with the economic value of agricultural produce for last three yaears and details of total land holding of the PP in that district.
34. In case of mining on land where the land belongs to Charaghah (Grazing) as per P-II form, proposal for development of equal area of land as grazing land shall be submitted with EIA report with its budgetary provisions. This Grazing land can be developed in consultation with DFO or Gram Panchayat of concerned area.
35. Under CER scheme commitments with physical targets shall be included in EIA report for:
 - ✓roposal for CER activities based upon commitment made during public hearing and COVID-19 pandemic.
 - ✓tivities such as solar panels in school, awareness camps for Oral Hygiene, Diabetes and Blood Pressure, works related to plantation (distribution of fruit & fodder bearing trees) vaccination, cattle's health checkup etc. in concerned village shall be proposed.
 - ✓o fuel wood shall be used as a source of energy by mine workers. Thus proposal for providing solar cookers / LPG gas cylinders under "Ujjwala Yojna" to them who are residing in the nearby villages, shall be considered.
 - ✓PP's commitment that activities proposed in the CER scheme will be completed within initial 03 years of the project and in the remaining years shall be maintained shall be submitted with EIA report.
36. Under Plantation Scheme commitments with budgetary allocations shall be included in EIA report for :
 - ✓omprehensive green belt plan with commitment that entire plantation shall be carried out in the initial three years and will be maintained thereafter with causality replacement. Proposal for distribution of fruit bearing species for nearby villagers shall also be incorporated in the plantation scheme and for which a primary survey for need assessment in concerned village shall be carried out.
 - ✓ommitment that plantation shall be carried out preferably through Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.
 - ✓ommitment that high density plantation (preferably using "Miyawaki Technique or WALMI technique) shall be developed in 7.5m barrier zone left for plantation through concern CCF (social forestry) or concerned DFO or any other suitable agency.
 - ✓ommitment that local palatable mixture of annual and perennial grass and fodder tree species shall be planted for grassland/fodder development on degraded forest land suitable for the purpose through Forest Department/ through Gram Panchayat on suitable community land in the concerned village area.

753-B वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक

दिनांक 18 मई 2024

- ✓ P shall explore the possibility for plantation in adjoining forest land in consultation with concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
- ✓ here ever Aushadhi Vatika (Medicinal Garden) is proposed by PP, minimum 50 saplings be planted considering 80% survival.
- ✓ adequate provisions of water for irrigating plantation shall be made by PP.

FOR PROJECTS LOCATED IN SCHEDULED (V) TRIBAL AREA , following should be studied and discussed in EIA Report before Public Hearing as per the instruction of SEIAA vide letter No. 1241 dated 30/07/2018.

37. Detailed analysis by a National Institute of repute of all aspects of the health of the residents of the Schedule Tribal block.
38. Detailed analysis of availability and quality of the drinking water resources available in the block.
39. A study by CPCB of the methodology of disposal of industrial waste from the existing industries in the block, whether it is being done in a manner that mitigate all health and environmental risks.
40. The consent of Gram Sabah of the villages in the area where project is proposed shall be obtained.

खदान क्षेत्र मे किये जाने वाले वृक्षारोपण हेतु निर्देश :-

- नोट 1 :-** स्थल विशेष हेतु प्रजातियों के चयन में स्थानीय मृदा के प्रकार, संरचना, गहराई को ध्यान में रखकर रोपण किया जाना चाहिए।
- नोट 2 :-** विषय विशेषज्ञ, उक्त विषय में रुचि रखने वाले स्थानीय जानकारों से राय ली जाने की सलाह है।
- नोट 3 :-** पौधों की बढ़त हेतु सड़ी गोबर की खाद, केचुआ खाद, आवश्यक होने पर अच्छी मृदा का उपयोग, समय पर रोपण, पौधों की देख-रेख, मृदा नर्मी को बनाये रखने हेतु मल्विंग जल-संरचनाओं का निर्माण, निर्दाई-गुडाई, सिंचाई एवं सुरक्षा का पर्याप्त उपाय करना चाहिए।
- नोट 4 :-** परिवहन मार्ग के किनारे लगाये जाने वाले पौधों के चारों ओर ट्री गार्ड होना आवश्यक है। इसी प्रकार स्कूल / ऑगनवाडी/पंचायत भवन इत्यादि में प्रस्तावित वृक्षारोपणों के चारों ओर सुरक्षा के इंतजाम जैसे फॉसिंग/ट्री गार्ड आवश्यक रूप से प्रस्तावित किये जायें।
- नोट 5 :-** भू-क्षण स्थल पाये जाने पर भू-संरक्षण का कार्य (विशेष रूप से वाटर चेनल के किनारे तथा उत्पत्ति स्थान पर) किया जाना चाहिए।

नोट 6 :- रोपित पौधों का मापदंड एवं अन्य कार्य

क्र.	स्थल	ऊँचाई न्यूनतम्	गोलाई न्यूनतम्
1.	बैरियर जोन/ नॉन माईनिंग क्षेत्र	02.5 – 03.0 फिट	03–05 से. मी.
2.	रोड साईड/स्कूल / ऑगनवाडी	03.5 – 05.5 फिट	05–10 से.मी.
3.	पौधों के चारों ओर निर्दाई-गुडाई, थाला (1.5 मी.गोलाई में) तीन वर्षों तक।		
4.	आवश्यकतानुसार सिंचाई एवं प्राथमिकता पर जैविक खाद		

नोट 7 :- बीज बुआई एवं अंकुरण पश्चात् देख-रेख –

- स्थानीय स्तर पर बीज संग्रहण एवं गुडाई/जुताई उपचार, वर्षा पूर्व रोपण। जामुन, महुआ, नीम, साल बीज का रोपण बीज गिरने के तुरंत (07 दिवस के अंदर) पश्चात् रोपण।
- अंकुरण पश्चात् 4 से 6 पत्तियों आने पर, पौधे के चारों तरफ निर्दाई-गुडाई एवं सड़ी गोबर की खाद डालना।
- बीज रोपण तीन वर्षों तक लगातार पौधों की जीवितता एवं सफलता के आधार पर करना।
- सीड़-बाल विधि से भी बीज रोपण किया जा सकता है।

नोट – 8 :- रेत के प्रकरणों में (पौधों की ऊँचाई न्यूनतम् 1.5 मीटर)

753-B वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक

दिनांक 18 मई 2024

1	एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति की दूरी एवं दूसरी से तीसरी पंक्ति शाकीय पौधे जैसे : खस, घास, अगेव स्थानीय घास बीजप्रजातियाँ।	1.00 से 1.5 मीटर (पंक्ति में पौधों के बीच की दूरी 10 से 15 सेंटीमीटर)
2	4 पंक्ति से 5वीं पंक्ति (वृक्ष प्रजाति)	न्यूनतम् दूरी 3 मीटर (पौधों के बीच में दूरी 03 मीटर)
3	6वीं पंक्ति 3.0 से 5.0 मीटर (वृक्ष प्रजाति)	पौधों के बीच में 3 से 5 मीटर

- (चयनित प्रजातियों एवं नदी के किनारों पर भूमि की उपलब्धता को ध्यान में रखकर आवंटित क्षेत्र से बाहरी दिशा में 10 से 15 मीटर की चौड़ाई में हरित पट्टी विकसित किया जाये)
- नोट – 9 :- छठी पंक्ति हेतु पौधों की सुरक्षा अवधि न्यूनतम् 3 वर्ष
- जामुन, कहवा, करंज, नीम, पौधों में पौधों की दूरी 2.5 मीटर से 5 मीटर लसोडा, करंज, आम, इत्यादि ।
- नोट – प्रथम तीन पंक्तियों के पौधों के मध्य में एक वर्षीय औषधि प्रजातियों का बीच छिड़काव ।

1	पहली, दूसरी, तीसरी पंक्ति हेतु (स्थानीय घास प्रजातियाँ, खस घास बीजअगेव आदि)	पंक्ति से पंक्ति की दूरी 01 से 10.5 फीट पंक्ति में पौधों से पौधों की दूरी 10 से 15 सेंटीमीटर ।
2	स्थानीय झाड़ी प्रजाति के पौधे	01 11.6 फीटर
3	चौथी से पाँचवीं, छठीं पंक्ति हेतु बॉस एवं स्थानीय झाड़ी प्रजाति ।	पंक्ति की दूरी 2.5 मीटर से 3 मीटर पंक्ति में पौधों की दूरी 3 मीटर से 5 मीटर

- मौसमी नदी के न्यूनतम् 05 मीटर तथा पेरिनियल रिवर में न्यूनतम् 10मी तक घाटों के किनारे स्थित वृक्षों, झाड़ियों, लताओं को और घास को क्षति नहीं पहूँचाई जायेगी।
- रेत निकासी परिवहन मार्ग निजी भूमि से होकर जाता है तो सर्वाधित कृषक/कृषकों से सहमति पश्चात् ही परिवहन किया जायेगी ।

- दान संचालन शुरू करने के पहले परियोजना प्रस्तावक जिला मत्स्य पालन विभाग अधिकारी का अभिमत प्राप्त करेंगा कि खनन क्षेत्र में कोई Aquatic fauna तो नहीं है और यदि किसी क्षेत्र का संज्ञान होगा तो अनुकूल रोकथाम के उपाय विशेषज्ञ के सुझाव अनुसार अपनाये जायेंगे

ए

Additional TOR points for Minor Minerals -

(In addition to Standard TOR)

1. EIA for Cluster : Cumulative Impact study is to be carried out & Cluster EMP is to be prepared
2. Plantation scheme : Show numbers and species in tabular form
 - A- Government land
 1. In barrier Zone
 2. In non mining area (set back)
 3. Along evacuation route
 4. Other places like School, Panchyat Bhavan, Aganwadi, Tehsil Office, Police Thana, Forest chouki etc.
 5. Distribution to nearby farmers species of Fuel, fodder, Timber, Bamboo, Medicinal plants.
 - B- In Fodder Land

Develop the grass land and seed sowing & maintain upto 5 years, include the cost in EMP
 - C- Private land – fruit bearing plant or as P.P wants desire.
 - D- Seed sowing in garland drain and periphery of mine with local seeds of soil binding nature.
3. Set Back – Show setback in surface plan with legend as well as set back area as per the case, according to present rules (NGT/CPCB guidelines)

1. Dammar Road	14. Forest boundary /Revenue Forests
2. Village Road	15. Wildlife area /NP/WLS
3. कच्ची सड़क (WBM)	16. ESZ area
4. Haulage road	17. Hill(पहाड़ी) Ranges more than 1 km in length having more then 2-3 hillock ranges for landscape perspective.



5. Railway line
6. Wind mills
7. Agriculture land
8. Natural drainage
9. Nala/ river
10. Habitation,
11. Wells, Temples
- 12 Other structures
13. Historical monuments rare structures such as rocks, paintings, fossils and W.L. Niche/Archaeological Site if any.
4. **For blasting or for non blasting:** If mine lease area within-
 1. 250 m. of forest land
 2. ESZ areas , Buffer area
 3. If private land : Own/Agreement
 1. OWN
 2. Agreement if, 240 LRC, MMR rules
 3. Cost benefit ratio
 4. If grass land : grass land development & maintenance
 5. Catchment of the major river & its protection plan.
5. **If area is full of trees/ root stock- study to be carried out wrt,**
 - Ecosystem loss studies & remedial plan

- Eco service studies
- Wildlife conservation plan
- Protection plan
- Soil & water conservation plan
- Aero biological studies
- Study of Avian flora and fauna Dam due to cutting of vegetation, trees shrubs , ecological loss & assessment of damages and its mitigation plan
- Tree inventory inside the mine area including all types of vegetation: trees, shrubs – spp girth, height , name & number of plant inside the mines areas. Mention RET (Rare threatened and endangered) species if exist there

6. In case of expansion : area / production with wrt. MOEF&CC compliance report

Old given E.C: condition compliance of all points with photographs

- Plantation in barrier zone
- Garland drain
- Fencing
- Excavation as per mining plan
- CER activities: Certificate and photograph
- Old production (showing on surface plan)
- Dump areas

(A) If – Crusher & M-sand plantis in mining area

Surface plan includes (if surface map change than it should be in mining plan , map is to be changed before mining) :

1. Mining area /Non-mining area /Crusher area/Office
2. Barrier area zone
3. Set back for sensitiveness
4. Garlanding drain
5. Settling tank with sizes according to water surface plan
6. Crusher area /M.sand plant / Slurry
7. Dumping area year wise
8. Green area /Barrier area & in non-mining area
9. Fencing
10. M -sand : Slurry management
11. Carbon foot print

(B) **If crusher is outside of mines**

1. distance from the mining area
2. establish land status .
3. permission of land owner
4. carbon sequestration due to crusher & haulage

7. **SITE VISIT REQUIREMENTS :**

Consultant must visit the site for B₁ and B₂ areas both: Following information/data is required to be collected during site visit

1. Geo tagged photos: if cluster of trees exist within mining lease , any structure within sensitivity distance
2. Site photographs
3. Mining activities going in nearby areas
4. Assessment of water level of surrounding surface water and ground water sources

5. Assessment of availability of any grazing land in nearby areas after after having discussion with local people/Panchayat
6. For B2 cases : assessment of CER needs at local level through Van sammittee/Gram Panchayat/School Principal/Aganwadi worker/Patwari

8. Regarding Public hearing

- 1 . Names of villages around the mines area.
- 2 Village wise presence of people
- 3 Photograph
- 4 Map Showing the village name & population of the village which are situated around the mine.
- 5 Public interest works to be mentioned in CER ac activities
- 6 Distance from mines area in the following public places

1. Habitation
2. School
3. Health centre
4. other public places
5. any sensitive area (men made structure / natural)

9. CER Activities

1. As demanded during the public hearing.
2. As needed or proposed during the presentation.

10. EMP as proposed in tabular form

11. Mining Activity.

(A) If - mines in PESA areas

- full fill the all PESA related requirements
- if land owner is tribal the collector order needed as per LPE 240 /8/9

(B) If- within the 500 mt. radius- existing mines

- owner name
- area
- Compliance of plantation, fencing, garlanding drain ,settling tank according to given EC.

(C) If M-sand proposed within 500 m of radius

- place on surface map
- slurry management
- Water requirement : Quantity & source

(D) If excavation route lies on private land

the permission of land owner for transportation.

(E) Carbon foot print study- If production is more than below given threshold values subject to production.

1. Stone - $10,000 \text{ m}^3/\text{yr}$ with crusher, $15000 \text{ m}^3/\text{yr}$ without crusher
2. murum- $20,000 \text{ m}^3/\text{yr}$
3. Clay – $30,000 \text{ m}^3/\text{yr}$ with kiln & chimney

(F) Soil profile Not less then 3 pits per ha. with.

12. Miscellaneous

(A) Provision of Fogging machine for dust control:

If Stone production is more than 1 Lakh m³/yr then provision of fogging machine for dust control in EMP is to be made.

(B) De-watering plan if old pit is filled with water & use of water –

(C) In case of any change in method of mining, or change of surface plan due to any sensitive features Approval from concern Mining officer

(D) If there is difference in geo coordinate is observed in B1/B2 or in any case as given in mining plan or DSR, then approved geo-coordinate to be submitted as approved by Mining Officer of concerned district.

**Member
(SEAC)**

**Chairman
(SEAC)**